कोचिन पत्तन

कोचिन पत्तन प्राधिकरण
Cochin Port Authority

प्रशासन रिपोर्ट तथा वार्षिक लेखा 2025-2026





गणतंत्र दिवस समारोह



स्वतंत्रता दिवस समारोह



राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ का समारोह



श्री विजय कुमार, आईएएस, ओएसडी (पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय) का कोचिन पत्तन प्राधिकरण का दौरा

कोचिन पत्तन

प्रशासन रिपोर्ट
तथा वार्षिक लेखा
2025-2026

कोचिन पत्तन

कोचिन पत्तन प्राधिकरण
Cochin Port Authority
एक आईएसओ 9001:2015 और आईएसपीएस अनुरूप पत्तन

विल्लिंग्डन आईलैण्ड,
कोचिन - 682009

विषय सूची

पृष्ठ संख्या

कोचिन पत्तन प्राधिकरण का बोर्ड 5
प्रधान अधिकारी (31.03.2025 तक) 6
पत्तन परिचालन एक नज़र में 8

भाग I विवरणात्मक टिप्पणियां

I प्रबंधन 11–14
II यातायात 15–24
III नौवहन 25–30
IV पत्तन परिचालन 31–34
V वित्तीय स्थिति 35–40
VI अभियंत्रण 41–44
VII मज़दूर कल्याण एवं औद्योगिक संपर्क 45–49
VIII सामान्य गतिविधियाँ 50–52

भाग II सांख्यिकीय परिशिष्ट

विवरण 1-40 57–103

भाग III वित्तीय विवरण

तुलन पत्र व वार्षिक लेखा 109–126
वार्षिक लेखों पर टिप्पणियाँ 2024-25 127–132
अनुबंध 133–143

कोचिन पत्तन प्राधिकरण का बोर्ड

सदस्यगण

अध्यक्ष : **श्री बी. काशीविश्वनाथन, आईआरएसएमई**

उपाध्यक्ष : **श्री सतीश होन्नकट्टे**

क्र.सं.	नाम	पता	प्रतिनिधि
1	श्री गुरकरण सिंह बैंस, आईआरएस (16.10.2023 से)	सीमाशुल्क आयुक्त सीमाशुल्क हाउस विल्लिंगडन आईलैण्ड कोचिन – 682009	सीमाशुल्क विभाग
2	श्री वेंकटेशपति एस. (07.08.2024 से)	संयुक्त सचिव, कमरा संख्या-413 पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
3	कप्तान जोस विकास (13.05.2024 से) कमोडोर वर्गीस मैथ्यू (30.07.2025से)	नौसेना प्रभारी अधिकारी केरल नौसेना बेस कोचिन-682004	रक्षा सेवा(नौसेना)
4	श्री आर. मुरुगराज, आईआरटीएस	मुख्य माल परिवहन प्रबंधक, दक्षिण रेलवे मुख्यालय, पार्क टाउन, चेन्नई - 600003	भारतीय रेल
5	श्री के.एस. श्रीनिवास, आईएएस	प्रधान सचिव, पत्तन विभाग, सरकारी सचिवालय, मुख्य भवन, प्रथम तल, कमरा नं.392, तिरुवनंतपुरम-695001	केरल सरकार
6	डॉ. ए. कोव्सिगन, आईएएस (28.05.2025 से)	सरकार के सचिव, पत्तन विभाग, सरकारी सचिवालय, मुख्य भवन, प्रथम तल, कमरा नं.392, तिरुवनंतपुरम-695001	केरल सरकार

प्रधान अधिकारी (31.03.2026 तक)

अध्यक्ष	:	**श्री बी काशीविश्वनाथन, आईआरएसएमई: 1992**
उपाध्यक्ष	:	**श्री सतीश होन्नकट्टे**

सामान्य प्रशासन विभाग

सचिव	:	श्री जॉयदीप घोष दस्तिदार
वरिष्ठ उप सचिव	:	श्री सतीश.आर
वरिष्ठ उप निदेशक (आर)	:	श्रीमती स्वप्ना अरिगा
उप सचिव	:	रिक्त
उप मुख्य यांत्रिक अभियंता (एम)		
संपदा	:	श्री के.वी.भगवत सिंह

सतर्कता विभाग

मुख्य सतर्कता अधिकारी	:	श्री टी. प्रभु आईओएफएस (2001)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी	:	श्रीमती मीरा कृष्ण (प्रभारी)

सी.आई.एस.एफ

उप कमान्ड्रेंट	:	श्री नीरज कुमार पटेल

वित्त विभाग

वित्तीय सलाहकार एवं		
मुख्य लेखा अधिकारी	:	श्री बी.भाग्यनाथ
वरिष्ठ उप मुख्य लेखा अधिकारी	:	रिक्त
वरिष्ठ उप निदेशक (ईडीपी)	:	श्री विनोद सी

सिविल अभियंत्रण विभाग

मुख्य अभियंता	:	श्री जासर एस.एम.
उप मुख्य अभियंता (सी)	:	श्री टी.पी तदेवूस
अधीक्षण अभियंता I	:	रिक्त
अधीक्षण अभियंता II	:	श्री सुधीर जे सावंत
अधीक्षण अभियंता (एल)	:	रिक्त

यांत्रिक अभियंत्रण विभाग

मुख्य यांत्रिक अभियंता	:	रिक्त
उप मुख्य यांत्रिक अभियंता (वि)	:	श्री पी.मुनियासामी
अधीक्षण अभियंता (वि)	:	श्री डी अजितकुमार
अधीक्षण अभियंता (या)	:	श्री सजीव वी ए
अधीक्षण अभियंता (या)	:	श्री रोहन खरे
अधीक्षण अभियंता (या)	:	श्री दीक्षित

यातायात विभाग

यातायात प्रबंधक	:	श्री हिमांशु शेखर
वरिष्ठ उप यातायात प्रबन्धक	:	श्री डी.अनिल कुमार
उप यातायात प्रबन्धक	:	श्री सुरेश बाबु के.
उप यातायात प्रबन्धक	:	श्री टी. के बिजु

समुद्री विभाग

उप संरक्षक	:	कप्तान मुत्तुकुमार टी.
हार्बर मास्टर	:	कप्तान फ्रांसिस जोन वेलियत
एमईएस	:	श्री तोमस मात्यु
डाँक मास्टर	:	कप्तान भास्कर कृष्णन कुंजी
एमएमपीसी	:	कप्तान साम एब्रहाम

चिकित्सा विभाग

मुख्य चिकित्सा अधिकारी	:	रिक्त
वरिष्ठ उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी	:	रिक्त
उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी(जीडी)	:	डॉ. जयलक्ष्मी आर कुरुप्प

भंडार

वरिष्ठ उप सामग्री प्रबंधक	:	श्रीमती हंब्ली उर्सला जॉन

पत्तन परिचालन एक नज़र में

		वर्ष	
		2025-26	2024-25
I	यातायात (लाख टन)		
	(कंटेनर यातायात सहित)		
	i. निर्यात	88.55	89.92
	ii. आयात	292.08	287.53
	कुल	**380.63**	**377.45**
	कंटेनर यातायात (टीईयू में)		
	i. भरे हुए कंटेनर		
	ए) निर्यात	245318	266622
	बी) आयात	274620	306854
	कुल	**519938**	**573476**
	ii. खाली कंटेनर		
	ए) निर्यात	138905	150853
	बी) आयात	109105	110336
	कुल	**248010**	**261189**
	कुल योग	**767948**	**834665**
	iii. कंटेनरीकृत हस्तन किए गए कार्गो (लाख टन)		
	ए) निर्यात	39.45	43.50
	बी) आयात	63.58	69.17
	कुल	**103.03**	**112.67**
II.	नौवहन		
	I) प्रविष्ट जहाजों की संख्या	1719	1681
	ii) कुल एनआरटी (लाखों में)	235.78	244.58
	iii) औसत अवरोधन समय (घण्टे)	10.29	8.85
	iv) औसत प्रतिवर्तन समय (बोर्डिंग से डी-बोर्डिंग तक) (दिन)	1.35	1.35
	v) प्रति जहाज औसत भार (टन में)	26038	26006
III.	वित्त (लाख रुपए में)		
	I) कुल परिचालन आय	100712	94687
	ii) कुल परिचालन व्यय	45687	42211
	iii) निवल परिचालन अधिशेष	55025	52476
	iv) वित्त एवं विविध लेखा के अंतर्गत निवल अधिशेष/घाटा		
		53573	51126
	v) निवल अधिशेष	1452	1350
	vi) परिचालन अनुपात (%)	45.36	44.58

कोचिन पत्तन प्राधिकरण का बोर्ड

अध्यक्ष

उपाध्यक्ष

मुख्य यांत्रिक अभियंता

- उप मुख्य यांत्रिक अभियंता (विद्युत.)
  - अधीक्षक अभियंता (विद्युत)
    - कार्यपालक अभियंता(विद्युत)
      - सहायक कार्यपालक अभियंता (विद्युत)
        - सहायक अभियंता (विद्युत)
          - सहायक अभियंता (ई & सी)
      - उप मुख्य लेखाकार (वरिष्ठ)II
- उप मुख्य यांत्रिक अभियंता (यां)
  - अधीक्षक अभियंता (यां)
    - कार्यपालक अभियंता (यां)
      - सहायक कार्यपालक अभियंता (यां)
        - सहायक अभियंता (यां)
          - सुरक्षा अधिकारी
      - उप मुख्य लेखाकार (वरिष्ठ)II
- आईएसआरएफ़ सी एस एल को प्रतिनियुक्त
  - वरिष्ठ उप सामग्री प्रबन्धक
    - उप सामग्री प्रबन्धक
      - सहायक अभियंता (यां)
- सी एफएव सहायक कार्यपालक अभियंता (यां) सहायक अभियंता(सिविल) वार्फ अधीक्षक उप मुख्य लेखाकार (वरिष्ठ)-II

आईएसआरएफ़ -सीएसएल

- सहायक अभियंता (यां)
- उप मुख्य लेखाकार (वरिष्ठ)II

उप मुख्य लेखाकार (वरिष्ठ)II

मुख्य अभियंता (सिविल)

- उप मुख्य अभियंता (सिविल)
  - अधीक्षक अभियंता (सिविल)
    - कार्यपालक अभियंता (सिविल)
      - सहायक कार्यपालक अभियंता (सिविल)
        - सहायक अभियंता (सिविल)
- वैयक्तिक सहायक

मुख्य चिकित्सा अधिकारी

- वरिष्ठ उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी
  - उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (जीडी)
    - वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (जीडी)
      - वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ)
        - चिकित्सा अधिकारी
- उप मुख्य लेखाकार (वरिष्ठ)II

उप मुख्य लेखाकार (वरिष्ठ)II

सचिव

- वरिष्ठ उप सचिव
  - उप सचिव
    - वरिष्ठ सहायक सचिव
      - सहायक सचिव (क)
        - सहायक सचिव (गेड I) (Gr.I)
          - सहायक सचिव(क) /उप मुख्य लेखाकार (व)-II
            - वरिष्ठ सहायक सचिव(पीआर)
              - सहायक सचिव ग्रेड I(रा. भा।)
                - वरिष्ठ कल्याण अधिकारी
                - कल्याण अधिकारी
- वरिष्ठ उप निदेशक (अनुसंधान)
  - उप निदेशक (अनुसंधान)
    - विधि अधिकारी ग्रेड -I
      - विधि अधिकारी ग्रेड.II
        - अध्यक्ष का वरिष्ठ निजी सचिव
          - अध्यक्ष का निजी सचिव
            - उपाध्यक्ष का निजी सचिव
              - वैयक्तिक सहायक
- वरिष्ठ सहायक संपदा प्रबन्धक
  - सहायक संपदा प्रबन्धक ग्रेड .I

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

- वरिष्ठ उप मुख्य लेखा अधिकारी
  - उप मुख्य लेखा अधिकारी
    - वरिष्ठ लेखा अधिकारी
      - लेखा अधिकारी (ग्रेड .I)
        - उप मुख्य लेखाकार (वरिष्ठ)II
          - मुख्य रोकड़िया
- वरिष्ठ उप निदेशक (ईडीपी)
  - उप निदेशक (ईडीपी)
    - सहायक निदेशक (ईडीपी)
      - प्रोग्रामर

उप संरक्षक

- हार्बर मास्टर
  - पाइलट
    - मुख्य अभियंता (समुद्री)
      - समुद्री अभियंता
        - मास्टर टग
          - सर्वेक्षक / हाईड्रो ग्राफिक सर्वेक्षक
            - व.समुद्री सर्वेक्षक
              - प्रबंधक एम पी सी
                - मुख्य अग्निशमन व स . सुरक्षा प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी
                - उप मुख्य लेखाकार (वरिष्ठ)II
- डॉक मास्टर
- समुद्री अभियंत्रण अधीक्षक
  - व. समुद्री अभियंता/ मुख्य अभियंता
    - ड्रेजर कमाण्डर
      - मुख्य अभियंता (समुद्री)
        - समुद्री अभियंता
          - उप समुद्री अभियंता
            - ड्रेजिंग मास्टर (मोबाइल ड्रेजर)
              - सहायक कार्यपालक अभियंता (वि. समुद्री)

यातायात प्रबन्धक

- वरिष्ठ उप यातायात प्रबन्धक
  - उप यातायात प्रबन्धक
    - वरिष्ठ सहायक यातायात प्रबन्धक
      - सहायक यातायात प्रबंधक (ग्रेड- I
        - वार्फ अधीक्षक
          - उप मुख्य लेखाकार (वरिष्ठ)II
    - उप प्रशासनिक अधिकारी (डीएलडी)
      - लेखा अधिकारी (डीएलडी))
        - सहायक प्रशासनिक अधिकारी (डीएलडी)
          - सहायक श्रम अधिकारी (डीएलडी)
    - प्रशासनिक अधीक्षक (डीएलडी)

मुख्य सतर्कता अधिकारी

- उप मुख्य सतर्कता अधिकारी

कोचिन पत्तन

कोचिन पत्तन प्राधिकरण
Cochin Port Authority

31.03.2025 की स्थिति के अनुसार कोचिन पत्तन प्राधिकरण की संगठन चार्ट

भाग I

विवरणात्मक टिप्पणियां

I प्रबंधन

1. बोर्ड के सदस्य

वर्ष 2025-26 के दौरान 31-03-2026 तक कोचिन पत्तन प्राधिकरण के बोर्ड सदस्यों के नाम पृष्ठ 5 पर दिए गए हैं। वर्ष 2025-26 के दौरान कोचिन पत्तन बोर्ड की 7 बैठकें हुई।

2. संगठन

31-3-2026 तक कोचिन पत्तन प्राधिकरण का संगठनात्मक ढांचा सामने वाले पृष्ठ पर दिए गए संगठनात्मक चार्ट में दर्शाया गया है। कोचिन पत्तन के प्रमुख अधिकारियों के नाम पृष्ठ 6 से 7 पर दिए गए हैं।

3. अधिकारी एवं कर्मचारी

31-3-2026 तक पत्तन में गोदी श्रम प्रभाग सहित कुल स्वीकृत संख्या 1879 थी। रोजगार विवरण सांख्यिकीय परिशिष्ट में विवरण संख्या 34 से देखा जा सकता है।

वर्ष के दौरान पत्तन और गोदी कर्मचारियों को दिए गए वेतन और मज़दूरी, समयोपरि और बोनस भुगतान की कुल राशि 13,282 लाख रुपए थी, जबकि पिछले वर्ष यह 13,833 लाख रुपए थी, जैसा कि निम्नलिखित विवरण से देखा जा सकता है।

(रु.लाखों में)

मद	2025-26	2024-25
1.वेतन एवं मज़दूरी		
ए) श्रेणी I एवं श्रेणी II अधिकारी	4,122	3,981
बी) श्रेणी III एवं IV कर्मचारी	7,921	8,441
कुल	**12,043**	**12,422**
2.समयोपरि	175	289
3.बोनस	96	107
4.अन्य	968	1,015
कुल योग	**13,282**	**13,833**

4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों पर नियुक्ति

कार्यान्वयन सेल:समय समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण आदेशों का समन्वयन और उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पत्तन में स्थापित सेल वर्ष के दौरान प्राप्त आरक्षण आदेशों पर उचित कार्रवाई को सुनिश्चित किया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण संबधि सभी प्रतिवेदनों/याचिकाओं पर सेल द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई है।

5. हिन्दी अनुभाग

कोचिन पत्तन प्राधिकरण का हिंदी अनुभाग बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त, प्रस्तावों, सामान्य आदेशों, अधिसूचनाओं, वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट, कार्यालय आदेशों और परिपत्रों, व्यापार सूचनाओं, निविदा सूचनाओं, नियमों और विनियमों, वार्षिक लेखा, लेखापरीक्षा रिपोर्ट, वार्षिक लेखा की समीक्षा और उस पर अलग से लेखापरीक्षा रिपोर्ट, रिपोर्ट में निहित लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई के नोट, प्रश्नावली और विभिन्न विषयों पर सभी संसदीय समितियों और आयोगों के दस्तावेजों के अनुवाद का कार्य करता है। हिंदी अनुभाग ने केंद्र की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की एकमात्र जिम्मेदारी भी निभाई है।

ए .हिंदी पखवाड़ा समारोह-2025

पिछले वर्षों की भांति, इस वर्ष भी हिंदी पखवाड़ा 14 से 28 सितंबर 2025 तक मनाया गया। इस दौरान, नियमित कर्मचारियों के लिए हिंदी गीत, हिंदी भाषण, कविता पाठ, प्रशासनिक शब्दावली और हिंदी में नोटिंग तथा मसौदा तैयार करना, समाचार पढ़ना, अनुच्छेद श्रुतलेख जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जबकि संविदा कर्मचारियों के लिए हिंदी गीत और समाचार पढ़ने की प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इनका उद्देश्य राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देना और संगठन में इसके प्रगतिशील उपयोग को सुनिश्चित करना था। इसके अलावा, कर्मचारियों के बच्चों के लिए भी दो समूहों (कक्षा 1 से 5 - पहला समूह) और (कक्षा 6 से 10 - दूसरा समूह) में हिंदी गीत और भाषण आदि जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। समापन समारोह 30 सितंबर 2025 को अध्यक्ष, प्रबंधन टीम और वरिष्ठ अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित किया गया। इस दौरान प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। पत्तन कर्मचारियों के जिन बच्चों ने एसएसएलसी/सीबीएसई 10वीं में हिंदी में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए, उन्हें भी सम्मानित किया गया। 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र भी दिए गए। हिंदी पखवाड़े के उत्सव के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले सामान्य प्रशासन विभाग को "चल वैजयंती पुरस्कार" से सम्मानित किया गया। गृह पत्रिका "कोचिन लहर" में लेख प्रस्तुत करने वाले लेखकों को ट्राफियां प्रदान की गईं। "कोचिन लहर" में प्रकाशित कर्मचारियों के बच्चों की सुंदर पेंटिंग के लिए भी ट्राफियां प्रदान की गईं। वर्ष के दौरान हिंदी में उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी हस्ताक्षर योजना के तहत शील्ड प्रदान की गईं। वर्ष भर हिंदी में नोटिंग और लेखन करने वाले कर्मचारियों को नकद पुरस्कार दिए गए। वर्ष के दौरान हिंदी में सराहनीय कार्य के लिए, कार्यालय में राजभाषा के कार्यान्वयन में उनके समग्र प्रदर्शन के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी (प्रभारी) को श्रेष्ठ राजभाषा कर्मी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

बी. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति में सक्रिय भागीदारी:

अध्यक्ष, सचिव और सहायक सचिव ग्रेड-1 (राजभाषा) ने 35वें तथा 36वें नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की क्रमशः 27.10.2025 और 26.05.2026 को आयोजित अर्धवार्षिक बैठक में भाग लिया। इसके अतिरिक्त, हमारा कार्यालय संयुक्त हिंदी पखवाड़ा समारोह के दौरान कोच्चि स्थित टोलिक (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों) द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगिताओं और राजभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए आयोजित सभी विशेष कार्यक्रमों में अग्रणी भूमिका निभाता है। हमारा कार्यालय नराकास, कोच्चि की गतिविधियों के लिए वित्तीय योगदान भी प्रदान करता है। हमारे कार्यालय को 2 पुरस्कार प्राप्त हुए। वर्ष 2024-25 के लिए राजभाषा कार्यान्वयन हेतु द्वितीय पुरस्कार तथा गृह पत्रिका 'कोचिन लहर' के लिए तृतीय पुरस्कार।

सी. नगर स्तरीय राजभाषा सम्मेलन:

6 मार्च 2026 को नगर स्तरीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टीओएलआईसी) के सभी सदस्य कार्यालयों के विभागाध्यक्षों, वरिष्ठ अधिकारियों और हिंदी विशेषज्ञों के साथ-साथ स्थानीय विश्वविद्यालयों के हिंदी शोधार्थियों ने भाग लिया। सम्मेलन के दौरान दो अकादमिक सत्र आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त, संगठन की एक अभिनव पहल के रूप में, 'मिशन राजभाषा'

ब्रोशर (वीडियो और मुद्रित ब्रोशर) का विमोचन किया गया।

डी. हिंदी पुस्तकालय:

कोचिन पत्तन प्राधिकरण में हिंदी पुस्तकालय कार्यरत है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को हिंदी के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना और हिंदी साहित्य का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करना है। कोचिन पत्तन प्राधिकरण प्रबंधन प्रतिवर्ष प्रतिष्ठित लेखकों की हिंदी पुस्तकें (उपन्यास, शब्दकोश, कविताएँ, व्याकरण, निबंध, लघु कथाएँ) खरीदता है। इस वर्ष भी हिंदी पुस्तकालय के लिए 4500 रुपये मूल्य की हिंदी पुस्तकें खरीदी गईं। इसके अतिरिक्त, कोचिन पत्तन प्राधिकरण प्रबंधन द्वारा शुरू की गई ज्ञानदीप योजना के तहत विलिंगडन द्वीप स्थित सर रॉबर्ट ब्रिस्टो सरकारी हाई स्कूल के पुस्तकालय को भी कुछ हिंदी पुस्तकें वितरित की गईं।

ई. हिंदी बैठकें:

राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) की बैठक प्रत्येक तिमाही के पहले महीने में अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित की जाती है। बैठक के दौरान, हिंदी कार्यान्वयन की तिमाही प्रगति की समीक्षा की जाती है और समिति के सदस्यों द्वारा आवश्यक सुझाव भी दिए जाते हैं।

एफ. हिंदी कार्यशालाएँ:

हिंदी अनुभाग ने वर्ष के दौरान प्रत्येक तिमाही में विभागवार अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए 4 हिंदी कार्यशालाओं (तकनीकी और भाषा) का आयोजन किया। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों के कंप्यूटर पर हिंदी कौशल को विकसित करने के लिए यूनिकोड आधारित हिंदी कंप्यूटर कार्यशाला का भी आयोजन किया गया।

i. हिंदी में प्रकाशित सामग्री:

1. राजभाषा पंचांग (हिंदी डेस्कटॉप कैलेंडर)
2. राजभाषा न्यूज़लेटर
3. मिशन राजभाषा (ब्रोचर)

ii. हिंदी में डिजिटल प्रकाशन:

1. आधिकारिक वेबसाइट में पत्तन राजभाषा
2. पत्तन संबंधी ई-शब्दकोश
3. ई-लाइब्रेरी
4. नोटिंग और ड्राफ्टिंग से संबंधित ई-नोट्स
5. ई-प्रशासनिक शब्दावली
6. ई-सुविचार और संदेश (प्रतिदिन डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड पर प्रदर्शित)

iii. संगठन में उपयोग किए जाने वाले राजभाषा उपकरण और सॉफ़्टवेयर:

1. ई-शब्दावली
2. ई-ग्रामर
3. ई-स्पेलिंग चेकर
4. ई-फ़ॉन्ट कनवर्टर
5. ई-अनुवाद

जी. राजभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन

इस वर्ष के दौरान, हिंदी कार्यशालाओं और हिंदी पखवाड़े के आयोजन के अलावा, राजभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जो इस प्रकार हैं।

1. 31 जुलाई 2025 को सभी विभागों के अधिकारी तथा कर्मचारियों के लिए अल्पकालिक अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
2. 10 जून 2026 को सभी विभागों के अधिकारी तथा कर्मचारियों के लिए राजभाषा प्रबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

6. सतर्कता विभाग

1. कर्मचारी स्थिति

1.1 मुख्य सतर्कता अधिकारी सतर्कता विभाग के प्रमुख हैं, तथा वह केवल अध्यक्ष, कोचिन पत्तन प्राधिकरण को रिपोर्ट करते हैं।

1.2 उप मुख्य सतर्कता अधिकारी, सतर्कता निरीक्षक, प्रबंधक, वरिष्ठ लेखाकार और एक वरिष्ठ कार्यालय परिचर भी इस विभाग में तैनात हैं।

2. सतर्कता कार्य

सतर्कता विभाग के कार्यों को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है:

(i) निवारक सतर्कता,

(ii) दंडात्मक सतर्कता और

(iii) निगरानी और पता लगाना

i) निवारक सतर्कता

इस अवधि के दौरान सत्यनिष्ठा संधि के अंतर्गत 19 अनुबंधों की समीक्षा की गई, जिनमें 9 सिविल अभियंत्रण अनुबंध, 4 यांत्रिक अभियंत्रण अनुबंध और 6 समुद्री अनुबंध शामिल हैं। कोचिन पत्तन में श्री टी. प्रभु, मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा 27.10.2025 को विभागाध्यक्षों और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में सत्यनिष्ठा शपथ दिलाकर सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 का उद्घाटन किया गया। विभागों/मंडल कार्यालयों में भी सत्यनिष्ठा की शपथ ली गई। सप्ताह के दौरान पत्तन कर्मचारियों द्वारा सीवीसी वेबसाइट के माध्यम से सत्यनिष्ठा की ई-शपथ ली गई। सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय था "सतर्कता: हमारी साझा ज़िम्मेदारी"। कोचिन पत्तन ने अपने कर्मचारियों और आम जनता में सतर्कता जागरूकता फैलाने हेतु 29.10.2025 को एक साइक्लोथॉन का भी आयोजन किया।

सप्ताह के दौरान कोचिन पत्तन के कर्मचारियों के लिए निबंध लेखन प्रतियोगिता और केंद्रीय विद्यालय पोर्ट ट्रस्ट और ब्रिस्टो स्कूल, विल्लिंगडन आईलैण्ड के बच्चों के लिए पोस्टर डिजाइनिंग प्रतियोगिता आयोजित की गईं। कर्मचारियों और बच्चों दोनों ने प्रतियोगिताओं में सक्रिय रूप से भाग लिया। कोचिन पत्तन प्राधिकरण के सम्मेलन कक्ष में 03.11.2025 को अध्यक्ष श्री बी. काशीविश्वनाथन, आईआरएसएमई द्वारा प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए।

(ii) दंडात्मक सतर्कता

विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों की जांच की गई तथा सतर्कता दृष्टिकोण वाले सत्यापन योग्य आरोपों के मामलों में जांच की गई तथा सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

(iii) निगरानी और पता लगाना

इस अवधि के दौरान भ्रष्टाचार से प्रभावित माने जाने वाले क्षेत्रों में 12 आवधिक निरीक्षण और 6 औचक निरीक्षण किए गए। इस अवधि के दौरान 1 सिविल अभियंत्रण अनुबंधों का सीटीई प्रकार का निरीक्षण किया गया और रिपोर्ट सतर्कता विभाग, कोचिन पत्तन प्राधिकरण द्वारा सीटीई, सीवीसी को भेज दी गई।

शिकायतों की जांच के दौरान जहां भी अनियमितताएं पाई गईं, वहां संबंधित प्राधिकारी द्वारा आवश्यक कार्रवाई/सुधारात्मक उपाय करने की सिफ़ारिश की गई। वर्ष 2025-2026 की अवधि के दौरान सतर्कता विभाग की सलाह के अनुसार 01 प्रणालीगत सुधार लागू किए गए।

3. समीक्षा बैठकों का आयोजन

जांच रिपोर्ट, अनुशासनात्मक मामले और अन्य सतर्कता शिकायतों/मामलों जैसे सभी लंबित मामलों की मासिक समीक्षा की गई।

अनुशासनात्मक मामलों पर मासिक रिपोर्ट मंत्रालय को भेजी गई तथा सत्यनिष्ठा समझौते के तहत अनुबंधों की मासिक स्थिति पोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड

की गई।

भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधियों, लंबित सीबीआई अभियोजन स्वीकृति, सीटीई प्रकार के निरीक्षणों, सिविल, होर्टिकल्चर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंसल्टेंसी कार्यों और सेवा अनुबंधों, बागवानी कार्यों, परामर्श कार्यों, भूमि पट्टे अनुबंधों और स्टोर तथा दवाओं की खरीद के लिए तिमाही रिपोर्ट सीटीई, सीवीसी को भेजी गई।

वर्ष 2025-26 के प्रत्येक तिमाही के लिए सीवीओ, सीओपीए के सतर्कता कार्यों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट सीवीसी पोर्टल पर अपलोड की गई।

7. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

संगठन के कार्य और कर्तव्य, अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमताओं और कर्तव्य, मानदंड आदि जैसी सूचनाएं अधिनियम में निर्धारित अनुसार स्वैच्छिक रूप से प्रकट की गई हैं और वेबसाइट www.cochinport.gov.in पर अपलोड कर दी गई हैं।

आरटीआई अधिनियम के तहत कोचिन पत्तन प्राधिकरण के लिए पारदर्शिता अधिकारी के रूप में सचिव को नियुक्त किया गया है। कोचिन पत्तन प्राधिकरण के 7 विभागों और सीएफ़एच के लिए 7 केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और 8 सहायक लोक सूचना अधिकारी हैं। श्री सतीश होन्नकट्टे, उपाध्यक्ष, आरटीआई अधिनियम के तहत कोचिन पत्तन के अपीलीय प्राधिकारी हैं।

01-04-2025 से 31-03-2026 के दौरान उक्त अधिनियम के अंतर्गत 149 आवेदन और 16 अपीलें प्राप्त हुईं और सभी आवेदनों का निर्धारित समय के मध्य निपटान किया गया।

8. आईएसओ प्रमाणन

कोचिन पत्तन प्राधिकरण को नए आईएसओ 9001:2015 मानक के अंतर्गत आईएसओ प्रमाणन प्रदान किया गया है और यह 18 दिसंबर, 2027 तक वैध है।

9. सुरक्षा दृष्टिकों

ए) प्रदूषण नियंत्रण

पत्तन में आने वाले टैंकरों का नियमित निरीक्षण किया जाता है, ताकि मर्चेंट शिपिंग अधिनियम की धारा 356जी और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के एमएआरपीओएल विनियमों की आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके, ताकि तटीय और पत्तन के पानी में तेल का रिसाव रोका जा सके। इसे दस्तावेज में दर्ज किया गया और फ़ाइल किया गया।

2025-2026 के दौरान प्रदूषण की कोई बड़ी घटना नहीं हुई। आंतरिक पत्तन के पानी में प्रदूषण नियंत्रण नाव द्वारा नियमित गश्त की गई।

सभी जहाज़ों को जिन्हें आईएमओ के मारपोल विनियमों का अनुपालन करने के लिए जहाज़ पर उत्पन्न विभिन्न श्रेणियों के कचरे का निपटान करना आवश्यक था, सुविधा प्रदान की गई। यह केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित निजी विक्रेताओं / ठेकेदारों को सूचीबद्ध करके किया गया। सभी विक्रेताओं और एजेंटों को डीजी शिपिंग द्वारा प्रबंधित ऑनलाइन पोर्टल "स्वच्छ सागर" के माध्यम से जहाज़ से उत्पन्न कचरे के संग्रह और निपटान में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं और औपचारिकताओं के बारे में सूचित किया जाता है।

कोचिन पत्तन में जहाज़ से निकलने वाले कचरे का संग्रहण और निपटान इस पोर्टल के माध्यम से पूरी तरह से ऑनलाइन है और इसे सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा रहा है। यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि सभी विक्रेता प्रक्रियाओं का पूरी तरह से और व्यवस्थित रूप से पालन कर रहे हैं और पोर्टल पर प्राप्ति रसीद अपलोड कर रहे हैं। इस ऑनलाइन प्रक्रिया से कोचिन पत्तन में आने वाले जहाज़ों के मालिकों को वास्तविक आगमन की तिथि से काफी पहले उपयुक्त विक्रेताओं को नियुक्त करने में सुविधा हो गई है।

कोचिन पत्तन ने सामान्य परिचालन के दौरान जहाज़ों द्वारा उत्पन्न अपशिष्टों के लिए रिसेप्शन सुविधाओं के संबंध में आईएमओ मारपोल आवश्यकताओं और डीजी शिपिंग परिपत्र 06/2018 का अनुपालन किया है और ग्राहकों द्वारा कोई कमी नहीं देखी गई है।

डीजी शिपिंग की अपेक्षा के अनुसार, मारपोल 73/78 के अंतर्गत अनिवार्य रिपोर्ट मासिक आधार पर एमएमडी को भेजी जा रही है।

कोचिन पत्तन पर कॉल करने वाले जहाजों द्वारा स्वच्छ सागर पोर्टल से अपशिष्ट निपटान डेटा की मासिक रिपोर्ट ईमेल द्वारा केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण को भेजी जा रही है।

प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की परिचालन तत्परता सुनिश्चित करने और आकस्मिक योजना के अनुसार कर्मियों को परिचित कराने के लिए नियमित अंतराल पर तेल रिसाव अभ्यास और आपातकालीन अभ्यास आयोजित किए गए। प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की कार्यात्मक जांच और अभ्यास का रिकॉर्ड कोचिन पत्तन प्राधिकरण के अग्निशमन सेवा द्वारा बनाए रखा जाता है।

आईसीजी और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा 20-21 सितंबर 2024 को कोचिन पत्तन की टियर 1 प्रदूषण प्रतिक्रिया क्षमताओं का संयुक्त निरीक्षण किया गया।

4 और 5 अक्तूबर 2025 को, चेन्नई में आयोजित एनओएसडीसीपी और तैयारी बैठक में एमएमपीसी ने भाग लिया।

18 नवंबर 2025 को एमएमपीसी ने नई दिल्ली स्थित आईसीजी मुख्यालय में कोचिन पत्तन का ओएसडीसीपी प्रस्तुत किया। तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना को समिति द्वारा 18 नवंबर से प्रभावी पांच वर्षों के लिए कुछ सिफारिशों के साथ जांचा गया।

वर्ष के दौरान निम्नलिखित अभ्यास आयोजित किए गए

1) प्रमुख अभ्यास / संयुक्त अभ्यास - 3

2) आंतरिक मॉक ड्रिल-2

08/03/2025 को कोचिन पत्तन फायर सर्विस द्वारा आंतरिक मॉक ड्रिल और उपकरणों का परीक्षण किया गया।

08/05/2025 को कोचिन पत्तन द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण अभ्यास आयोजित किया गया। इसमें केएसपीसीबी, आईसीडब्ल्यूएआई, केएसआईएनसी, केएमबी, टैंक फार्म संचालकों, तेल प्रबंधन एजेंसियों और आईसीजी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

09/05/2025 को, कोचिन पत्तन प्राधिकरण और बीपीसीएल द्वारा संयुक्त रूप से एसपीएम में तेल रिसाव पर मॉक ड्रिल आयोजित की गई।

22/08/2025 को, आईसीजी द्वारा कोचिन पत्तन की सक्रिय भागीदारी के साथ एक परिचयात्मक सत्र और अभ्यास का आयोजन किया गया। केएसपीसीबी, केरल अग्निशमन एवं बचाव विभाग, सीआईएफटी, केयूएफओएस, सीयूएसएटी, मत्स्य पालन विभाग, तेल प्रबंधन एजेंसियों, केरल पुलिस, केएमबी, एमएमडी आदि के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

10/02/2026 को, कोचिन पत्तन प्राधिकरण के अग्निशमन और समुद्री कर्मचारियों द्वारा ओएसआर उपकरणों का आंतरिक मॉक ड्रिल और प्रदर्शन आयोजित किया गया।

ए) सीओपीए द्वारा आईएसपीएस का अनुपालन

पत्तन सुविधा सुरक्षा योजना के अनुसार आईएसपीएस अभ्यास आयोजित किए गए। पिछले वर्ष कोई बड़ा सुरक्षा खतरा नहीं था। एसपीएम सहित पत्तन सुविधा प्रतिष्ठानों के सभी क्षेत्रों में नियमित रूप से सुरक्षा गश्त और निरीक्षण किए गए।

सागर कवच 01/25 तटीय सुरक्षा अभ्यास भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल द्वारा संयुक्त रूप से 2 और 3 अप्रैल 2025 को आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में सीआईएसएफ और निजी सुरक्षा एजेंसियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

सागर कवच 02/25 तटीय सुरक्षा अभ्यास भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल द्वारा संयुक्त रूप से 6 और 7 नवंबर 2026 को आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में सीआईएसएफ और निजी सुरक्षा एजेंसियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

सागर कवच 01/26 तटीय सुरक्षा अभ्यास भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल

द्वारा संयुक्त रूप से 11 और 12 मार्च 2026 को आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में सीआईएसएफ और निजी सुरक्षा एजेंसियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

एमएमडी द्वारा आईएसपीएस का वार्षिक ऑडिट 25/07/2025 और 28/07/2025 को किया गया था। 'अनुपालन विवरण' पर एमएमडी सर्वेक्षक द्वारा वार्षिक ऑडिट को प्रमाणित करते हुए अनुमोदन दिया गया था।

डीजी शिपिंग द्वारा निर्धारित निर्देशों के अनुसार, अध्यक्ष की अध्यक्षता में पीएफएसएसी की बैठकें आयोजित की गईं। केरल पुलिस, नौसेना, आईसीजी, सीमा शुल्क, आव्रजन, आईबी और तटीय पुलिस सहित विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियां इसमें उपस्थित थे।

10. प्रबंधन विकास कार्यक्रम

पत्तन के अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने के प्रयासों के तहत, वर्ष के दौरान विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, सेमिनारों/सम्मेलनों के लिए 34 अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त किया गया।

प्रबंधन विकास कार्यक्रम के एक अंश के रूप में 17 घरेलू प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

कोचिन पत्तन प्राधिकरण के पत्तन सम्मेलन कक्ष, प्रशासनिक भवन/डीएलडी में 17 आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

II यातायात

वर्ष के दौरान पत्तन द्वारा हस्तन किए गए कुल यातायात में 0.84% की वृद्धि दर्ज की गई, जो गत वर्ष के 377.45 लाख टन की तुलना में 380.63 लाख टन की आंकड़ा को प्राप्त किया है। द्रव्य बल्क में 4.63% की वृद्धि और शुष्क बल्क में 13.48% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वर्ष की तुलना में ब्रेक बल्क में 31.19% की वृद्धि और कंटेनरीकृत कार्गो में 8.55% की वृद्धि दर्ज की गई। हस्तन किए गए यातायात का विवरण निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है।

(लाख टनों में)

ए. बल्क कार्गो	2025-26		2024-25	
	मात्रा	कुल की प्रतिशतता	मात्रा	कुल की प्रतिशतता
I. द्रव्य कार्गो	262.58	68.99	250.97	66.49
II. शुष्क कार्गो				
1. ऊर्बरक एवं इसका कच्चा माल	1.98	0.52	2.23	0.59
2. इल्मेनाइट रेत	0.25	0.07	0.42	0.11
3. सीमेंट	10.72	2.82	8.36	2.21
4. नमक	1.02	0.27	1.31	0.35
5. अन्य	0	0.00	0	0.00
कुल	**13.98**	**3.67**	**12.32**	**3.26**
बी. ब्रेक बल्क कार्गो	1.03	0.27	1.49	0.39
सी. कंटेनरयुक्त कार्गो	103.03	27.07	112.67	29.85
कुल योग	**380.63**	**100.00**	**377.45**	**100.00**

वर्ष के दौरान तटीय माल यातायात 3.59% बढ़कर 129.96 लाख टन हो गया, जो पिछले वर्ष 125.46 लाख टन था। विदेशी माल यातायात 251.99 लाख टन से 0.53% घट कर 250.67 लाख टन हुआ है। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान किए गए तटीय और विदेशी व्यापार का विवरण नीचे दिया गया है:

(लाख टनों में)

	निर्यात		आयात		कुल	
यातायात	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
तटीय	58.32	57.75	71.65	67.71	129.96	125.46
विदेशी	30.24	32.17	220.43	219.82	250.67	251.99
कुल	**88.55**	**89.92**	**292.08**	**287.53**	**380.63**	**377.45**

आयात

वर्ष के दौरान हस्तन किए गए कुल आयात यातायात में 1.58% की वृद्धि दर्ज की गई जो पिछले वर्ष के 287.53 लाख टन से बढ़कर 292.08 लाख टन हुआ है। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान वस्तुवार आयात को दर्शाने वाला विवरण नीचे दिया गया है।

(टनों में)

सामग्री	2025-26		2024-25	
	मात्रा	कुल की प्रतिशतता	मात्रा	कुल की प्रतिशतता
पीओएल *	19456529	66.61	18989449	66.04
ऊर्वरक	0	0.00	0	0.00
ऊर्वरक तथा कच्चा माल	198496	0.69	222711	0.78
कंटेनर	6357779	21.77	6917352	24.06
अन्य कार्गो	3194707	10.94	2623317	9.12
कुल	**29207511**	**100.00**	**28752829**	**100.00**

* कच्चा तेल और पीओएल शामिल है।

निर्यात

वर्ष के दौरान कुल निर्यात यातायात में 1.53% की कमी दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष के 89.93 लाख टन से घट कर 88.55 लाख टन हुआ है।
पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान किए गए निर्यात का वस्तुवार विवरण नीचे दिया गया है।

(टनों में)

सामग्री	2025-26		2024-25	
	मात्रा	कुल की प्रतिशतता	मात्रा	कुल की प्रतिशतता
(i) पीओएल *	4852267	54.80	4568736	50.81
(ii) कंटेनर				
चाय	69771	0.79	84452	0.94
काजू दाना	9908	0.11	15495	0.17
समुद्री खाद्य पदार्थ	402976	4.55	169757	1.89
कॉयर उत्पाद	167735	1.89	351471	3.91
रबर एवं रबर उत्पाद	110138	1.24	111859	1.24
मसाले	105365	1.19	118257	1.32
काफी	20267	0.23	19402	0.22
अन्य	3059073	34.55	3478675	38.68
(iii) अन्य बल्क	57537	0.65	74510	0.83
कुल	**8855038**	**100.00**	**8992614**	**100.00**

* कच्चा तेल और पीओएल शामिल है

कंटेनर यातायात

वर्ष के दौरान कंटेनर कार्गो का भार (खाली कंटेनरों के भार को छोड़कर) पिछले वर्ष के 93.15 लाख टन से 08.67% घटकर 85.07 लाख टन हुआ है। वर्ष के दौरान कंटेनरों में निर्यात गत वर्ष के 33.73 लाख टन से 9.67% घटकर 30.47 लाख टन हो गया है तथा वर्ष के दौरान कंटेनरों में आयात गत वर्ष के 59.42 लाख टन से 8.1% घटकर 54.6 लाख टन हो गया है, जैसा कि निम्नलिखित विवरण में देखा जा सकता है।

(टनों में)

सामग्री	मात्रा		कुल की प्रतिशतता	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
निर्यात				
काजू दाना	9908	15495	0.12	0.17
कॉयर उत्पाद	402976	351471	4.74	3.77
काली मिर्च	14448	14213	0.17	0.15
समुद्री खाद्य उत्पाद	167735	169757	1.97	1.82
चाय	69771	84452	0.82	0.91
हल्दी	9335	8778	0.11	0.09
काफी	20267	19402	0.24	0.21
रसायन	97188	75338	1.14	0.81
विविध	2255127	2634097	26.51	28.28
कुल	**3046756**	**3373003**	**35.81**	**36.21**
आयात				
मशीनरी	19505	26477	0.23	0.28
चाय	12237	16942	0.14	0.18
रसायन	511259	446472	6.01	4.79
विविध	4917326	5451915	57.80	58.53
कुल	**5460327**	**5941806**	**64.19**	**63.79**
कुल योग	**8507083**	**9314809**	**100.00**	**100.00**

वर्ष के दौरान हस्तन किए गए कुल कंटेनरों की संख्या में गत वर्ष के 834665 टी.ई.यू. से घटकर 767948 टी.ई.यू. हो गई, जो 7.99% की कमी दर्शाती है, जैसा कि निम्नलिखित विवरण में देखा जा सकता है।

विवरण	2025-26	2024-25
I) रवाना किए गए पूर्णतया कंटेनरयुक्त जहाज़ों की संख्या	552	638
ii) हस्तन किए गए भरे कंटेनरों की संख्या		
(a) निर्यात		
(I) 20 फीट	7514	84480
(ii) 40/45 फीट	86902	91071
कुल	**94416**	**175551**
(b) आयात		
(I) 20 फीट	160958	173804
(ii) 40/45 फीट	56831	66525
कुल	**217789**	**240329**

(c) कुल योग		
(I) लदे हुए कंटेनरों की संख्या		
वास्तविक संख्या	376205	415880
टीईयू	519938	573476
(ii) खाली कंटेनरों की संख्या		
वास्तविक संख्या	184295	198090
टीईयू	248010	261189
कुल		
वास्तविक संख्या	560500	613970
टीईयू	767948	834665

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान आईसीडी से प्राप्त और भेजे गए टीईयू की संख्या को दर्शाने वाला विवरण नीचे दिया गया है।

विवरण	कुल योग आईसीडी
	कंटेनरों की संख्या (टीईयू)
प्राप्त	0 (0)
भेजे गए	0 (0)
कुल	**0** **(0)**

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं।

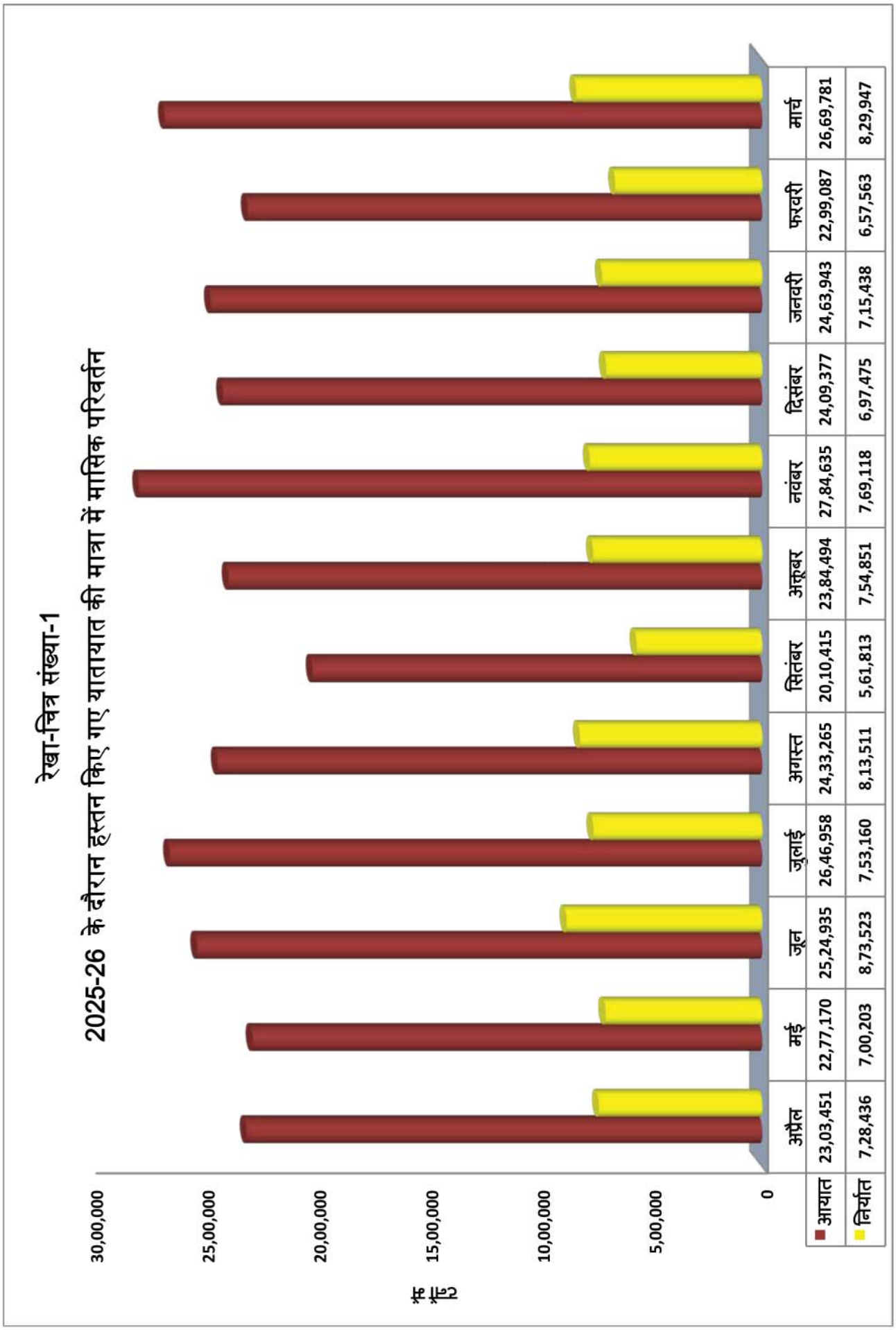
सीएफएस सुविधा

सुविधा	2025-26	2024-25
सीएफएस स्टफिंग/डी-स्टफिंग (टीईयू)	4494	4276
बैगेज शेड डी-स्टफिंग (टीईयू)	948	1056

कोचिन पत्तन के सीएफएस ने अप्रैल से मार्च 2025-26 की अवधि के लिए 2024-25 की इसी अवधि की तुलना में भरे और खाली किए गए कार्गो कंटेनरों की मात्रा में 5.09% की वृद्धि दर्ज की है।

रेखा-चित्र संख्या-1

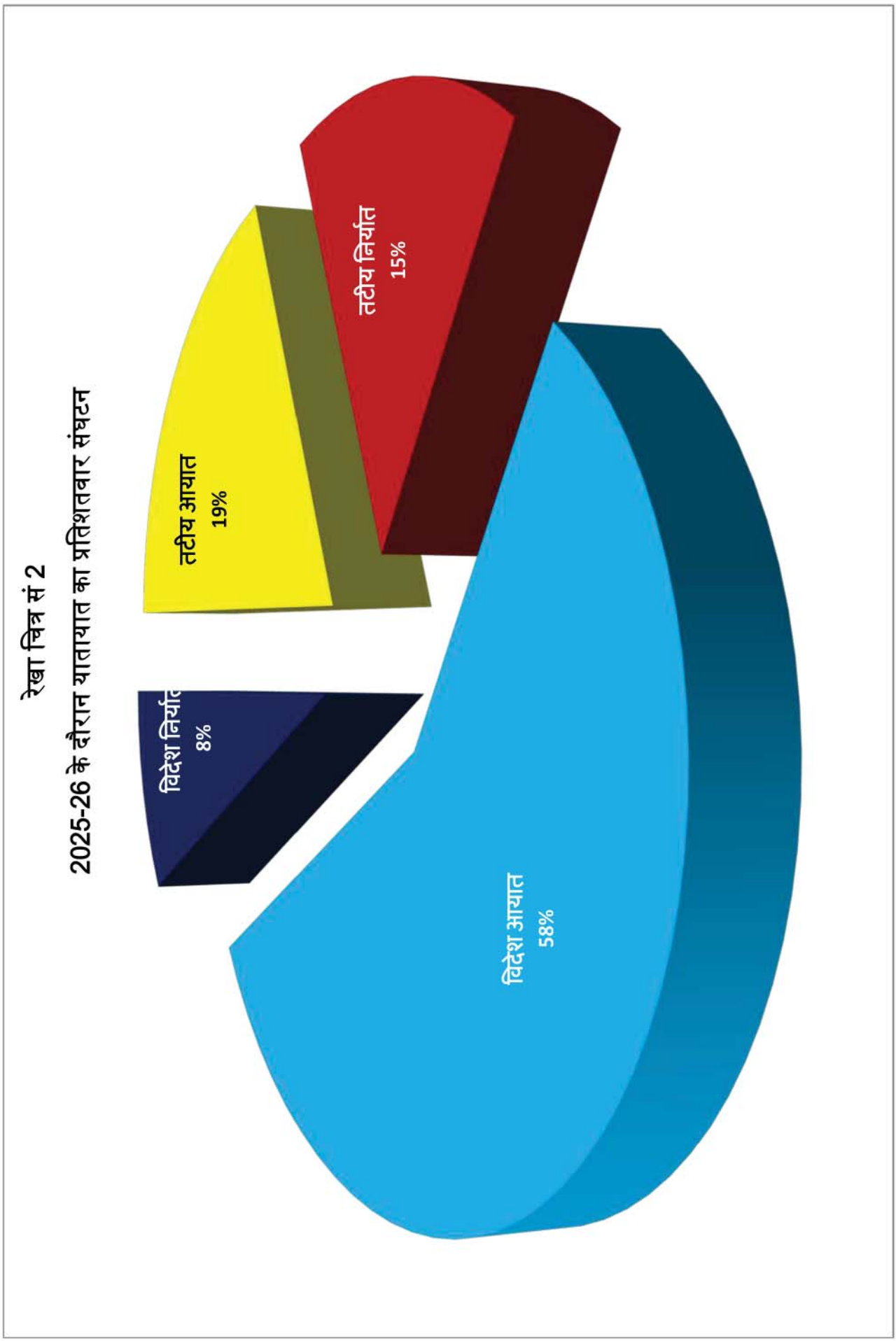
2025-26 के दौरान हस्तन किए गए यातायात की मात्रा में मासिक परिवर्तन

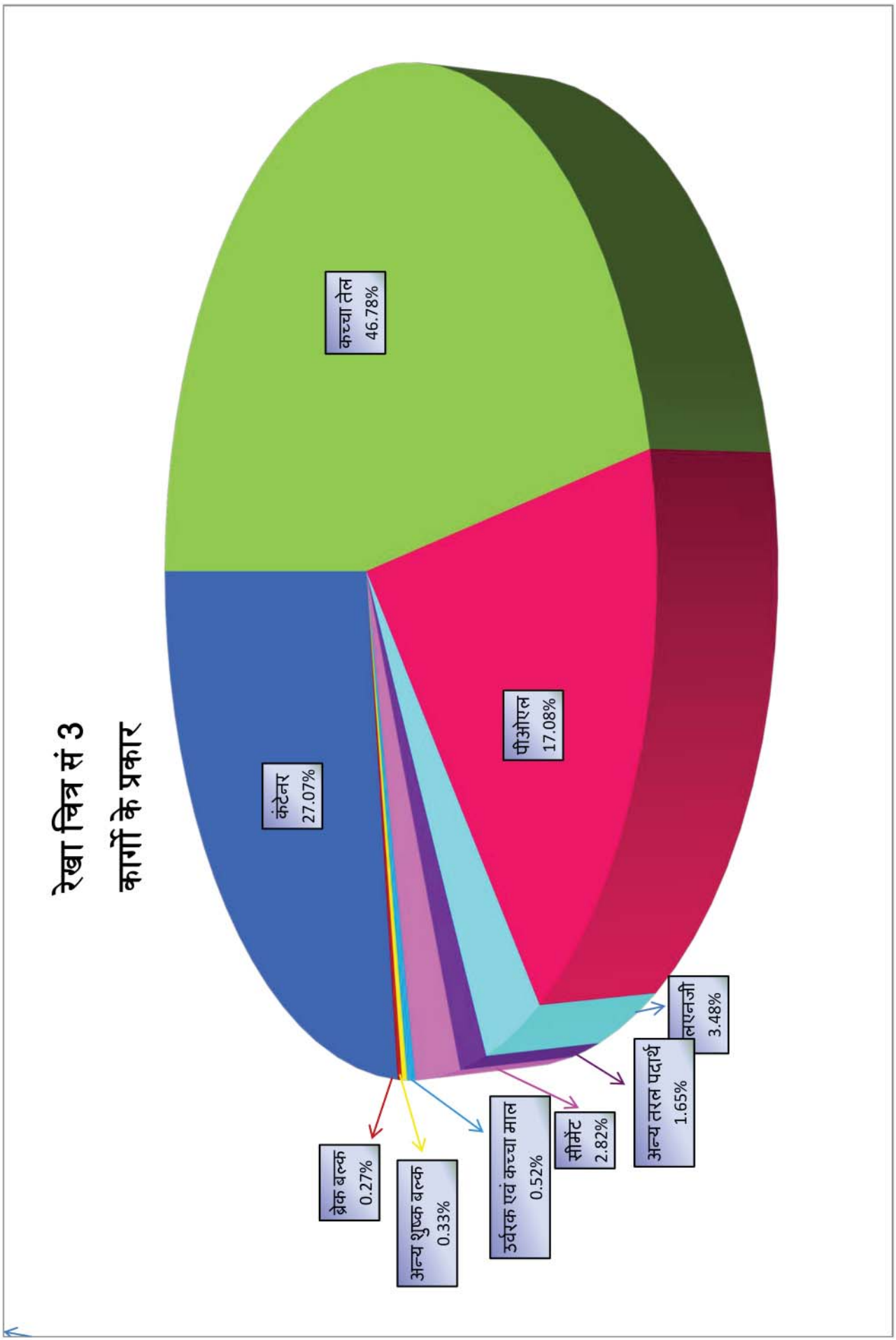


	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितंबर	अक्तूबर	नवंबर	दिसंबर	जनवरी	फरवरी	मार्च
आयात	23,03,451	22,77,170	25,24,935	26,46,958	24,33,265	20,10,415	23,84,494	27,84,635	24,09,377	24,63,943	22,99,087	26,69,781
निर्यात	7,28,436	7,00,203	8,73,523	7,53,160	8,13,511	5,61,813	7,54,851	7,69,118	6,97,475	7,15,438	6,57,563	8,29,947

रेखा चित्र सं 2

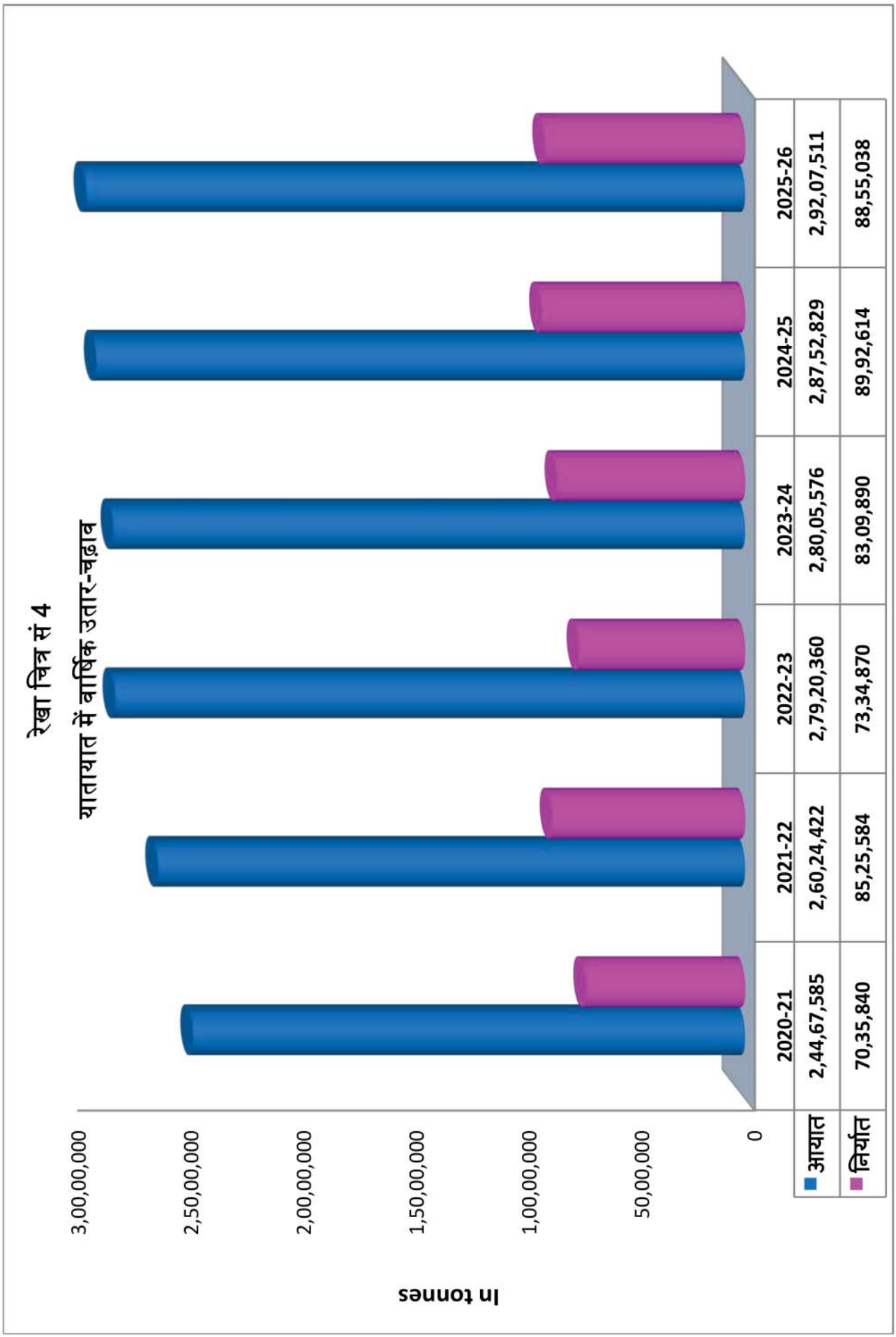
2025-26 के दौरान यातायात का प्रतिशतवार संघटन




रेखा चित्र सं 3
कार्गो के प्रकार
कच्चा तेल
46.78%
पीओएल
17.08%
कंटेनर
27.07%
ब्रेक बल्क
0.27%
अन्य शुष्क बल्क
0.33%
उर्वरक एवं कच्चा माल
0.52%
सीमेंट
2.82%
अन्य तरल पदार्थ
1.65%
लएनजी
3.48%

रेखा चित्र सं 4

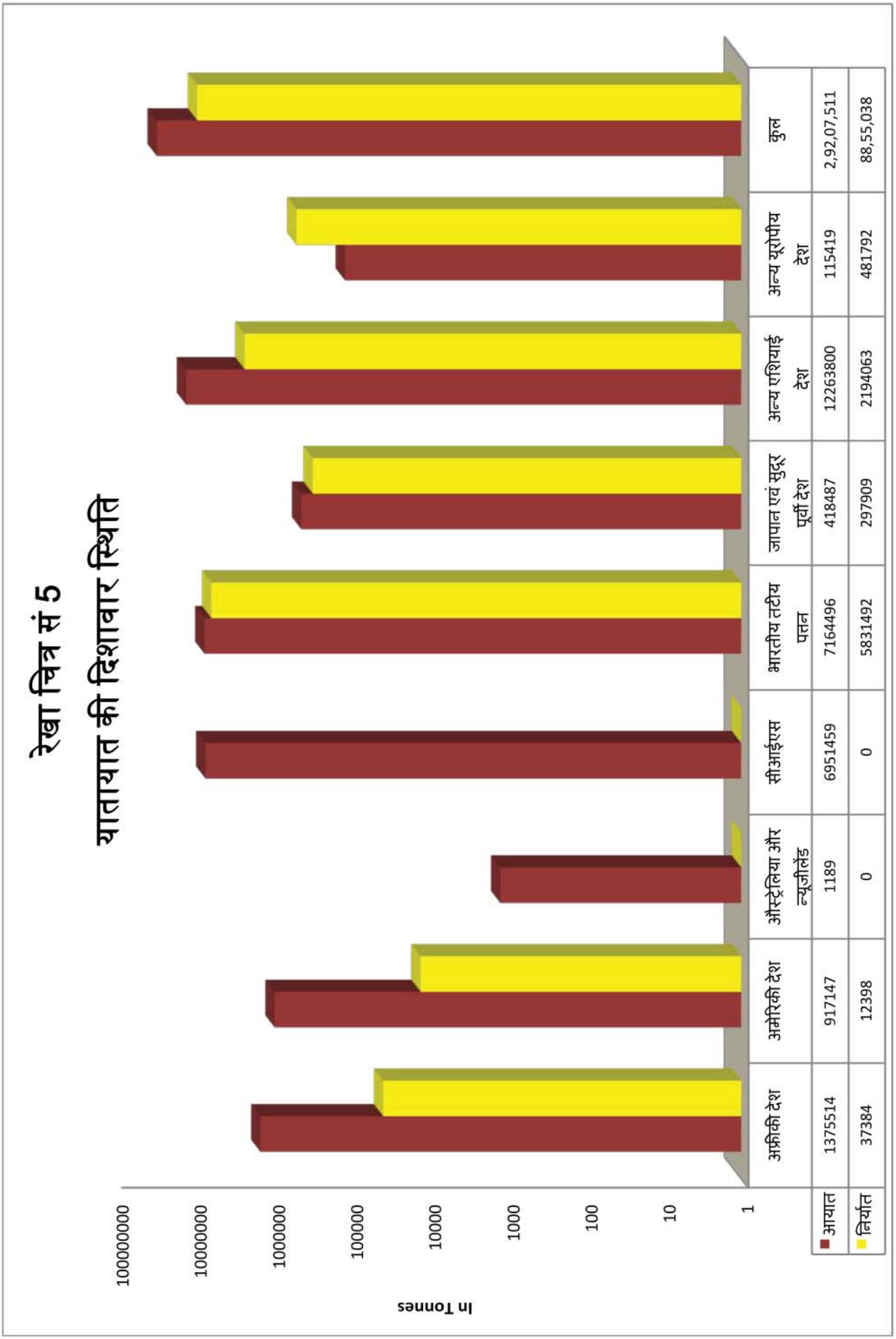
यातायात में वार्षिक उतार-चढ़ाव



	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
आयात	2,44,67,585	2,60,24,422	2,79,20,360	2,80,05,576	2,87,52,829	2,92,07,511
निर्यात	70,35,840	85,25,584	73,34,870	83,09,890	89,92,614	88,55,038

रेखा चित्र सं 5

यातायात की दिशावार स्थिति



	अफ्रीकी देश	अमेरिकी देश	ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड	सीआईएस	भारतीय तटीय पत्तन	जापान एवं सुदूर पूर्वी देश	अन्य एशियाई देश	अन्य यूरोपीय देश	कुल
आयात	1375514	917147	1189	6951459	7164496	418487	1263800	115419	2,92,07,511
निर्यात	37384	12398	0	0	5831492	297909	2194063	481792	88,55,038

रेखा चित्र सं 6

संचालित कंटेनर यातायात



	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
आयात	65,90,472	64,62,173	62,73,955	64,04,276	69,17,352	63,57,779
निर्यात	29,59,590	38,15,570	37,11,957	37,74,561	43,49,368	39,45,233

III.नौवहन

वर्ष 2025-26 के दौरान नौवहन गतिविधि में दर्ज की गई 2.26 % की वृद्धि के साथ पिछले वर्ष 1681 की तुलना में 1719 जहाज़ों का आगमन हुआ। वर्ष के दौरान पत्तन में प्रवेश किए जहाज़ों की कुल जीआरटी में पिछले वर्ष की तुलना में 3.78 % की वृद्धि हुई, जो निम्न विवरण में दर्शाया गया है :

वर्ष	प्रविष्टि		प्रस्थान	
	जहाज़ों की संख्या	जीआरटी (टनों में)	जहाज़ों की संख्या	जीआरटी (टनों में)
2020-21	1486	39281923	1475	39532933
2021-22	1519	40794635	1509	40958154
2022-23	1559	42978746	1549	42670164
2023-24	1732	50749190	1730	50675746
2024-25	1681	49304003	1672	49500419
2025-26	1719	47440450	1713	47433153

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान पत्तन में आए जहाज़ों के वर्गवार विश्लेषण नीचे दर्शाया गया है:

प्रविष्ट जहाज़ों के प्रकार	जहाज़ों की संख्या		जीआरटी (टनों में)	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
टैंकर	553	535	24557793	24230216
कोयलावाहक	0	0	0	0
खाद्यान्न	0	0	0	0
उर्वरक	0	0	0	0
सुखा बल्क	72	60	1250513	1028733
सामान्य कार्गो	35	33	224444	224533
कंटेनर	554	637	17968798	20462611
यात्री जहाज़	29	32	1342534	1593468
यात्री जहाज़ एवं अन्य	476	384	2096368	1764442
कुल	**1719**	**1681**	**47440450**	**49304003**

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान 3000 से ऊपर तथा कम जीआरटी वाले निकासित जहाज़ों की संख्या में दर्शाये गए गिरावट निम्न विवरण में देखा जा सकता है:

जहाज़ों के जीआरटी (टनों में)	2025-26			2024-25		
	तटीय	विदेशी	कुल	तटीय	विदेशी	कुल
2999 तक	184	14	198	136	15	151
3000-6999	269	23	292	233	28	261
7000-14999	89	76	165	39	75	114
15000-39999	452	212	664	526	270	796
40000 एवं इससे अधिक	113	281	394	49	301	350
कुल	**1107**	**606**	**1713**	**983**	**689**	**1672**

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान प्रविष्टि किए एवं निकासित जहाजों की औसत जीआरटी में वृद्धि हुआ है, जो निम्न विवरण में देखा जा सकता है:

स्टीमरों के औसतन जीआरटी		
वर्ष	प्रविष्ट	निकासी
2020-21	26435	26802
2021-22	26856	27143
2022-23	27568	27547
2023-24	29300	29292
2024-25	29330	29606
2025-26	27598	27690

2. नौचालन के मौसमी पैर्टन (कार्गो जहाज़)

वर्ष के दौरान माल वाहक जहाज़ों के प्रतिदिन औसत संख्या 4.49 रहा। पिछले वर्ष की तुलना के साथ वर्ष के दौरान वार्फ़ एवं स्ट्रीम में पत्तन में प्रतिदिन जहाज़ों के माहवार औसत का विश्लेषण नीचे दर्शाया गया है:

माह एवं वर्ष	2025-26			2024-25		
	वार्फ़ एवं एसपीएम में	स्ट्रीम में	कुल	वार्फ़ एवं एसपीएम में	स्ट्रीम में	कुल
अप्रैल	3.66	--	3.66	4.07	--	4.07
मई	3.85	--	3.85	4.06	--	4.06
जून	4.40	--	4.40	4.22	--	4.22
जुलाई	4.46	--	4.46	4.28	--	4.28
अगस्त	3.72	--	3.72	4.34	--	4.34
सितंबर	3.60	--	3.60	3.48	--	3.48
अक्तूबर	3.97	--	3.97	3.96	--	3.96
नवंबर	5.67	--	5.67	4.34	--	4.34
दिसंबर	4.03	--	4.03	4.80	--	4.80
जनवरी	3.94	--	3.94	4.30	--	4.30
फरवरी	3.87	--	3.87	4.78	--	4.78
मार्च	3.83	--	3.83	4.57	--	4.57
वार्षिक औसत	**4.49**	**--**	**4.49**	**4.72**	**--**	**4.72**

3. जहाजों के बर्थिंग वितरण

बर्थ संख्या	जलयानों की संख्या	
	2025-26	2024-25
क्यू1	49	29
क्यू2	20	0
क्यू3	6	0
क्यू4	110	97
क्यू5	94	88
क्यू6	69	72
क्यू7	64	46
क्यू8	55	52
क्यू9	90	42
क्यू10	36	28
बीटीपी	121	102
सीओटी	106	93
एनसीबी	62	73
एनटीबी	16	36
एससीबी	8	13
एसटीबी	0	1
एलएनजी	20	20
यूटीएल	55	66
वी2	274	320
वी3	278	317
एमयूएलटी	33	37
कुल -(ए)	**1566**	**1532**
एसपीएम- (बी)	132	135
सीएसएल/ डोक/अन्य -(सी)	15	5
कुल योग ए+बी+सी	**1713**	**1672**

4. बर्थ का अधिभोग

पिछले वर्ष की तुलना में बर्थ/जेट्टियों के औसत अधिभोग45.04% से बढ़कर वर्ष के दौरान 47.27% % हुआ है। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान विविध वार्फ बर्थ एवं जेट्टियों के अधिभोग प्रतिशतता को दर्शाते विवरण नीचे प्रदत्त है:

बर्थ सुविधाएं	अधिभोग की प्रतिशतता		
	बर्थ संख्या	2025-26	2024-25
क्यू1 - क्यू7	7	39.66	29.29
क्यू8 - क्यू9	2	44.94	32.92
क्यू10 (एफएसीटी)	1	33.04	37.68
एसटीबी तथा एनटीबी	2	6.41	8.93
सीओटी	1	55.63	48.80
बीटीपी	1	55.35	51.44
एनसीबी तथा एससीबी	2	39.21	28.24
वल्लारपाडम वी2 - वी3	2	61.65	72.94
एलएनजी	1	7.09	8.23
एमयूएलटी	1	15.01	24.71
यूटीएल	1	100.00	100.00
कुल-ए	**21**	**46.72**	**44.34**
बी. एसपीएम	1	58.71	59.77
कुल-योग (ए+बी)	**22**	**47.27**	**45.04**

5. नौचालन के फ्लेगवार विश्लेषण

पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान पत्तन से निकाले गए जहाज़ों का राष्ट्रीयतावार वितरण नीचे दर्शाया गया है:

जहाजों की राष्ट्रीयता	2025-26			2024-25		
	निकासित कार्गो जहाज़ों की संख्या	हस्तन किए गए कुल यातायात (लाख टनों में)	हस्तन किए गए कुल यातायात की प्रतिशतता	निकासित कार्गो जहाज़ों की संख्या	हस्तन किए गए कुल यातायात (लाख टनों में)	हस्तन किए गए कुल यातायात की प्रतिशतता
बहामियन	11	6.17	1.62	10	4.29	1.14
साइप्रस	1	0.05	0.01	6	0.41	0.11
भारतीय	629	172.06	45.21	614	151.26	40.07
लाइबीरियन	134	69.11	18.16	171	55.41	14.68
माल्टा	9	10.44	2.74	14	14.04	3.72
पनमानियन	102	25.98	6.83	128	46.12	12.22
सिंगपूर	121	23.72	6.23	130	21.14	5.60
अन्य	207	73.08	19.20	197	84.78	22.46
कुल	**1214**	**380.63**	**100.00**	**1270**	**377.45**	**100.00**

वर्ष के दौरान पत्तन में भारतीय जहाज़ों द्वारा कुल यातायात की 45.21 % हस्तन किए गए। हस्तन किए गए यातायात का पूर्ण फ्लेगवार विश्लेषण सांख्यिकीय परिशिष्ट के विवरण संख्या.7 में दिया गया है।

6. मार्गदर्शन प्रभार (पाइलटेज)

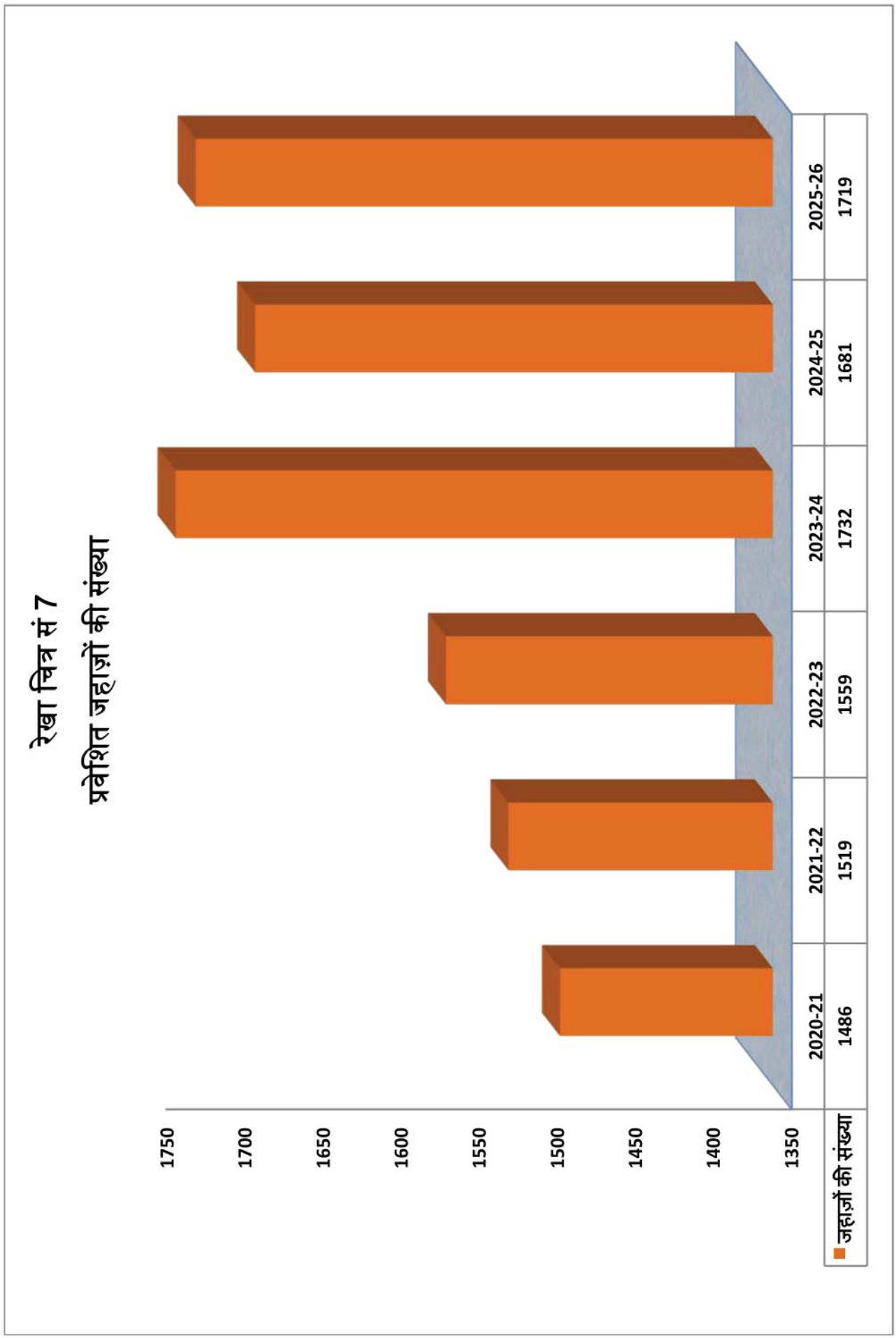
पिछले वर्ष 2024-25 में 6753.56 घंटों में कुल 4042 चलन की तुलना में वर्ष 2025-26 के दौरान 7421.02 घंटों में जहाजों के 4297 चलन हुआ। पिछले वर्ष के 1.67 घंटें प्रतिचालन की तुलना में अबकी बार प्रतिचालन का औसत समय 1.73 घंटा रहा।

7. यात्री यातायात

पिछले वर्ष क्रमश: 94479 एवं 104477 की तुलना में वर्ष के दौरान कोचिन पत्तन में/से प्रविष्टि एवं निकास यात्री जहाज़ों की कुल संख्या क्रमश: 105153 एवं 110797 रहा। सांख्यिकीय परिशिष्ट के विवरण संख्या 32 में यात्री यातायात का विवरण दिया गया है।

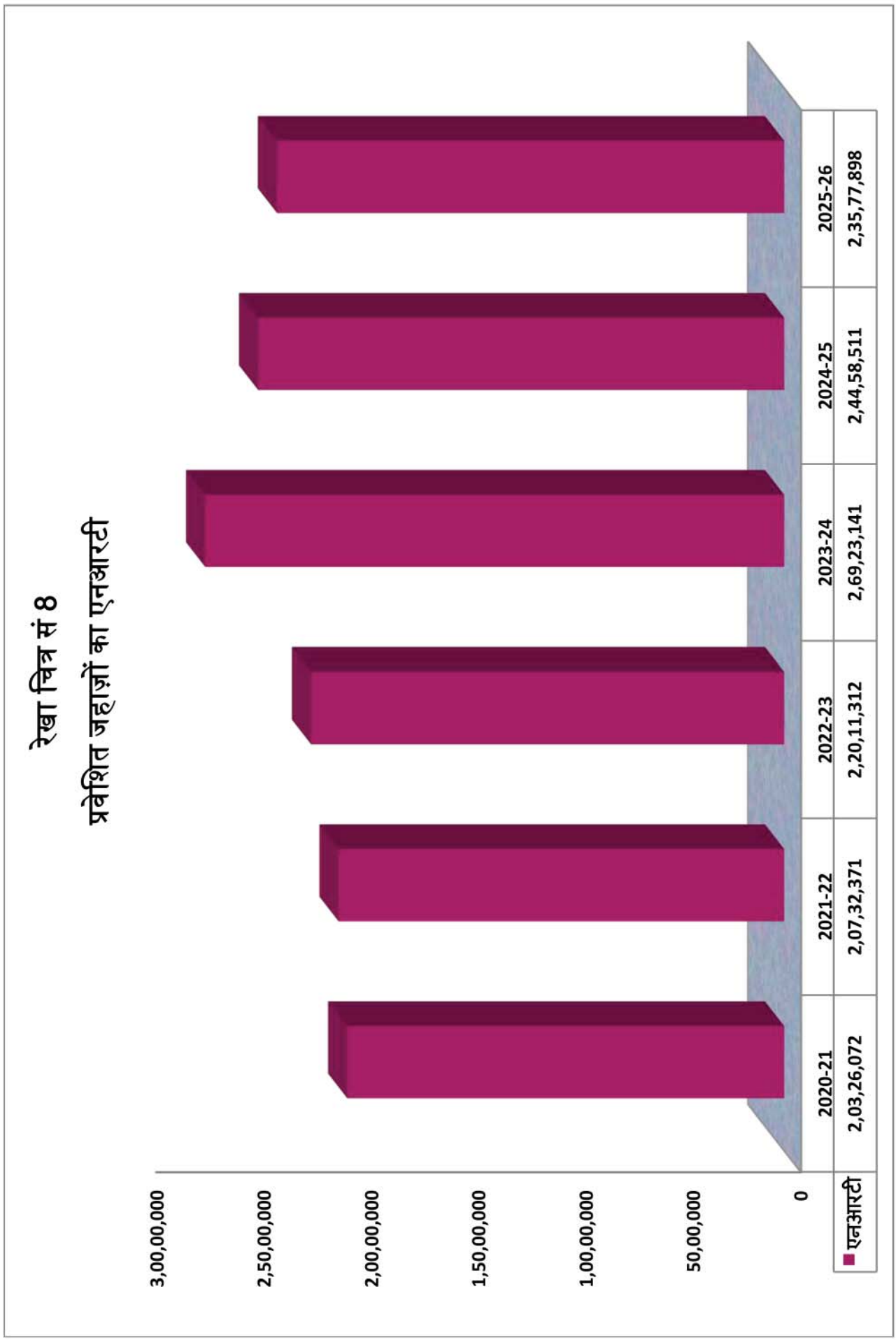
रेखा चित्र सं 7

प्रवेशित जहाज़ों की संख्या



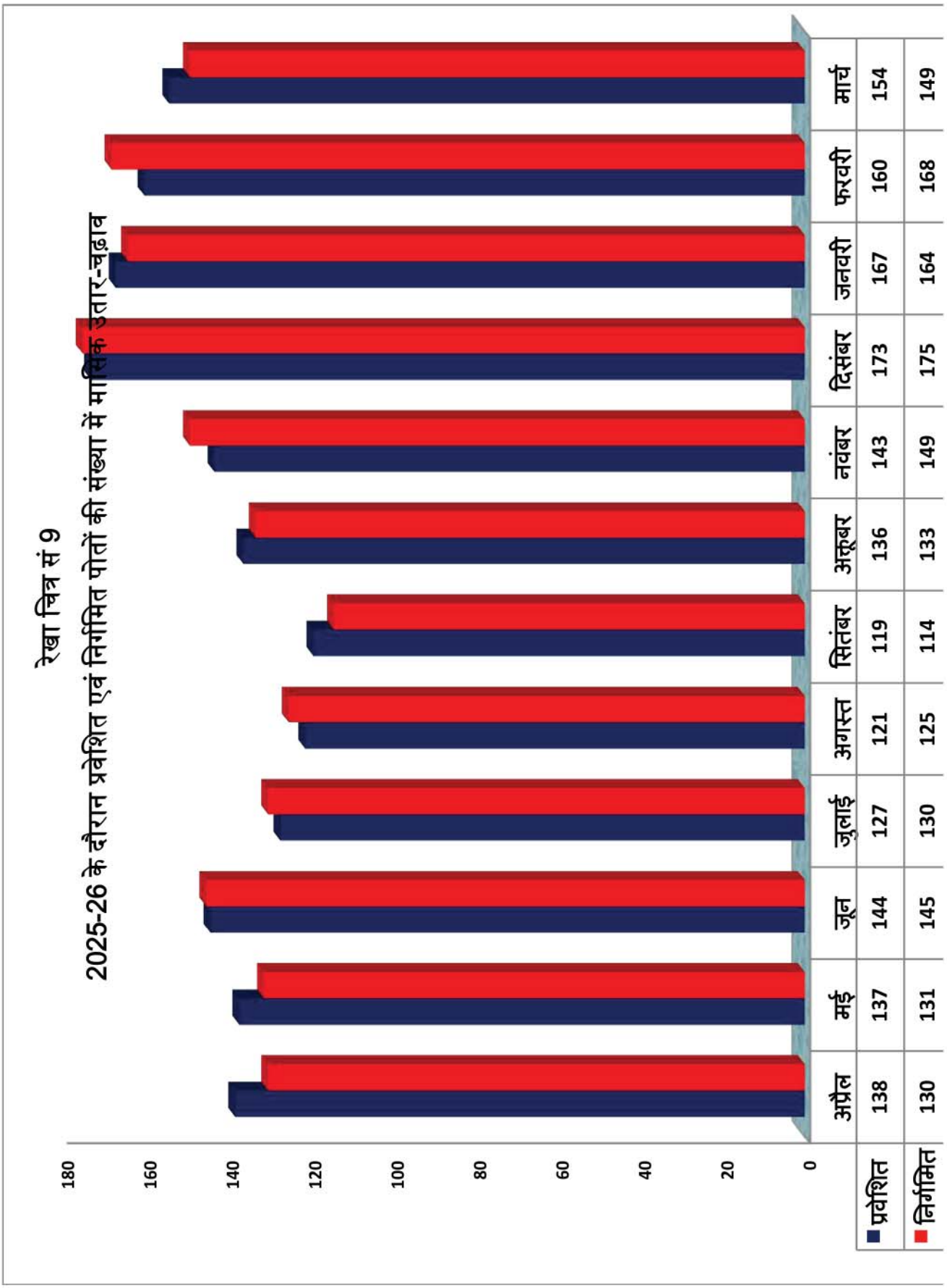
रेखा चित्र सं 8

प्रवेशित जहाज़ों का एनआरटी



रेखा चित्र सं 9

2025-26 के दौरान प्रवेशित एवं निर्गमित पोतों की संख्या में मासिक उतार-चढ़ाव



	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितंबर	अक्टूबर	नवंबर	दिसंबर	जनवरी	फरवरी	मार्च
प्रवेशित	138	137	144	127	121	119	136	143	173	167	160	154
निर्गमित	130	131	145	130	125	114	133	149	175	164	168	149

IV पत्तन परिचालन

वर्ष 2025-26 के दौरान, वार्फ़ में 54.37% एवं एसपीएम में 45.63% यातायात हस्तन किया गया। पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान हस्तन किए गए टन भार को दर्शाते विवरण नीचे दिया गया है।

(लाख टन में)

वर्ष	वार्फ़ में			एसपीएम/एसटीएस में			कुल योग
	आयात	निर्यात	कुल	आयात	निर्यात	कुल	
2025-26	118.39	88.55	206.94	173.68	0.00	173.68	380.63
	31.11%	23.26%	54.37%	45.63%	0%	45.63%	100%
2024-25	114.97	89.93	204.89	172.56	0.00	172.56	377.45
	30.46%	23.82%	54.28%	45.72%	0%	45.72%	100%

2. कार्गो हस्तन उपकरण का उपयोग

वर्ष 2025-26 के लिए कार्गो हस्तन उपकरणों का उपयोग सांख्यिकीय परिशिष्टों के विवरण संख्या 27 में दर्शाया गया है।

3. परिचालन दक्षता प्रदर्शन संकेतक

वर्ष 2025-26 के लिए प्रदर्शन संकेतक सांख्यिकीय परिशिष्ट के विवरण संख्या 17 और 18 में दर्शाए गए हैं। महत्वपूर्ण संकेतकों का विश्लेषण निम्नलिखित पैराग्राफ में दिया गया है।

ए) बर्थिंग पूर्व प्रतीक्षा समय

वर्ष 2024-25 के दौरान प्रत्येक कार्गो जहाज के लिए बाहरी सड़कों पर कुल बर्थिंग पूर्व प्रतीक्षा समय पिछले वर्ष के 8.85 घंटों की तुलना में बढ़कर 10.29 घंटे हुआ है। विभिन्न श्रेणी के जहाज़ों के रुकने के कारणों को दर्शाने वाला विस्तृत विश्लेषण नीचे दिया गया है।

बाहरी सड़कों पर जहाजों के अवरोधन के कारणों का प्रतिशत							
जहाज़ों के प्रकार	जहाज़/एजेंट विकल्प	अनुपलब्ध बर्थ	ज्वारीय/ड्राफ्ट बाधाएं	मौसम संबंधी बाधाएं	रात्री नेविगेशन का अभाव	अन्य	कुल
ब्रेक बल्क	0.18	0.06	0.01	0.00	0.00	0.02	0.26
कंटेनर	1.42	1.88	0.10	0.00	0.00	13.09	16.49
शुष्क बल्क (एम)	2.64	0.24	0.23	0.00	0.00	3.37	6.48
शुष्क बल्क (सी)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32
द्रव्य बल्क	30.45	3.25	0.32	2.67	0.06	39.70	76.45
2025-26 के लिए कुल	**34.69**	**5.44**	**0.66**	**2.67**	**0.06**	**56.49**	**100.00**
2024-25 के लिए कुल	**65.21**	**11.59**	**2.33**	**0.00**	**0.00**	**20.88**	**100.00**

बी) प्रतिवर्तन समय

वर्ष के दौरान कार्गो जहाज़ों का औसत प्रतिवर्तन समय पिछले वर्ष के 32.41 घंटों की तुलना में चालू वर्ष में 32.33 घंटे हुआ है। जहाज़ों के प्रतिवर्तन समय का श्रेणीवार विवरण सांख्यिकीय परिशिष्टों में विवरण संख्या 18 में दिया गया है। वर्ष के दौरान बर्थ में जहाज़ों के ठहराव का कारणवार विश्लेषण निम्नलिखित विवरण में दर्शाया गया है।

कुल नष्ट हुए समय में विभिन्न कारणात्मक कारकों का प्रतिशत	ब्रेक बल्क	कंटेनर	शुष्क बल्क	द्रव्य बल्क	कुल
बर्थ पर ठहरने के लिए किए गए कार्य समय का %	100.00	100.00	100.00	96.00	97.79
बर्थ में कुल ठहराव में नष्ट हुए समय का %	0.00	0.00	0.00	4.00	2.21
बिजली की विफलता	0.00	4.23	0.00	0.00	0.89
हैच खोलना/ परिचालन प्रारंभ करना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जहाज खाता/एजेंट विकल्प	46.82	3.62	51.93	39.11	32.96
प्रस्थान की औपचारिकताएं	6.03	0.00	34.43	39.32	29.88
हड़ताल/काम बंद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मौसम संबंधी बाधाएँ	6.92	1.09	5.50	0.00	0.88
उपकरण खराब होना/उपलब्ध न होना	0.00	11.03	4.01	0.00	2.70
अन्य कारण	40.20	80.04	4.12	7.88	23.43

सी) अन्य प्रमुख विशेषताएं

2025-26 के दौरान 1000 टन कार्गो के हस्तन हेतु औसत सेवा समय पिछले वर्ष की तुलना में घटकर 0.95 घंटे हुआ है। प्रति गैंग शिफ्ट में तट का औसत उत्पादन पिछले वर्ष के 559 टन से घटकर इस वर्ष 416 टन हुआ है। निम्नलिखित तालिका नौवहन और यातायात संबंधी कुछ महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करती है।

क्र.सं.	संकेतक	2025-26	2024-25
1	प्रति जहाज औसत सेवा समय (बर्थ दिनों में कुल समय)	1.19	1.13
2	प्रति 1000 टन कार्गो पर औसत सेवा समय (घंटों में)	0.95	1.00
3	प्रति गैंग शिफ्ट में तटीय श्रमिकों का औसत उत्पादन (टन में)	416	559

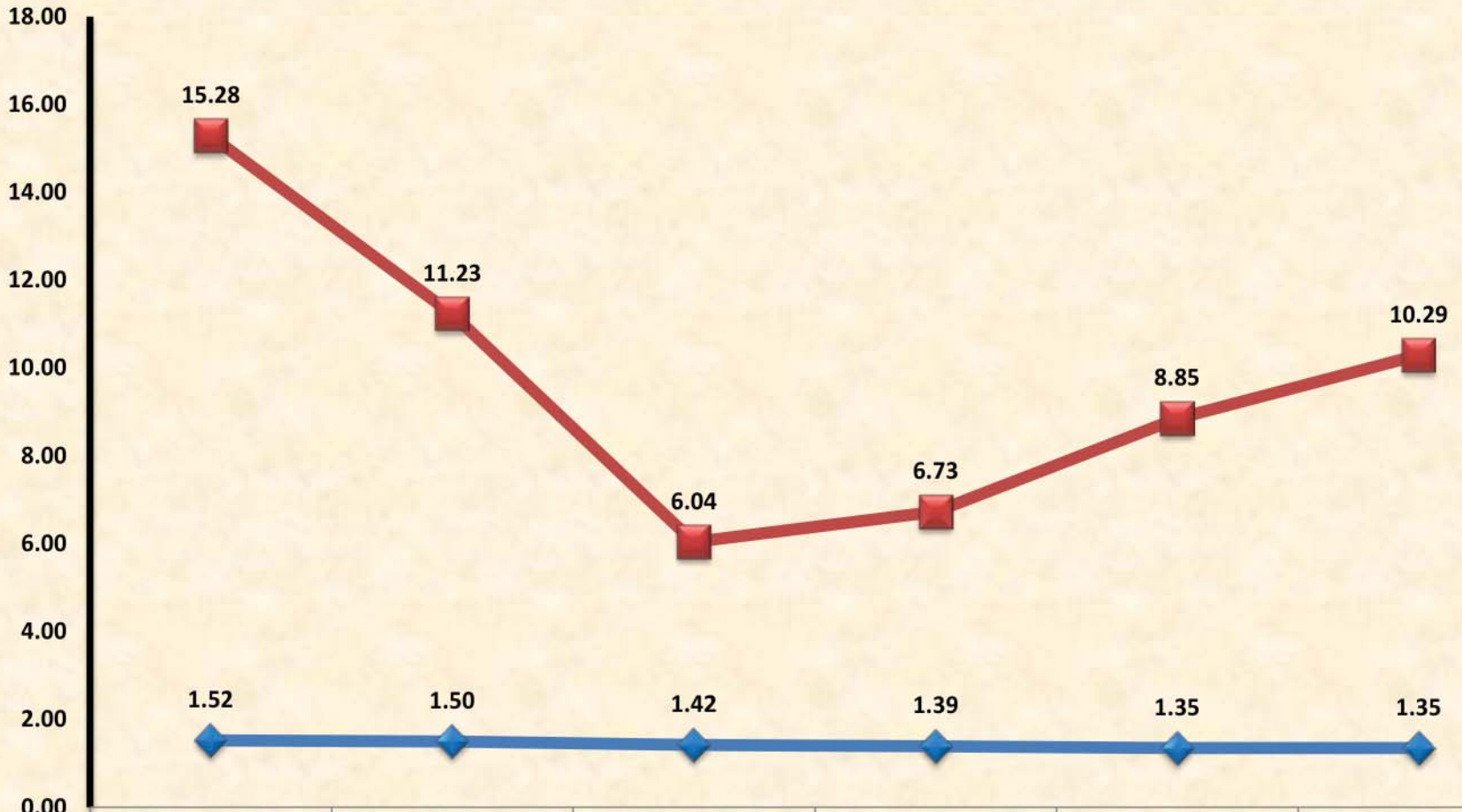
प्रभावी हुक घंटों के लिए औसत उत्पादकता का विवरण नीचे दिया गया है:

(टनों में)

क्रं.सं.	सामग्री	प्रति प्रभावी हुक घंटों के लिए औसत उत्पादकता 2025-26
1	**ब्रेक बल्क**	
ए)	रक्षा कार्गो	10
बी)	धातु एवं धातु उत्पाद	13
सी)	जंबो बैग में एल्यूमिना	39
डी)	आईएमओ कार्गो	24
ई)	खाली कंटेनर	1
2	शुष्क बल्क	
ए)	इल्मेनाइट रेत	56
बी)	बल्क में नमक	97

रेखा चित्र सं 10

निर्गमित पोतों के औसत निरुद्धि समय एवं औसत टर्नअराउंड समय में वार्षिक उतार-चढ़ाव



	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
टीआरटी (दिन)	1.52	1.50	1.42	1.39	1.35	1.35
पीबीडी (घंटों)	15.28	11.23	6.04	6.73	8.85	10.29

4. हस्तन दर

इस वर्ष प्रति जहाज बर्थ दिवस औसत उत्पादन पिछले वर्ष के 26006 टन से बढ़कर 26038 टन हुआ है। श्रेणीवार उत्पादन दरें सांख्यिकीय परिशिष्ट में विवरण संख्या 22 में दी गई हैं।

5. भंडारण सुविधाओं का उपयोग

वर्ष के दौरान भंडारण क्षेत्र का औसत उपयोग 100% रहा। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान उपलब्ध और उपयोग की गई विभिन्न भंडारण सुविधाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रं.सं.	वार्फ़	स्थापना की संख्या		उपलब्ध (वर्ग मीटर में)		उपयोग किए गए (वर्ग मीटर में)	
		2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
1	**मट्टांचेरी**						
a)	गोदाम	4	4	12075	12075	12075	12075
b)	ओवरफ्लो शेड	3	3	6393	6393	6393	6393
c)	ट्रांसिट शेड	3	3	13110	13110	13110	13110
कुल		**10**	**10**	**31578**	**31578**	**31578**	**31578**
2	**एरणाकुलम**						
a)	गोदाम	1	1	2680	2680	2680	2680
b)	ओवरफ्लो शेड	3	1	6862	1580	6862	1580
c)	ट्रांसिट शेड	1	1	3831	3831	3831	3831
कुल		**5**	**3**	**13373**	**8091**	**13373**	**8091**
3	**कंटेनर फ्रेट स्टेशन**						
	गोदाम	1	1	10000	10000	10000	10000
कुल योग		**16**	**14**	**54951**	**49669**	**54951**	**49669**

6. कोचिन - भारत का अग्रणी क्रूज गंतव्य

कोचिन पत्तन ने एरणाकुलम वार्फ़ में अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल "सागरिका" और एक आधुनिक विश्व स्तरीय पूर्णतः वातानुकूलित क्रूज यात्री सुविधा केंद्र – "समुद्रिका" विकसित किया है, जहाँ क्रूज यात्रियों के लिए सीमा शुल्क और आप्रवास जैसी सभी वैधानिक मंजूरियाँ एक ही स्थान में उपलब्ध करायी जाती हैं। कोचिन पत्तन में क्रूज जहाजों की सटीक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चौबीसों घंटे उपलब्ध एक समर्पित क्रूज-सेल भी है।

V. वित्तीय स्थिति

1. लाभ और हानि खाता

वर्ष 2025-26 के लिए लाभ और हानि खाता 14.52 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ के साथ बंद हुआ।

2. परिचालन आय

वर्ष 2024-25 के दौरान परिचालन आय 94,688 लाख रुपये से 6.36% बढ़कर वर्ष 2025-26 के दौरान 1,00,712 लाख रुपये हुआ है। गतिविधिवार विवरण नीचे दर्शाया गया है:-

(रु.लाखों में)

क्र.सं	परिचालन आय	2025-26	2024-25	प्रतिशतता वृद्धि(+) कमी(-)
1	कार्गो हस्तन एवं भण्डार शुल्क	35,817	33,512	6.88%
2	पत्तन एवं डॉक शुल्क	49,656	46,175	7.54%
3	संपत्ति किराया	15,239	15,001	1.59%
	कुल	**1,00,712**	**94,688**	**6.36%**

3. परिचालन व्यय

वर्ष 2025-26 के दौरान परिचालन व्यय 8.23% बढ़ कर 45,687 लाख रुपये हुआ है, जो वर्ष 2024-25 में 42,212 लाख रुपये था। गतिविधिवार विवरण नीचे दर्शाया गया है:-

(रु.लाखों में)

क्र. सं.	परिचालन व्यय	2025-26	2024-25	प्रतिशतता वृद्धि(+) कमी(-)
1	कार्गो हस्तन एवं भण्डार शुल्क	3,889	4,310	(-)9.77%
2	नौवहन के लिए पत्तन एवं गोदी सुविधाएं	26,443	23,473	12.65%
3	रेलवे कार्य	-	-	-
4	किराये योग्य भूमि और भवन	2,658	2,658	-
5	प्रबंधन एवं सामान्य प्रशासन	12,697	11,771	7.86%
	कुल	**45,687**	**42,212**	**8.23%**

4. वित्त एवं विविध आय और व्यय

(रु.लाखों में)

क्र.सं.	विवरण	2025-26	2024-25	प्रतिशतता वृद्धि(+) कमी(-)
1	वित्त एवं विविध आय	8,062	5,185	55.48%
2	वित्त एवं विविध व्यय	61,635	56,311	9.46%

5. पूंजीगत ऋण

31 मार्च 2026 तक ब्याज सहित कुल पूंजी ऋण 44,682.33 लाख रुपये है।

6. प्रभार पर पूंजी

पत्तन की पूंजीगत परिसंपत्तियों (पूंजीगत डब्ल्यू.आई.पी. सहित) का मूल्य 31 मार्च 2025 के 72,970 लाख रुपये से बढ़कर 31 मार्च 2026 तक 74,299 लाख रुपये हुआ है, जिसका विवरण नीचे दर्शाया गया है:-

(रु लाखों में)

क्र.सं	विवरण	31.03.2025 तक	वर्ष के दौरान		31.03.2025 तक
			वृद्धि	विलोपन	
1	भूमि	5,149	-	-	5,149
2	कैपिटल ड्रेजिंग	8,440	-	-	8,440
3	भवन, शेड और अन्य संरचनाएं	8,048	85	35	8,098
4	वार्फ, रोड़ एवं सीमाएँ	22,408	148	-	22,556
5	प्लव यान	13,068	-	-	13,068
6	गोदी, समुद्री दीवार, पियर्स एवं नौचालन सहायता	2,169	-	-	2,169
7	क्रेन एवं वाहन	1,693	161	-	1,854
8	प्लांट एवं मशीनरी	4,158	18	-	4,176
9	विद्युत, जल,दूरसंचार एवं अग्नि शमन की स्थापना	7,065	161	-	7,226
10	तेल पाइप लाइन की स्थापना	383	-	-	383
11	विविध	100	-	-	100
	कुल	**72,681**	**573**	**35**	**732,19**
	पूंजीगत कार्य प्रगति पर	289	1,040	249	1,080
	कुल योग	**72,970**	**1,613**	**284**	**74,299**

वर्ष 2025-26 के दौरान मूल्यह्रास के लिए 1,722 लाख रुपये प्रदान किए गए, जबकि वर्ष 2024-25 के दौरान यह राशि 1,683 लाख रुपये थी।

7. संरक्षित निधि

31.03.2026 और 31.03.2025 तक विभिन्न संरक्षित निधि की शेष स्थिति नीचे दर्शायी गई

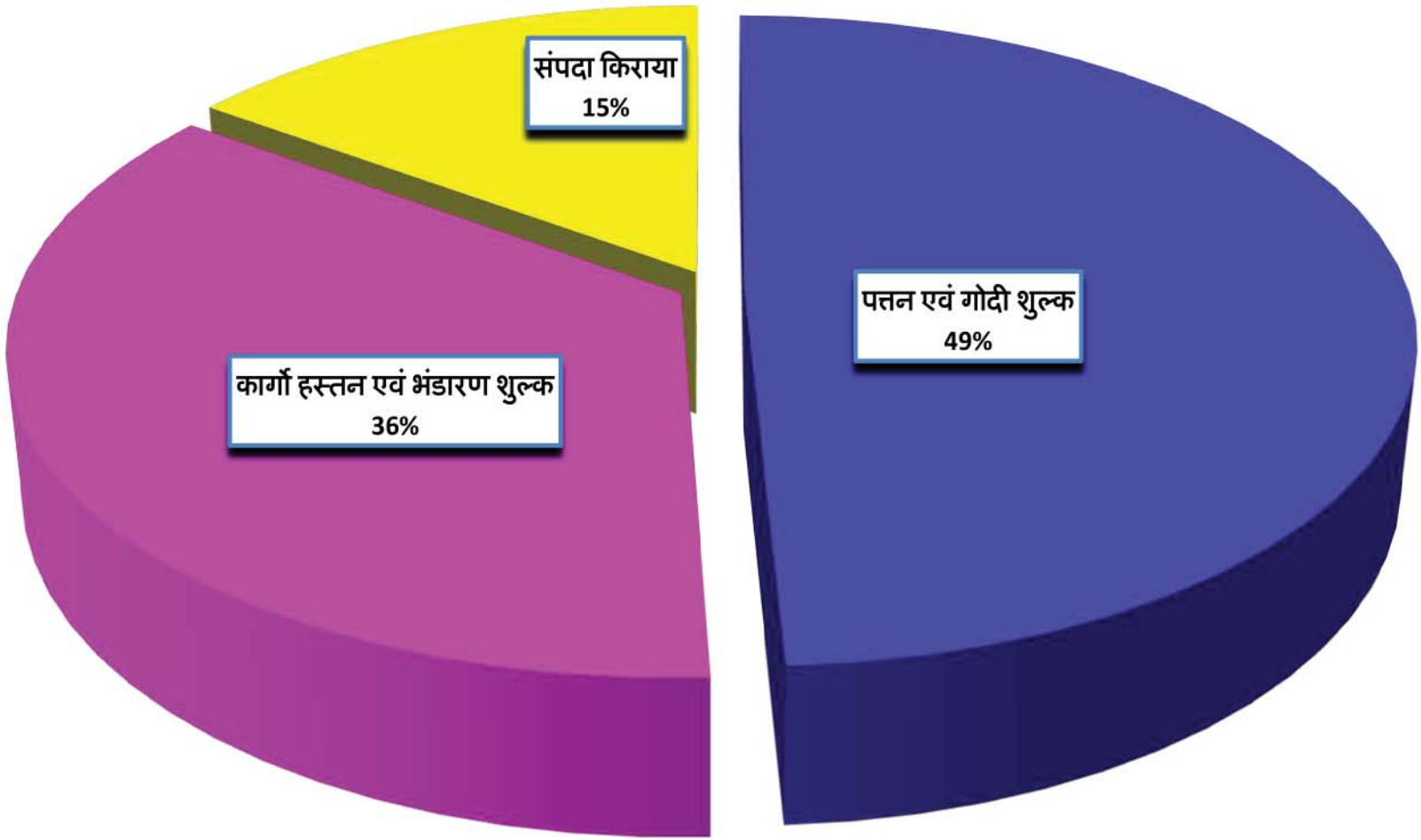
(रु लाखों में)

क्र.सं	निधि का नाम	शेष राशि	
		31.03.2026	31.03.2025
1	संरक्षित पूंजी	8,771	8,771
2	पुनस्थापन, प्रतिस्थापन एवं पूंजीगत परिसंपत्तियों के आधुनिकीकरण के लिए संरक्षित	1842	1,556
3	विकास, ऋण की वापसी तथा आकस्मिकता के लिए संरक्षण	1506	1,261
4	लाभ एवं हानि खाते (संचित हानि)	43,649	44,960
5	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	40,829	39,122
6	कर्मचारी कल्याण निधि	2	4
7	परिवार सुरक्षा निधि	0.42	0.01
8	एच बी ए परिवार फायदा निधि	52	48

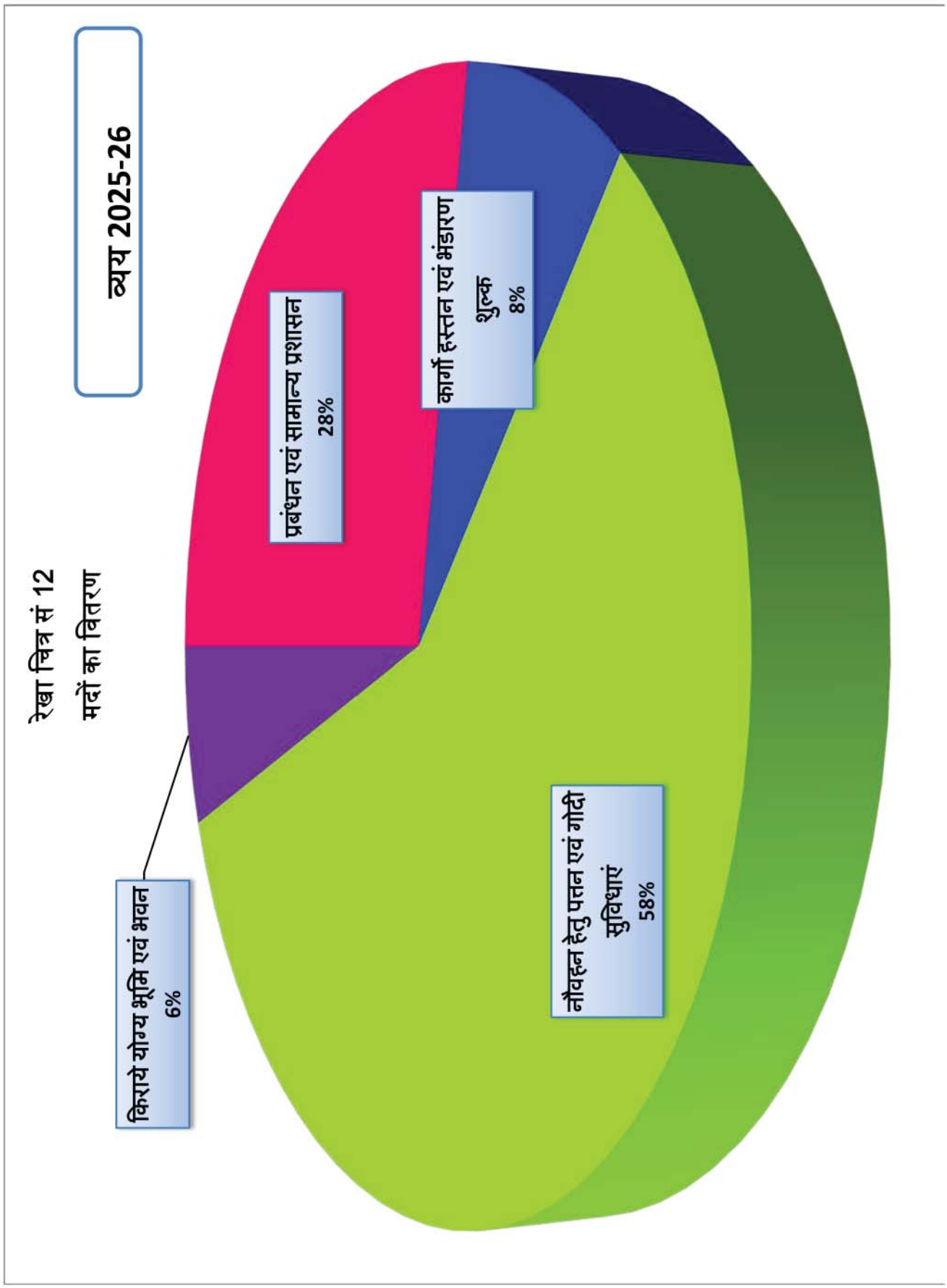
रेखा चित्र सं 11

राजस्व मदों का वितरण (रु. लाख में)

आय 2025-26

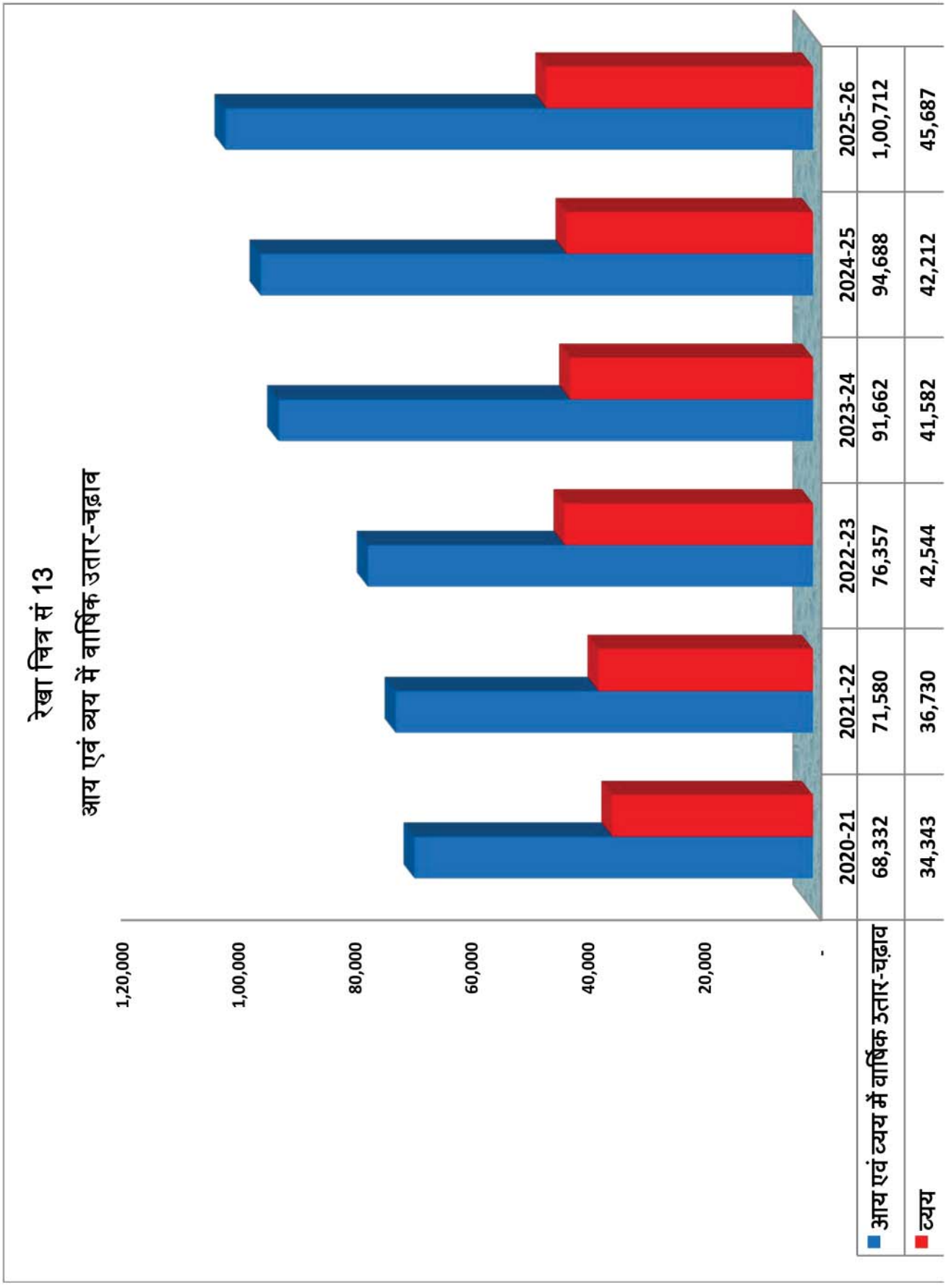


रेखा चित्र सं 12
मदों का वितरण



रेखा चित्र सं 13

आय एवं व्यय में वार्षिक उतार-चढ़ाव



8. कार्यचालन परिणाम पर एक झलक

पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान पत्तन के वित्तीय कामकाज के परिणाम नीचे दर्शाए गए हैं:-

(रु लाखों में)

क्र.सं	वित्तीय कारक	2025-26	2024-25
1	कुल आय	1,08,774	99,873
2	कुल व्यय	1,07,322	98523
3	निवल अधिशेष	1,452	1350
4	वर्षारंभ में परिव्यय पूंजी	72970	72081
5	वर्षान्त में परिव्यय पूंजी	74299	72970
6	परिव्ययनीय औसत पूंजी	73634	72525
7	नियोजित पूंजी	2352	(-)4496
8	नियोजित पूंजी पर वापसी (%)	61.73	(-)30.03
9	निवल मूल्य	(-)31,093	(-)31,821
10	परिव्ययनीय औसत पूंजी पर निवल अधिशेष की प्रतिशतता (%)	1.97	1.86
11	प्रचालन अनुपात (%)	45.36	44.58

VI. अभियंत्रण

I पूंजीगत कार्य

वर्ष 2025-26 के लिए अनुमोदित वार्षिक परिव्यय 7346 लाख रुपये था, जबकि वर्ष के दौरान वास्तविक व्यय 4792 लाख रुपये था, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

(रु.लाखों में)

योजना	2025-26 के लिए परिव्यय	2025-26 के दौरान व्यय	प्रतिशतता
जीबीएस	0	0	0
आईईबीआर	7346	4792	65.23
कुल	**7346**	**4792**	**65.23**

वर्ष 2025-26 के दौरान संपादित कार्यों का संक्षिप्त विवरण:

1. कोचिन पत्तन में रो-रो जहाज़ों के संचालन के लिए एक जेट्टी तथा संबद्ध सुविधाओं का निर्माण।

(ए) इस परियोजना को मुख्य रूप से प्रोपलीन के हस्तन हेतु शुरू किया गया है, जिसकी अनुमानित लागत 11.06 करोड़ रुपये है। इस परियोजना को सागरमाला कार्यक्रम के तहत पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से प्राप्त 100% वित्तीय सहायता से लागू किया जा रहा है।

भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने 30-04-2022 को इस परियोजना की आधारशिला रखी थी।

कोचिन पत्तन में रो-रो जहाज़ों के हस्तन के लिए जेट्टी तथा संबंधित सुविधाओं के निर्माण के लिए मेसर्स केवीजे बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, कोच्चि को 16-08-2022 को (10,56,31,911.42 रुपये प्लस जीएसटी) का ठेका जारी किया गया। 31-08-2022 को कार्य शुरू हुआ है। जेट्टी का कार्य 30-06-2024 को पूरा हो गया है और संबद्ध सड़क का कार्य 17.12.2025 को पूरा हो गया है।

(बी) कोचिन पत्तन के मट्टानचेरी वार्फ़ पर क्यू2-क्यू3 बर्थों का पुनर्निर्माण

मट्टानचेरी वार्फ़ के क्यू4 बर्थ का 251 मीटर की लंबाई तक पुनर्निर्माण करने के बाद, क्यू3 और क्यू2 बर्थ का शेष भाग, जो अब लगभग 85 वर्ष पुराना है, गंभीर रूप से जंग लगे और क्षतिग्रस्त स्टील शीट पाइल्स से ग्रस्त है, जिससे वे भारी माल ढुलाई के लिए असुरक्षित हो गए हैं और यहां तक कि वाहनों की आवाजाही भी बाधित हो रही है। संरचनात्मक कमजोरी, विशेष रूप से गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त स्टील शीट पाइल्स के कारण, वे वर्तमान में वाणिज्यिक उपयोग के लिए अनुपयुक्त हैं।

अत:, क्यू3 बर्थ के लगभग 90 मीटर शेष भाग और क्यू2 बर्थ के 21 मीटर लंबे भाग (कुल 111 मीटर लंबाई और 31 मीटर चौड़ाई) के पुनर्निर्माण का कार्य 80.72 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर शुरू किया गया है। इस कार्य के लिए खुली ई-निविदाएँ आमंत्रित की जा रही हैं। सार्वजनिक सेवा मंत्रालय के सागरमाला कार्यक्रम के तहत परियोजना के लिए 50% वित्तीय सहायता प्राप्त करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है।

(सी) पोर्ट गेस्ट हाउस और गेस्ट हाउस एनेक्स का नवीनीकरण

पोर्ट गेस्ट हाउस और गेस्ट हाउस एनेक्स के नवीनीकरण का कार्य भवन की सुंदरता बढ़ाने और उसकी कार्यक्षमता में सुधार करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इसकी अनुमानित कुल लागत 1,54,28,000 रुपये थी, जिसे पूंजीगत संशोधित बजट अनुमान में शामिल किया गया था। श्री शैजल टी.एम., पीडब्ल्यूडी ठेकेदार, तोट्टपल्ली हाउस, एमिली, कलपट्टा, वयनाड - 673121 को 02-04-2025 को 1,17,28,884.00 रुपये की राशि के लिए कार्य आदेश जारी किया गया था। कार्य 22-01-2026 को पूर्ण हुआ।

(डी) **मिल्ने रोड का तीसरे क्रॉस रोड से हॉस्पिटल जंक्शन और चौथे क्रॉस रोड तक पुनर्निर्माण और पश्चिमी द्वीप पर नालियों का मरम्मत।** यह परियोजना मिल्ने रोड का तीसरे क्रॉस रोड से हॉस्पिटल जंक्शन और चौथे क्रॉस रोड तक पुनर्निर्माण और विल्लिंगडन आईलैण्ड पर नालियों के मरम्मत के लिए है, जिसमें बीएम और बीसी का उपयोग किया जाएगा। कार्य के लिए कार्य आदेश 15-01-2026 को ठेकेदार मेसर्स अरांको इंफ्रास्ट्रक्चर, XVIII/535, फ्रेंड्स लेन, अलुवा को जारी किया गया है। अनुबंध राशि 3,33,89,413.49 रुपये है। कार्य प्रगति पर है।

(ई) विल्लिंगडन आईलैण्ड में पेवर ब्लॉक बिछाकर छठवें क्रोस रोड का पुन:सतहीकरण

यह परियोजना विल्लिंगडन आईलैण्ड पर स्थित छठे चौराहे की मरम्मत के लिए है, जिसमें सीमेंट-कंक्रीट इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉकों का उपयोग किया जाएगा। इस कार्य के लिए ठेकेदार कंपनी मेसर्स अरांको इंफ्रास्ट्रक्चर, XVIII/535, फ्रेंड्स लेन, अलुवा को 16-01-2026 को कार्य आदेश जारी किया गया है।

अनुबंध राशि 59,49,682.29 रुपये है। कार्य प्रगति पर है।

2. कोचिन पत्तन प्राधिकरण में पर्यावरण निगरानी कार्य:

(i) परिवेशी वायु गुणवत्ता एवं ध्वनि स्तर

कोचिन पत्तन परिसर में तीन वर्ष की अवधि (दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है) के लिए "परिवेशी वायु गुणवत्ता और ध्वनि स्तर की निगरानी" का कार्य मेसर्स चेन्नई टेस्टिंग लैबोरेटरीज (पी) लिमिटेड, चेन्नई को 12-01-2022 को 7.39 लाख रुपये (3 वर्षों के लिए) की राशि पर दिया गया है। 26.01.2027 तक समय सीमा बढ़ा दी गई है। कार्य प्रगति पर है।

(ii) बैकवाटर्स में जल एवं तलछट गुणवत्ता मापदण्ड

फ़रवरी 2022 से 5 वर्ष की अवधि के लिए कोचिन पत्तन के बैक वाटर में जल तथा तलछट गुणवत्ता मापदंडों की पर्यावरणीय निगरानी का कार्य 24,95,700/- रुपये की राशि में मेसर्स नित्या लैबोरेटरीज, हरियाणा को दिया गया है। कार्य प्रगति पर है।

II जमा कार्य

1) नौसेना बेस, कोच्चि में भारतीय नौसेना के लिए नर्थ जेट्टी का पुनर्निर्माण

भारतीय नौसेना ने कोचिन पत्तन प्राधिकरण को 'एनएसआरवाई (कोच्चि), नौसेना बेस, कोच्चि में मौजूदा जेट्टी के विध्वंस के बाद नर्थ जेट्टी

के पुनर्निर्माण' अनुमानित लागत 596.43 करोड़ रुपये (12% जीएसटी सहित) जमा कार्य के रूप में परियोजना सौंपी थी।

इस परियोजना के लिए 22-02-2019 को कोचिन पत्तन प्राधिकरण और भारतीय नौसेना के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। भारतीय नौसेना ने इस परियोजना के लिए 31-03-2024 तक कोचिन पत्तन को कुल 486.50 करोड़ रुपये जारी किए हैं। समझौता ज्ञापन के अनुसार, निर्माण कार्यों के लिए कोचिन पत्तन प्राधिकरण द्वारा पहला कार्य आदेश जारी करने की तारीख से परियोजना को पूरा करने की समय सीमा 48 माह है।

परियोजना प्रबंधन परामर्श का कार्य 1.59 करोड़ रुपये की लागत से मेसर्स एईसीओएम, हरियाणा को सौंपा गया है तथा पीएमसी सेवाएं प्रगति पर हैं।

ईपीसी अनुबंध के आधार पर कोच्चि के नौसेना बेस पर नर्थ जेट्टी के पुनर्निर्माण का कार्य (अनुमानित लागत - 461.60 करोड़ रुपये) 22-10-2020 को 48 महीने की अनुबंध अवधि के साथ 399.51 करोड़ रुपये में मेसर्स एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, मुंबई को दिया गया। कार्य प्रगति पर है और लगभग 98.50% भौतिक प्रगति हुई है। अनुबंध अवधि को 30.04.2026 तक बढ़ा दिया गया है।

कोचिन पोर्ट को इस परियोजना से विभागीय शुल्क के रूप में लगभग 35 करोड़ रुपये की आय होने की संभावना है, जो निष्पादित कार्यों के मूल्य का 7% है।

2) इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) अनुबंध के माध्यम से गोवा के मुरगांव पत्तन प्राधिकरण में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रूज टर्मिनल और अन्य संबद्ध सुविधाओं का निर्माण।

कोचिन पत्तन को मुरगांव पत्तन द्वारा मुरगांव पत्तन में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रूज टर्मिनल, रो-पैक्स, फेरी और अन्य संबद्ध गतिविधियों के विकास के निष्पादन के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के रूप में नियुक्त किया गया है।

यह कार्य 15-03-2022 को हरियाणा स्थित मेसर्स आरसीसी-एसीसी (जेवी) को 74.11 करोड़ रुपये के ठेके पर 18 महीने की अनुबंध अवधि के लिए दिया गया था। कार्य की प्रगति बहुत धीमी होने और ठेकेदार द्वारा 30-11-2025 को साइट पर काम रोक देने के कारण कोचिन पोर्ट ने 10-12-2025 को अनुबंध समाप्त कर दिया। इसके बाद, कोचिन पोर्ट के अनुरोध पर, मुरगांव पत्तन शेष कार्य को सीधे या अन्य एजेंसियों के माध्यम से पूरा करने की प्रक्रिया में है।

3) एलएनजी बेसिन के सामने अनुरक्षण ड्रेजिंग

कोचिन पत्तन ने मेसर्स पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (पीएलएल) के लिए जमा कार्यों के शर्तों पर वर्ष 2025-26 के लिए एलएनजी बेसिन में ड्रेजिंग कार्य के साथ-साथ 8.608 करोड़ रुपये की लागत से अनुरक्षण ड्रेजिंग अनुबंध भी शुरू किया है, निष्पादित कार्य की लागत का 10% की दर से पीएमएस शुल्क जो लगभग 0.861 करोड़ रुपये है, जो पीएलएल द्वारा भुगतान किया जा रहा है।

4) नौसेना बेस कोच्चि में भारतीय नौसेना नोर्थ जेट्टी के मैन्युवरिंग बेसिन के लिए पूंजीगत ड्रेजिंग

भारतीय नौसेना के नोर्थ नौसेना जेट्टी या नौसेना बेस के लिए कैपिटल ड्रेजिंग का कार्य 02-08-2024 को 49.39 करोड़ रुपये में मेसर्स अल्ट्रा डायमेंशन्स प्राइवेट लिमिटेड, विशाखापट्टनम को सौंपा गया।

ड्रेजिंग का कार्य 30-08-2024 को शुरू हुआ और इसे 28-02-2025 को पूरा किया जाना था, जिसे 31-05-2025 तक बढ़ा दिया गया था।26.10.2025 को कार्य संपन्न किया गया है। कोचिन पत्तन ने विभागीय शुल्क के रूप में परियोजना लागत का 7% अर्जित किया।

5) कोचिन पत्तन में आईसीजी जेट्टी और भारत सरकार एएमबीए जेट्टी के किनारे गहराई बनाए रखने के लिए ड्रेजिंग

कोचिन पत्तन में आईसीजी जेट्टी और भारत सरकार के एएमबीए (अंबा) जेट्टी के ली साइड में गहराई बनाए रखने के लिए ड्रेजिंग का कार्य 19-11-2024 को 2.445 करोड़ रुपये में मेसर्स एसीई फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चर्स, कोचिन को दिया गया।

ड्रेजिंग कार्य 12-12-2024 को शुरू हुआ और 11-03-2025 को पूरा होने वाला था, जिसे 15-11-2025 तक बढ़ा दिया गया था और उसी दिन कार्य संपन्न हुआ। कोचिन पोर्ट को परियोजना लागत का 7% विभागीय शुल्क के रूप में मिला।

6) लक्षद्वीप के विभिन्न द्वीपों में पत्तन अवसंरचना विकास परियोजनाएं और संबद्ध सुविधाएं

पत्तन अवसंरचना विकास परियोजनाओं और यूटीएलए जहाजों के नौवहन संचालन और अनुरक्षण के लिए केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप प्रशासन (यूटीएलए), कोचिन पत्तन प्राधिकरण (सीओपीए), कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड और लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड के बीच 22-02-2023 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

तदनुसार, सीओपीए ने सागरमाला योजना के अंतर्गत पत्तन आधारित विकास परियोजनाओं सहित पत्तन और नौवहन संचालन हेतु प्रत्येक द्वीप के लिए मास्टर प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है। इस उद्देश्य के लिए, सीओपीए ने छह द्वीपों, जैसे कि अंद्रोथ, कवरत्ती, अगत्ती, कदमत, कल्पेनी और मिनिकॉय, के पूर्वी या पश्चिमी भाग में मल्टी-मॉडल जेट्टी के विकास पर विशेष बल देते हुए पत्तन आधारित विकास कार्य और संबद्ध सुविधाएँ प्रदान करने हेतु परामर्श सेवाएँ प्रदान करने हेतु मेसर्स एससिस्टम इंडिया लिमिटेड, चेन्नई (पूर्व में मेसर्स एलएंडटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग लिमिटेड, चेन्नई के नाम से जाना जाता था) , सलाहकार को नियुक्त किया है और कार्य प्रगति पर है।

लक्षद्वीप के एंड्रोथ, कल्पेनी, कटमत , किल्तान और चेटलत्त द्वीपों की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को अनुदान हेतु प्रस्तुत की गई हैं। मंत्रालय के निर्देशानुसार, उपर्युक्त पांच द्वीपों के साथ-साथ अगत्ती, कवरत्ती और मिनिकॉय द्वीपों के लिए परियोजना-विशिष्ट बाथिमेट्री सर्वेक्षण, गणितीय मॉडल अध्ययन और भू-तकनीकी जांच कार्य शुरू कर दिया गया है।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 20-01-2026 के पत्र के माध्यम से कलपेनी और कटमत द्वीपों में परियोजनाओं के लिए स्वीकृति दी। कलपेनी और कदमथ द्वीपों में परियोजनाओं के लिए कार्य आदेश क्रमशः 03-02-2026 और 04-02-2026 को एल1 बोलीदाताओं को जारी किए गए।

अगत्ती के पूर्वी और पश्चिमी किनारों के लिए संशोधित डीपीआर 12-03-2026 को यूटीएलए को प्रस्तुत किए गए और कवरत्ती के पूर्वी और पश्चिमी किनारों के लिए संशोधित डीपीआर 09-06-2026 को यूटीएलए को प्रस्तुत किए गए।

लक्षद्वीप द्वीप समूह में निष्पादित सभी परियोजनाओं से कोचिन पत्तन को विभागीय शुल्क के रूप में परियोजना लागत का 7% प्राप्त होगा।

7) लक्षद्वीप द्वीप समूह में विभिन्न स्थानों पर जल हवाई अड्डों का विकास।

नागर विमानन मंत्रालय ने उड़ान क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना(आरसीएस) के तहत जल हवाई अड्डों के विकास के लिए लक्षद्वीप में तीन स्थानों, अर्थात् मिनिकॉय, अगत्ति और कवरत्ती द्वीपों की पहचान की थी और प्रत्येक स्थान के लिए 20 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की थी तथा लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन (युटीएलए) और कोचिन पत्तन प्राधिकरण के बीच दिनांक 22-02-2023 को हुए समझौता ज्ञापन के आधार पर कार्य करने का जिम्मा कोचिन पत्तन प्राधिकरण को सौंपा था।

तदनुसार, लक्षद्वीप के मिनिकॉय, अगत्ति और कवरत्ती द्वीपों पर प्रस्तावित जल हवाई अड्डों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, ईआईए

अध्ययन करने, वैधानिक स्वीकृतियों सहित परियोजना प्रबंधन परामर्श प्रदान करने और संचालन एवं रखरखाव परामर्श प्रदान करने का कार्य मेसर्स फीडबैक हाइवेज ओएमटी प्राइवेट लिमिटेड, गुरुग्राम को 524.25 लाख रुपये में सौंपा गया है और कार्य प्रगति पर है।

इसके बाद, लक्षद्वीप के कल्पेनी, कटमत और किल्टन द्वीपों पर प्रस्तावित जल हवाई अड्डों के लिए अतिरिक्त कार्य हेतु अनुबंध ज्ञापन (एलओए) 23-02-2026 को (524.25 लाख रुपये + जीएसटी) अनुबंध समझौते की समान शर्तों और नियमों पर जारी किया गया।

सलाहकार ने अगत्ती, कवरत्ती और मिनिकॉय जल हवाई अड्डों के लिए सभी आवश्यक अध्ययन पूरे कर लिए हैं और कलपेनी, कडमथ और किल्टन द्वीपों पर अध्ययन प्रगति पर हैं।

इस बीच, यूटीएलए ने असाइनमेंट के दायरे में बदलाव किया है और उसे केवल जल हवाई अड्डों के एनएसओपी संचालन के लिए आगे बढ़ने का निर्देश दिया गया है।

कोचिन पत्तन को विभागीय शुल्क के रूप में परियोजना लागत का 7% प्राप्त होगा।

8) भारत सरकार के बर्थ और अन्य सुविधाओं के लिए संचालन और अनुरक्षण कार्य

भारत सरकार के साथ हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार, भारत सरकार के स्वामित्वाधीन बर्थ के लिए संचालन एवं अनुरक्षण (ओएंडएम) कार्य शुरू किए गए हैं, जिसमें अनुरक्षण के लिए एएमसी, बर्थ सुविधाओं का संचालन, बर्थ ईएलएल क्रेन का संचालन और एएमसी तथा अन्य एमईपी/सिविल अनुरक्षण कार्य शामिल हैं। संचालन एवं अनुरक्षण कार्यों की कुल राशि 3.71 करोड़ रुपये है। कोचिन पत्तन को विभागीय शुल्क के रूप में लागत का 12% प्राप्त होगा।

9) आईसीजी के लिए ईएलएल क्रेन हेतु एएमसी कार्य

मेसर्स आईसीजी के साथ हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार, आईसीजी में ईएलएल क्रेन के लिए एएमसी का कार्य सीओपीए द्वारा किया जा रहा है। ईएलएल क्रेन के लिए एएमसी का कार्य मेसर्स मुकंद क्रेन्स लिमिटेड, मुंबई को दिया गया है। ईएलएल क्रेन के लिए एएमसी की कुल राशि पाँच वर्षों के लिए 2.95 करोड़ रुपये है। कोचिन पत्तन को विभागीय शुल्क के रूप में लागत का 12% प्राप्त होगा।

III. वर्ष के दौरान खरीदे गए जल

वर्ष 2025-26 के दौरान केरल जल प्राधिकरण से लगभग 800 मिलियन लीटर जल खरीदा गया तथा खरीदे गए जल का मूल्य 4.62 करोड़ रुपये है। पत्तन कार्यालयों, अस्पतालों, परिचालन क्षेत्रों और कर्मचारियों के आवासों में पानी निःशुल्क वितरित किया गया है, जो कि प्रमुख उपभोग स्थल हैं। पत्तन उपयोगकर्ताओं को पानी बेचकर 1.374 करोड़ रुपये का राजस्व भी प्राप्त हुआ है।

IV. ड्रेजिंग

ड्रेजर जीएचडी नेहरू शताब्दी पत्तन के विभिन्न क्षेत्रों में ड्रेजिंग का काम कर रहा है। इस जहाज़ ने वर्ष के दौरान 233 दिन काम किया और कुल 6.11 लाख घन मीटर गाद हटाई। पत्तन के ड्रेजरों के कामकाज का विवरण परिशिष्ट में विवरण संख्या 30 में दिया गया है।

वर्ष 2025-26 के दौरान, पत्तन के चैनलों (एलएनजी बेसिन सहित) में अनुरक्षण ड्रेजिंग मेसर्स ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया। इस वर्ष के दौरान हटाए गए मलबे की कुल मात्रा 250.43 लाख क्यूबिक मीटर थी (1.30 टन/घनत्व)।

V. भंडार

31-03-2026 तक स्टॉक की स्थिति नीचे दी गई है:-

(रु.लाखों में)

क्रं.सं.	मद	2025-26	2024-25
1	वर्ष की शुरुआत में स्टॉक	56	61
2	वर्ष के अंत में स्टॉक	39	56

VI. कोचिन मत्स्यकीय बंदरगाह

मत्स्यकीय बंदरगाह प्रशासन ने 3,19,28,904.60/- रुपये के व्यय के मुकाबले 3,59,40,030.29/- रुपये (एफडी पर ब्याज सहित) की परिचालन आय दर्ज की थी। वर्ष के दौरान सीएफएच में नाव कॉल में 674 पर्स-सीन नेट नावों, 1641 गिल नेट नावों, 2178 ट्रॉल नेट नावों और 131 वल्लम शामिल थे।

VII. बिजली

(ए) कोचिन पत्तन प्राधिकरण (सीओपीए) विल्लिंगडन आईलैण्ड के पत्तन क्षेत्र में बिजली वितरण के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 14 के तहत एक मान्य वितरण लाइसेंसधारी है। माननीय आयोग ने अपने दिनांक 18.01.2010 के आदेश के तहत एरणाकुलम जिले के वल्लारपाडम और पुत्तुवाइपीन में विशेष आर्थिक क्षेत्रों तक वितरण क्षेत्र का विस्तार करने की मंजूरी दी थी। मेसर्स केएसईबीएल के साथ विल्लिंगडन आईलैण्ड (उपभोक्ता संख्या एलसीएन: 21/1135) पर सीओपीए की अनुबंध मांग 110 केवी आपूर्ति स्तर पर 6500 केवीए और वल्लारपाडम और पुत्तुवाइपीन एसईजेड क्षेत्र में 5000 केवीए (3000 केवीए+2000 केवीए) है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान सीओपीए ने पत्तन उपयोगकर्ताओं और पत्तन के स्वयं उपयोग के लिए बिजली वितरित करने हेतु मेसर्स केएसईबीएल से 514 लाख यूनिट बिजली खरीदी है। सीओपीए ने कार्बन मुक्त/हरित पत्तन पहल के भाग के एक अंश के रूप में पत्तन क्षेत्रों में सीओ2 उत्सर्जन को कम करने के लिए सीओपीए क्षेत्रों में बर्थिंग करने वाले जहाजों को वर्ष 2025-26 के दौरान 44 लाख यूनिट की विद्युत आपूर्ति प्रदान की है।

(बी) सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता:

पत्तन उपयोगकर्ताओं सहित कोचिन पत्तन प्राधिकरण में स्थापित सौर संयंत्र की कुल क्षमता 2.5 मेगावाट है।

400 किलोवाट का रूफटॉप/ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर सिस्टम – मूल्यांकन चरण में है।

(सी) पुनर्विकसित क्षेत्र वितरण योजना (आरडीएसएस) :

मेसर्स पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने विद्युत मंत्रालय से 60% अनुदान के साथ विद्युत वितरण कार्यों के लिए बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और हानि में कमी के कार्यों को करने के लिए सीओपीए द्वारा सीधे निविदा आमंत्रित करने की मंजूरी दे दी है । कार्य 23.07.2025 को मेसर्स पी जे जोसफ़ को दिया गया है। कार्य प्रगति पर है (भौतिक प्रगति- 78%, वित्तीय प्रगति- 64%)

(डी) अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाजों को 6 एमवीए की ऑनशोर बिजली आपूर्ति प्रदान करना:

क्रूज जहाजों को 6 मेगावाट क्षमता की तटवर्ती विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए मंत्रालय से 10.12.2025 को सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, जिसकी अनुमानित लागत 56.46 करोड़ रुपये है, जिसमें जीएसटी शामिल है और संचालन एवं रखरखाव शुल्क शामिल नहीं है। सागरमाला योजना के तहत निधि आवंटन का इंतजार है।

तटवर्ती आपूर्ति प्रौद्योगिकी प्रदाताओं से प्राप्त नवीनतम सुझावों के आधार पर, नवीनतम रुझानों, चुनौतियों, तटवर्ती आपूर्ति लेने के लिए क्रूज जहाजों की तत्परता, लागत-प्रभावशीलता आदि को ध्यान में रखते हुए अंतिम निविदा दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। क्षेत्र के विशेषज्ञों से प्राप्त सुझावों के अनुसार, तकनीकी विशिष्टताओं को अद्यतन किया गया है और संशोधित निविदा रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

VIII. संपदा

संपदा अनुभाग कोचिन पत्तन प्राधिकरण के संपदा के संरक्षण, प्रबंधन और मुद्रीकरण का कार्य करता है। संपदा से प्राप्त राजस्व पत्तन के कुल राजस्व का लगभग 14% है। संपदा से प्राप्त राजस्व के प्रमुख स्रोतों में भूमि और निर्मित स्थानों का पट्टा और लाइसेंसिंग, दीर्घकालिक आधार पर बर्थों का आवंटन और संपदा से संबंधित विभिन्न अन्य लाइसेंस और अनुमतियाँ शामिल हैं।

भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी भूमि प्रबंधन नीति दिशानिर्देशों (पीजीएलएम) में निर्धारित प्रावधानों और प्रक्रियाओं के अनुसार संपदा परिसंपत्तियों का प्रबंधन और उपयोग किया जाता है। तदनुसार, निजी संस्थाओं को आवंटन आमतौर पर एक पारदर्शी निविदा-सह-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, जबकि सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य सरकारी संस्थाओं को आवंटन प्रचलित दिशानिर्देशों के तहत अनुमत नामांकन के आधार पर किया जाता है।

वर्ष 2025-2026 के दौरान, निर्धारित आवंटन प्रक्रियाओं के माध्यम से 49.45 एकड़ भूमि का नया आवंटन किया गया, जिससे पत्तन भूमि के इष्टतम उपयोग, पत्तन से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने और संपदा राजस्व में वृद्धि में योगदान मिला।

लीज होल्ड का प्रकार	2025-2026		2024-2025	
	लीज़ होल्ड की संख्या	क्षेत्र (एकड़ में)	लीज़ होल्ड की संख्या	क्षेत्र (एकड़ में)
सरकार	47	121.55	44	115.69
अर्ध-सरकार	60	504.27	57	467.66
निजी	232	370.33	209	363.36
कुल	**339**	**996.15**	**310**	**946.70**

IX. सुरक्षा लेखापरीक्षा

वर्ष 2025-26 के दौरान मंत्रालय के निर्देशानुसार मई, अगस्त, दिसंबर और मार्च-2026 माह में तिमाही लेखापरीक्षा की गई।

X. सीएफएच का आधुनिकीकरण/सीएफएच

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 25-02-2022 के माध्यम से तोपमपड़ी में कोचिन मत्स्यकीय बंदरगाह के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए कोचिन पत्तन प्राधिकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसकी कुल अनुमानित लागत 169.17 करोड़ रुपये है, जिसमें ईपीसी घटक 113.32 करोड़ रुपये और पीपीपी घटक 55.85 करोड़ रुपये है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 50 करोड़ रुपये और मत्स्य पालन मंत्रालय ने 50 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है और पीपीपी ऑपरेटर 55.85 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे और शेष राशि कोचिन पत्तन के अपने संसाधनों से जुटाई जाएगी। यह मत्स्यकीय बंदरगाह 27.86 एकड़ भूमि क्षेत्र में बना है और इसकी वार्फ़ 352 मीटर लंबा है।

कोचिन मत्स्यकीय बंदरगाह के आधुनिकीकरण की वर्तमान परियोजना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बुनियादी सुविधाएं स्थापित करना है, तथा इसमें तापमान नियंत्रित नीलामी हॉल, पैकिंग इकाइयां, यांत्रिक पुनर्प्राप्ति और नौकाओं से नीलामी हॉल तक मछलियों को टोकरियों में स्थानांतरित करने के लिए कन्वेयर, भंडारण के लिए ठंडा कमरा, बर्फ संयंत्र, जाल मरम्मत शेड, भंडारण सुविधाएं, पानी के टैंक, वाहन पार्किंग स्टेशन, खुदरा बाजार, कैंटीन सुविधाएं आदि होंगी। जीएसटी सहित 112.75 करोड़ रुपये की ईपीसी अनुबंध, जिसमें ईपीसी घटक शामिल है, 24-08-2022 को मेसर्स आरडीएस प्रोजेक्ट लिमिटेड, कोच्चि को प्रदान किया गया है और कार्य शुरू हो गया है तथा प्रगति पर है और 31-03-2026 तक प्राप्त भौतिक प्रगति 70.5% है। ईपीसी अनुबंध की अवधि 18 महीने है और पूरा होने की अपेक्षित तिथि 31.12.2026 है।

VII. मज़दूर कल्याण एवं औद्योगिक संपर्क

1. श्रम स्थिति

2025-26 पत्तन के लिए हड़ताल मुक्त वर्ष था।वर्ष के दौरान पत्तन की श्रम स्थिति शांन्तिपूर्ण रही।

2. परिवार सुरक्षा निधि

सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर परिवार सुरक्षा निधि से कर्मचारियों/उनके परिवारों को 5,10,000/-रुपये प्रदान किए गए।

3. तटवर्ती श्रमिकों के साथ दुर्घटना

शून्य

4. समूह बीमा योजना

भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बचत संबद्ध बीमा योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को 52,08,601/- रुपए की राशि वितरित की गई।

5. कल्याण कोष से अनुग्रह राशि राहत

मृतक पत्तन कर्मचारियों के अंतिम संस्कार के खर्च को पूरा करने के लिए कल्याण कोष से 75,000/- रुपये की राशि वितरित की गई।

6. छात्रवृत्ति

माध्यमिक विद्यालय स्तर से लेकर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित चिकित्सा, अभियंत्रण एवं प्रौद्योगिकी के पाठ्यक्रमों तक विभिन्न ग्रेडों में अध्ययनरत पत्तन कर्मचारियों के बच्चों को मेधा छात्रवृत्ति वितरित की गई। छात्रवृत्ति की राशि 2 से 5 वर्ष की अवधि के साथ 1000 से 3500 रुपये प्रति वर्ष थी।

7. बच्चों की शिक्षा भत्ता

बच्चों के शैक्षिक भत्ते और प्रति बच्चे अधिकतम 27,000 रुपये ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति, पत्तन कर्मचारियों के दो बच्चों तक सीमित, उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं तक प्रदान की गई थी, जो सरकारी नियमों के अनुसार और वर्तमान वेतन संशोधन समझौते में परिकल्पित है।

8. सहकारी समिति

केरल सहकारी सोसायटी अधिनियम,1969 के तहत पंजीकृत कोचिन पत्तन कर्मचारी सहकारी समिति, पत्तन कर्मचारियों के पूर्ण संरक्षण के साथ कोचिन पत्तन में कार्यरत है। यह कर्मचारियों को ऋण उपलब्ध कराकर और उनकी जमा राशि प्राप्त करके पत्तन कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देता है।

सोसायटी पत्तन कर्मचारियों के बच्चों के बीच शैक्षिक पुरस्कार और छात्रवृत्ति भी वितरित करती है। सोसायटी ने केरल सरकार के अनुसरण में कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को भविष्य की देनदारी से बचाने के लिए जोखिम निधि योजना भी शुरू की। क्लास I सुपर ग्रेड से मान्यताप्राप्त यह सोसायटी केरल राज्य की सबसे बेहतरीन कर्मचारी सोसायटी में से एक मानी जाती है।

9. सर रोबर्ट ब्रिस्टो स्मारक लाभ निधि

सर रोबर्ट ब्रिस्टो स्मारक लाभ निधि, त्रावणकोर कोचिन लिटरेरी साइंटिफिक एवं चैरिटेबल सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1955 के अंतर्गत एक दातव्य संस्थान के रूप में सन 1956 में स्थापित एवं पंजीकृत हुआ और कोचिन पत्तन में कार्यरत है। यह कोष सदस्यों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है तथा सदस्यों और उनके परिवार के लिए मृत्यु सहायता प्रदान करता है। ब्रिस्टो फंड के सदस्यों और कर्मचारियों के साथ-साथ कोचिन पत्तन प्राधिकरण के अधीन काम करने वाले अन्य कर्मचारियों के लिए कैंसर, हार्ट बायपास सर्जरी, किडनी डायलिसिस, स्ट्रोक आदि जैसी घातक बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है।

10. कैंटीन

कैंटीन और कैफेटेरिया का संचालन कैंटीन प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है।

11. विद्यालय

(ए) शिशु विहार नर्सरी विद्यालय

विल्लिंगड़न आइलन्ड के नॉर्थ एण्ड में महिला क्लब द्वारा 'शिशु विहार'नर्सरी विद्यालय संचालित है, जिसके लिए कोचिन पत्तन प्राधिकरण द्वारा आवश्यक बुनियादी संरचनाएं प्रदान किया जा रहा है।

(बी)सर रॉबर्ट ब्रिस्टो प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय

प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय चलाने के लिए केरल राज्य सरकार को भूमि और भवन निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं। विद्यालयों को हर महीने 10,000 गैलन स्वच्छ जल निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है।

(सी)केन्द्रीय विद्यालय

विल्लिंगड़न आइलन्ड के पत्तन क्षेत्र में एक केन्द्रीय विद्यालय कार्यरत है। भूमि,भवन और फर्नीचर पत्तन द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं।

12. खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर रिपोर्ट (2025 - 2026)

न्यू मंगलौर पोर्ट ट्रस्ट में 24 से 27 मार्च 2026 तक आयोजित 'ऑल इंडिया मेजर पोर्ट्स वॉलीबॉल चैंपियनशिप' में हमारी टीम ने फाइनल में न्यू मंगलौर पत्तन को हराकर अपना चैंपियनशिप खिताब बरकरार रखा। इसके अलावा, बीच वॉलीबॉल चैंपियनशिप में श्री पॉल जोसेफ (प्रबंधक) एवं श्री फाजिल (खेल प्रशिक्षु) की कोचिन पत्तन टीम ने रजत पदक हासिल किया।

दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट में 17 से 20 फरवरी 2026 तक आयोजित 'ऑल इंडिया मेजर पोर्ट्स शटल बैडमिंटन टूर्नामेंट' में हमारी टीम पुरुष टीम चैंपियनशिप में उपविजेता (रनर्स-अप) रही। व्यक्तिगत श्रेणियों में, सामान्य प्रशासन विभागके प्रबंधक श्री जॉय टी. एंटनी ने पुरुष एकल और खेल प्रशिक्षु श्री आदित्यन एस.डी. के साथपुरुष युगल प्रतियोगिता में दो स्वर्ण पदक जीते। महिला एकल वर्ग में श्रीमती बिंदु एम.जी. ने 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में कांस्य पदक जीता। वहीं, महिला युगल 45+ वर्ग में श्रीमती वसंता काशीविश्वनाथन (अध्यक्ष महोदय की पत्नी) एवं श्रीमती बिंदु एम.जी. ने कांस्य पदक प्राप्त किया।

श्री जॉय टी. एंटनी को 22 से 28 दिसंबर 2025 तक विजयवाड़ा में आयोजित 'सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप' के लिए केरल की पुरुष एवं महिला टीम का कोच चुना गया। साथ ही, उनका चयन 8 से 13 दिसंबर 2025 तक फ्रांस में आयोजित 'ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट कोच शिक्षा कार्यक्रम' के लिए भी किया गया।

16 सदस्यीय कोचिन पत्तन सांस्कृतिक टीम ने 8 से 11 जनवरी 2026 तक पारादीप पत्तन में आयोजित 'ऑल इंडिया मेजर पोर्ट कल्चरल मीट' में भाग लिया। सांस्कृतिक टीम ने समूह संगीत में द्वितीय स्थान, वाद्य संगीत एवं शास्त्रीय संगीत में तृतीय स्थान प्राप्त कर ओवरऑल चैंपियनशिप में द्वितीय उपविजेता का स्थान हासिल किया।

इसके अतिरिक्त, कोचिन पत्तन फुटबॉल टीम ने 23 से 27 फरवरी 2026 तक वी.ओ.सी. पोर्ट, तूतीकोरिन में आयोजित 'ऑल इंडिया मेजर पोर्ट्स चैंपियनशिप' में भाग लिया।

13. आवासन

कर्मचारियों की श्रेणी	आवासों का प्रकार (संख्या)								कुल आबंटन
	I	II	III	IV	V	VI	VII	अवर्गीकृत	
श्रेणी I	शून्य	शून्य	शून्य	1	4	1	2	1	9
श्रेणी II	शून्य	1	4	2	13	शून्य	शून्य	शून्य	20
श्रेणी III	शून्य	15	41	10	1	शून्य	शून्य	शून्य	67
श्रेणी IV एवं तटीय मज़दूर	4	31	3	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	39
अन्य आवंटन	72	133	44	16	5	1	1	शून्य	272
खाली और क्षतिग्रस्त	36	12	24	6	2	6	2	शून्य	88
आवासों का कुल योग	112	192	116	36	25	8	5	1	495

14. सुरक्षा

कोचिन पत्तन के सीआईएसएफ यूनिट 171 कर्मियों की अधिकृत शक्ति है और इसका नेतृत्व उप कमांडेंट करते हैं। यह सीआईएसएफ यूनिट ओटीबी, सीओटी, एरणाकुलम वार्फ़, बीटीपी, मट्टांचेरी वार्फ एवं एलएनजी सहित सभी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। सुरक्षा स्थिर ड्यूटी पोस्ट, नाव गश्त और क्यूआरटी के माध्यम से प्रदान की जाती है। क्यूआरटी को विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मियों के साथ एक समर्पित वाहन में तैनात किया जाता है, जो अत्याधुनिक हथियारों, बुलेटप्रूफ जैकेट और वायरलेस सेट से लैस होता है जो किसी भी स्थिति का जवाब देने के लिए विल्लिंगडन आईलैण्ड में चौबीसों घंटे काम करता है।

एरणाकुलम और मट्टांचेरी चैनलों में हथियारों, वायरलेस सेट और समुद्री जैकेट से लैस विशेष रूप से प्रशिक्षित समुद्री कर्मियों द्वारा चौबीसों घंटे नाव गश्त की जाती है। वार्फ़ क्षेत्र में प्रवेश करते और बाहर निकलते समय सुरक्षा जांच की जाती है।

पत्तन क्षेत्र में सीसीटीवी निगरानी उपलब्ध है,जिसमें 34 कैमरे हैं, जिनकी निगरानी सीआईएसएफ नियंत्रण कक्ष द्वारा चौबीसों घंटे की जाती है। इंटरकॉम और वॉकी-टॉकी के माध्यम से संचार बनाए रखा जाता है। सीओपीए प्रबंधन द्वारा एरणाकुलम वार्फ़ में प्रवेश और निकास के लिए क्यूआर कोड सिस्टम स्थापित किया गया है। क्रूज जहाज संचालन के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था वर्तमान तैनात क्षमता के भीतर सीआईएसएफ द्वारा प्रबंधित की जाती है, हालांकि यह एक गैर-सर्वेक्षण ड्यूटी पोस्ट है। अपराध और खुफिया शाखा की एक समर्पित टीम को अपराध और ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर अग्रिम खुफिया जानकारी के संग्रह, विश्लेषण और प्रसार के लिए नियुक्त किया गया है।

15. चिकित्सा सुविधाएं

I कोचिन पत्तन प्राधिकरण के अस्पताल (पूर्व में पत्तन न्यास) की क्षमता 31-12-2021 तक 110 बेड की थी और 01-01-2022 से बेडओं की संख्या घटाकर 50 कर दी गई है। अस्पताल का नियंत्रण और प्रबंधन मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी (उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (जीडी)) द्वारा किया जाता है, जिनकी सहायता के लिए 3 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (जीडी), 2 चिकित्सा अधिकारी, 1 सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ और 2 संविदा चिकित्सा अधिकारी कार्यरत हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी की सांविधिक क्षमता सचिव को सौंपी गई हैं।

विशेषज्ञ प्रबंधन का कार्य 6 सुपर स्पेशलिस्ट सहित 23 विभिन्न अंशकालिक विजिटिंग विशेषज्ञों की सहायता से किया जा रहा है। परन्तु अधिकांश विशेषज्ञता प्रबंधन के लिए मरीजों को पत्तन के डॉक्टरों द्वारा सूचीबद्ध अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है। रेफर किए गए मरीज सीजीएचएस दर के अनुसार प्रतिपूर्ति के पात्र हैं। पत्तन के अस्पताल में चिकित्सा उपचार के लाभार्थियों में पत्तन कर्मचारी और उनके आश्रित शामिल हैं, जिनमें डीएलडी कर्मचारी और उनके परिवार, सीआईएसएफ कार्मिक और उनके आश्रित, पेंशनभोगी और उनके जीवन साथी, विल्लिंगडन आईलैण्ड में तैनात एफएटीसी कर्मचारी, कोचिन पत्तन से प्रतिनियुक्त कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के कर्मचारी और उनके आश्रित, पेंशनभोगी और कोचिन में बसे अन्य पत्तन कर्मचारियों के आश्रित (भुगतान के आधार पर) आदि शामिल हैं। आपातकालीन स्थिति में आपातकालीन उपचार चौबीसों घंटे जनता के लिए भुगतान पर उपलब्ध है। कोचिन पत्तन के सभी संविदा कर्मचारियों, विल्लिंगडन आईलैण्ड के स्कूली बच्चों और उन लोगों को, जिन्हें ऑपरेशन शुल्क का भुगतान करने में कठिनाई होती है, आपातकालीन स्थिति में प्राथमिक उपचार निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है।

II रिसेप्शन और ओपी विभाग

ओपी विभाग सभी कार्य दिवसों में सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक कार्यरत है और उपस्थिति डिजिटल पंचिंग प्रणाली द्वारा दर्ज की जाती है। चिकित्सा अधिकारियों और विजिटिंग कंसल्टेंट्स के लिए ओपी परामर्श के लिए टोकन रिसेप्शन से अलग से जारी किए जाते हैं।

6 सूपर स्पेशलिस्ट सहित 22 अंशकालिक विजिटिंग विशेषज्ञ कार्य दिवसों में निर्धारित समय पर अपना ऑपरेशन करते हैं।

III आकस्मिक और आईपी वार्ड

कोचिन पत्तन प्राधिकरण के अस्पताल में चौबीसों घंटे आपातकालीन सेवाएँ उपलब्ध हैं। यहाँ मेडिकल, सर्जिकल सहित अलग-अलग पुरुष और महिला आईपी वार्ड हैं, और अधिकारियों और उनके परिवारों के लिए विशेष रूप से चार एसी कमरों वाला अधिकारी वार्ड भी है। यहाँ 10 डबल रूम (कुल 20 बिस्तर) वाला एक नया ब्लॉक वार्ड भी है।

IV आईसीयू

इस अस्पताल के आईसीयू में कार्डियक मॉनिटर, डिफिब्रिलेटर, सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन सप्लाई और सेंट्रलाइज्ड सक्शन सिस्टम से लैस 7 बेड हैं। आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर में कार्डियक मॉनिटर उपलब्ध हैं। पोर्ट अस्पताल में पूर्णकालिक विशेषज्ञ न होने के कारण, गंभीर मरीजों को अंशकालिक विशेषज्ञों से परामर्श के बाद उच्चतर केंद्रों में रेफर किया जाता है।

अधिकारियों और उनके परिवारों के लिए विशेष रूप से चार एसी कमरों वाला एक अलग अधिकारी वार्ड उपलब्ध है। हमारे पास एक

ऑपरेशन थिएटर है जिसे मेजर ऑपरेशन थिएटर और माइनर थिएटर के रूप में चिह्नित किया गया है। यहाँ सामान्य सर्जरी, नेत्र, ईएनटी और स्त्री रोग संबंधी सर्जरी की जा सकती है।

V अन्य विशेष परीक्षण

आवश्यकतानुसार पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ऑडियोमेट्री स्क्रीनिंग और टिटमस विजन टेस्ट भी किए जाते हैं। डॉक सुरक्षा चिकित्सा जाँच एक सीनियर मेडिकल ऑफिसर (जीडी) और एक मेडिकल ऑफिसर द्वारा की जा रही है, जो एएफआईएच (औद्योगिक स्वास्थ्य में एसोसिएट फेलोशिप) में योग्यता प्राप्त हैं।

VI कोचिन पत्तन प्राधिकरण के अस्पताल द्वारा ने विभिन्न रोगों पर जागरूकता चिकित्सा कक्षाएं आयोजित कीं, आईएमए के सहयोग से कई बार रक्तदान शिविर आयोजित किए। महिलाओं के लिए स्वास्थ्य जांच, टीबी की जांच, आयुर्वेद चिकित्सा जांच, सफाई कर्मचारी (महिलाओं) के लिए चिकित्सा परीक्षण, और ओपीडी में मधुमेह और उच्च रक्तचाप की जांच की गई।

VII स्त्री रोग एवं परिवार कल्याण अनुभाग में दो अंशकालिक स्त्री रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति की गई है, तथा उनकी सलाह के अनुसार छोटी-मोटी प्रक्रियाएं की जा रही हैं तथा अन्य मामलों को रेफर किया जा रहा है।

VIII कुल बाह्य रोगी

वर्ष 2025-26 के दौरान इस अस्पताल में कुल 43,953 बाह्य रोगी आए।

IX औसत आंतरिक रोगी अधिभोग

वर्ष 2025-26 के दौरान औसत आंतरिक रोगी अधिभोग 3 है

X सीएफएस स्थित प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पूरी तरह से कार्यरत है।

अस्पताल के लिए एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है, और यह उप-संरक्षक के अधीन अग्निशमन सेवा से संबद्ध है। आपात स्थिति में किराए पर एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाती है।

XI सभी कार्य दिवसों में ऑपरेशन के दौरान एक सुसज्जित स्वचालित प्रयोगशाला और एक्स-रे विभाग कार्यरत रहते हैं। आईपी और ऑपरेशन के दौरान, दोनों प्रकार के रोगियों के लिए "ड्राई टेक्नोलॉजी" विश्लेषक द्वारा विभिन्न प्रकार की जैव-रासायनिक जाँचें की जाती हैं।

कोचिन पत्तन प्राधिकरण के अस्पताल में नवीनतम हाई फ्रीक्वेंसी एक्स-रे मशीन और सीआर सिस्टम के साथ-साथ एक मोबाइल एक्स-रे यूनिट भी उपलब्ध है। एक्स-रे फिल्मों की लागत कम करने के लिए, कंप्यूटर मेल डिलीवरी सिस्टम के माध्यम से सभी डॉक्टरों की ओपीडी, वार्ड और आपातकालीन कक्षों में एक्स-रे तस्वीरें भेजी जा रही हैं, जिससे एक्स-रे फिल्मों की लागत कम हो रही है।

XII रसोई और आहार अनुभाग पूरे दिन कार्यक्षम हैं।

रसोई से जुड़ा बायोगैस संयंत्र अच्छी तरह से काम कर रहा है, जिससे खाना पकाने वाली गैस की लागत कम हो रही है।

XIII फार्मेसी सभी कार्य दिवसों में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक काम करती है।

XIV जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन

भारतीय चिकित्सा संघ की 'इमेज' द्वारा ठोस अपशिष्ट का जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन किया जाता है और तरल अपशिष्ट का अपशिष्ट उपचार संयंत्र द्वारा प्रबंधन केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है और केएसपीसीबी द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

XV अस्पताल में सभी उपकरणों के लिए वार्षिक आधार पर जैव चिकित्सा उपकरण अंशांकन किया जाता है।

XVI नर्सिंग स्कूल की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी और इसमें प्रतिवर्ष 20 छात्र प्रवेश लेते हैं। 12-05-2010 से, यह कोचिन पोर्ट ट्रस्ट एजुकेशनल सोसाइटी के अधीन कार्यरत है, जो त्रावणकोर-कोचिन लिटरेरी साइंटिफिक एंड चैरिटेबल सोसाइटी के अंतर्गत पंजीकृत है। सोसायटी में कोचिन पत्तन के अध्यक्ष शासी निकाय के अध्यक्ष, कोचिन पत्तन के उपाध्यक्ष शासी निकाय के उपाध्यक्ष, कोचिन पत्तन के मुख्य चिकित्सा अधिकारी शासी निकाय के संयोजक, सचिव और कोचिन पत्तन के अन्य सभी विभाग प्रमुख तथा नर्सिंग स्कूल के प्रधानाचार्य शासी निकाय के सदस्य होते हैं। यह मुख्य चिकित्सा अधिकारी और एक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के मार्गदर्शन में एक स्व-वित्तपोषित संस्थान के रूप में कार्य करता है, जिसमें एक प्रधानाचार्य, एक उप-प्रधानाचार्य और 4 प्रशिक्षक कार्यरत हैं। वर्तमान में, यहाँ छात्रावास की सुविधा सहित, सामान्य नर्सिंग एवं मिडवाइफरी पाठ्यक्रम में 60 छात्रों के तीन बैच हैं।

XVII (ए) कोचिन पत्तन प्राधिकरण के अस्पताल के साथ निम्नलिखित केन्द्रों को सी.जी.एच.एस.दरों पर सूचीबद्ध किया जाना जारी है।

1. मेसर्स देवी स्कैन्स एंड लैबोरेटरीज, बायोकेमिकल/माइक्रो बायोलॉजिकल/सीरोलॉजिकल परीक्षणों के लिए, जो कोचिन पत्तन प्राधिकरण के अस्पताल में नहीं किए जाते हैं।

2. एमआरआई/सीटी स्कैन के लिए मेसर्स टाइड वाटर

3. अल्ट्रासाउंड स्कैन के लिए मेसर्स प्राइमेडिकल डायग्नोस्टिक्स

नामांकित अस्पताल

4.(ए)कृष्णा अस्पताल-ऑर्थोपेडिक्स सर्जरी, ऑन्कोलॉजी और यूरोलॉजी में सीजीएचएस दरों पर सेवाएं उपलब्ध हैं।

(बी) सरफ अस्पताल एर्नाकुलम:गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, जनरल मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, ईएनटी, मनोचिकित्सा, बाल रोग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी, जनरल सर्जरी, स्त्री रोग और मूत्रविज्ञान विभाग में सीजीएचएस दरों पर सेवाएं उपलब्ध हैं।

(सी) लक्ष्मी अस्पताल एर्नाकुलम- कार्डियोलॉजी, जनरल मेडिसिन, गायनेकोलॉजी, डायलिसिस, एंडोक्रिनोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स और पीडियाट्रिक (मेडिकल), नियोनेटोलॉजी और न्यूरोलॉजी विभाग, सीजीएचएस दरों पर।

(डी) अपोलो एडलक्स अस्पताल-सभी विभागों में सीजीएचएस की दरों पर शुल्क लागू होगा।

(ई)के.पी.एम आई अस्पताल-नेत्र विज्ञान विभाग

(एफ) लोटस आई अस्पताल-नेत्र विज्ञान विभाग

(जी) 23 अंशकालिक विशेषज्ञ सीओपीएएच में विभिन्न विशिष्टताओं में सेवाएं जारी हैं।

(एच) पोर्ट अस्पताल में एक पल्स पोलियो टीकाकरण शिविर आयोजित किया गया।

(आई) खर्चों में सख्त अनुशासन का पालन किया गया है।

वर्ष 2025-26 के दौरान दिए गए चिकित्सा उपचार का विवरण

बाह्य रोगी विभाग	2025-26
ए) पत्तन कर्मचारी और उनके परिवार	11,121
बी) पेंशनभोगी	26,290
सी) सीआईएसएफ	
डी) अन्य	800
ई) सीएसएल	452
एफ) एफएसीटी	50
जी) निविदा	1588
एच) अन्य पत्तन	149
आई) छात्र	842
जे) प्रशिक्षु	शून्य
कुल	**43,953**

II. औसत आंतरिक मरीज	**3**
III. भर्ती हुए मरीजों की संख्या	**219**
IV. मातृत्व मामले और बाल कल्याण.	
ए) प्रसव मामलों की संख्या	शून्य
बी) एलएससीएस	शून्य
सी) प्रसव पूर्व	14
डी) पुनःजांच	14
ई) प्रसवोत्तर	शून्य
V. आपरेशन	
ए) मुख्य	शून्य
बी) सामान्य	215
VI. विजिटिंग विशेषज्ञों द्वारा उपचारित मामले	
ए) नेफ्रोलॉजी	123
बी) इएनटी	482
सी) नेत्र विज्ञान	1012
डी) दंत चिकित्सा	258
ई) शिशु रोग	80
एफ) त्वचा विज्ञान	शून्य
जी) मनोचिकित्सा	121
एच) रेडियोलॉजी(सोनोलॉजिस्ट)	शून्य
आई) चिकित्सक	403
जे) हड्डी रोग	871
के) कार्डियलजी	621
एल) न्यूरोलोजी	258
एम) यूरोलोजी	शून्य
एन) शल्य चिकित्सा	540
ओ) पल्मोनोलॉजी	152
पी) एण्डोक्रिनोलॉजी	239
क्यू) की गई मोतियाबिंद सर्जरी	शून्य
आर) मेडिकल ऑन्कोलॉजी	15
एस) गैस्ट्रोएंटरोलॉजी	245
टी) स्त्री रोग	228
VII. वर्ष के दौरान किए गए प्रयोगशाला परीक्षणों की संख्या	**66,552**
VIII. रेडियोग्राफ़ी	
लिए गए एक्स-रे की संख्या	2462
(बी) उपयुक्त फिल्मों की संख्या	200
(सी) ई.सी.जी	101
(डी) यू.एस.स्कान	101

16. अस्पताल/चिकित्सा प्रतिपूर्ति

कोचिन पत्तन अस्पताल के माध्यम से प्रदान की गई चिकित्सा सुविधाओं के अलावा, वर्ष 2025-26 के दौरान रेफर किए गए अस्पतालों में प्राप्त चिकित्सा सुविधाओं, बाहर की गई चिकित्सा जांच, बाहर से खरीदी गई दवाओं के लिए 95,65, 586/- रुपये की राशि की प्रतिपूर्ति की गई है। वर्ष 2025-26 के दौरान पेंशनरों द्वारा बाहर से खरीदी गई दवाओं की प्रतिपूर्ति के लिए भुगतान की गई राशि 2,02,415/-रुपये है।

17. शिकायत निवारण

मंत्रालय के निर्देशानुसार, 1991 में कोचिन पत्तन प्राधिकरण में लोक शिकायत निवारण तंत्र का गठन किया गया था। सचिव लोक शिकायत निदेशक हैं। प्रत्येक विभाग के उप विभाग प्रमुख उस विभाग द्वारा प्राप्त लोक शिकायतों को सुनने के लिए शिकायत अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। शिकायतों/अभियोग को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक विभाग में प्रमुख स्थानों पर शिकायत/सुझाव पेटियाँ रखी गई हैं। कोचिन पत्तन नियमित रूप से केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम) भारत सरकार की वेबसाइट पर कर्मचारियों/आम जनता द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत की गई शिकायतों की जाँच करता है और शिकायतों का समयबद्ध तरीके से निपटान किया जाता है। शिकायतों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए कोचिन पत्तन की वेबसाइट (www.cochin-port.gov.in) में सीपीग्राम वेबसाइट (pgportal.gov.in) का सीधा लिंक प्रदान किया गया है। कर्मचारी अपनी शिकायतों को निवारण के लिए संबंधित अधिकारी/मंडल अधिकारी के पास प्रस्तुत कर सकते हैं। शिकायतों का निवारण न होने की स्थिति में, कर्मचारी संबंधित विभाग प्रमुख के समक्ष मामला उठा सकते हैं, अन्यथा उपाध्यक्ष के स्तर पर मामला उठाया जा सकता है। कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर या लिखित रूप में शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं। पीड़ित कर्मचारी अपनी शिकायतों के साथ अध्यक्ष से व्यक्तिगत रूप से भी मिल सकते हैं, चूंकि अध्यक्ष ने शिकायतों को प्राप्त करने के लिए सप्ताह में एक बार सार्वजनिक समय निर्धारित किया है और ऐसी शिकायतों की प्राथमिकता के आधार पर जांच की जाती है तथा संबंधित कर्मचारियों को जवाब दिया जाता है।

18. नागरिक/ग्राहक चार्टर

नागरिक/ग्राहक चार्टर (सीसीसी) नागरिकों/ग्राहकों और सार्वजनिक सेवा प्रदाता के बीच सेवाओं की मात्रा और गुणवत्ता के संबंध में समझ की अभिव्यक्ति है, जो उन्हें उनके करों/शुल्कों के बदले में प्राप्त होती है। यह अनिवार्य रूप से जनता के अधिकारों और लोक सेवकों के दायित्वों के बारे में है। ऐसे चार्टर के सफल कार्यान्वयन के लिए ग्राहकों को भी कुछ दायित्व पूरे करने होते हैं।

कोचिन पत्तन प्राधिकरण के नागरिक/ग्राहक चार्टर को कैबिनेट सचिवालय की परिणाम रूपरेखा प्रबंधन प्रणाली के अनुसार तैयार किया गया है। ग्राहक नागरिक चार्टर को तैयार करने और उसकी समीक्षा करने के लिए एक टास्कफोर्स (जिसमें पत्तनअधिकारी और हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल हैं) का गठन किया गया है, जो तिमाही आधार पर बैठक करता है और आवधिक संशोधनों के लिए यदि कोई हो, नागरिक चार्टर पर विचार करता है। नागरिक/ग्राहक चार्टर कोचिन पत्तन प्राधिकरण की वेबसाइट पर होस्ट किया गया है और सभी विभागों में उपलब्ध कराया गया है।

19. समूह उपदान (ग्रेच्युटी) योजना

समूह उपदान (ग्रेच्युटी) योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम से 25,000/- रुपए की राशि प्राप्त हुई है।

20. परिवहन सुविधाएं

कोचिन ऑयल टर्मिनल पर तैनात ड्रेजर नाविक और कर्मचारियों को तट से पोत/टर्मिनल तक आवागमन हेतु मुफ्त परिवहन सुविधा प्रदान की जाती है।

21. आंतरिक शिकायत समिति

कार्यस्थल में पीड़िता की शिकायतों के निवारण एवं महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निवारणार्थ भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशन के अनुपालन में वर्ष 2004 में शिकायत समिति (महिला प्रकोष्ठ) का गठन किया गया । कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम,निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के लागु होने के बाद शिकायत समिति को आंतरिक शिकायत समिति के रूप में पुनर्गठित किया गया। आंतरिक शिकायत समिति ने वर्ष 2025-26 के दौरान दो बैठकें आयोजित कीं।

22. अन्य श्रम कल्याण गतिविधियां

मृत पोर्ट कर्मचारियों के 1 आश्रित ने वर्ष 2025-26 के दौरान अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत किया है।

चश्मे की लागत के लिए प्रत्येक दो वर्ष की अवधि में एक बार ₹3,000/- की राशि प्रतिपूर्ति योग्य है।

23. दिव्यांगजन कर्मचारी

कोचिन पत्तन विकलांग व्यक्तियों के मामले में विकलांग व्यक्तियों (समान अवसर संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 और भारत सरकार के आदेशों का पालन कर रहा है। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अधिनियमित होने के बाद, कोचिन पत्तन उक्त अधिनियम का पालन करता है और विकलांग व्यक्तियों को अधिनियम के तहत प्रदान किए गए लाभ/सुविधाएँ मिल रही हैं।

वेतन संशोधन समझौते दिनांक 27.09.2024 के खंड 15.2 के अनुसार कोचिन पत्तन विकलांग कर्मचारियों (श्रेणी III और IV) को सामान्य दर से दो गुनी दर पर परिवहन प्रतिपूर्ति का भुगतान कर रहा है।

25. कोचिन पत्तन का सीएसआर फंड

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी सीएसआर दिशानिर्देशों के अनुसार, 2025-26 के दौरान कोचिन पत्तन के सीएसआर फंड के रूप में 1,11,56,037.43 रुपए की राशि निर्धारित की गई है।

2025-26 के दौरान, कोचिन पत्तन द्वारा सीएसआर गतिविधियों के तहत निम्नलिखित गतिविधियाँ शुरू की गई हैं।

क्रम संख्या	2025-26 के लिए कोचिन पत्तन प्राधिकरण का सीएसआर योगदान	राशि (रुपये में)
01	छात्रों में अनुशासन और नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए "कस्टम्स कैडेट कोर" परियोजना।	2,00,000
02	गर्ल्स होम के लिए ओपन स्टेज ट्रस की स्थापना	1,50,000
03	अलाप्पुझा में जल क्रीड़ा में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का विकास	4,00,000
04	सिंचाई प्रबंधन के लिए स्वचालित मौसम डेटा स्टेशन	7,00,000
05	सरकारी हाई स्कूल सेवा के लिए कार्यालय सामग्री और बुनियादी ढांचा	10,00,000
06	ट्रॉल मछली पकड़ने के लिए टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस (टीईडी) की आपूर्ति	12,00,000
07	जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में योगदान	6,90,306
08	राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, लोथल, गुजरात (एनएमएचसी) में योगदान	6,90,306
09	राष्ट्रीय समुद्री परिसर।	6,90,306
10	भारतीय पत्तन संघ (आईपीए)।	6,90,306

VIII सामान्य गतिविधियाँ

ए. मील के पत्थर / उपलब्धियां

कोचिन पत्तन ने वर्ष 2025-26 में 38.06 एमएमटी का कुल थ्रूपुट प्राप्त कर सराहनीय प्रदर्शन किया, जो 2024-25 के थ्रूपुट की तुलना में 0.84% की वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष 2025-26 में पीओएल की मात्रा 24.31 एमएमटी और कंटेनर मात्रा 7.68 लाख टीईयू दर्ज किया गया। कोचिन पत्तन ने पीएलएल टर्मिनल पर 20238 मेट्रिक टन एलएनजी की सफलतापूर्वक बैकलोडिंग की, जो एक महत्वपूर्ण नए व्यापार अवसर का प्रतीक है।

बी. स्वच्छ भारत अभियान

पत्तन क्षेत्र में कार्यस्थलों, कार्यालय भवनों और परिसरों, जेट्टी/वार्फ़ और चयनित सड़कों पर विशेष सफ़ाई अभियान चलाया गया। सभी विभागों से पुरानी फ़ाइलें और कागजात हटा दिए गए।

अल्पावधि में प्रभावोत्पादक कार्य हेतु 39 सूत्री कार्यक्रम और मासिक कार्य योजना को पोत परिवहन मंत्रालय को भेजा गया है, जिसे विनिर्दिष्ट समयानुसार लागू किया गया है। 16 से 30 सितंबर,2025 के दौरान स्वच्छता पखवाड़ा, 2025 का आयोजन किया गया और निर्देशानुसार मंत्रालय के संबंधित पोर्टल तथा सोशल मीडिया प्लैटफार्मों में जानकारी अपलोड की गई।

सी. महत्वपूर्ण घटनाएँ

08.04.2025	कोचिन पत्तन प्राधिकरण में अखिल भारतीय प्रमुख पत्तन वॉलीबॉल और बीच वॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन
02.05.2025	विश्व आर्थिक मंच (एएनइआरटी) के प्रतिनिधियों के साथ बैठक
26.05.2025	सरकारी आश्वासनों पर समिति का अध्ययन दौरा (2025-26) कोयंबत्तूर में हुआ।
27.05.2025	पत्तन दिवस समारोह
21.06.2025	एमएनसी में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आइडीवाइ) का आयोजन
02.06.2025	चेन्नइ में 29 जून से 2 जुलाइ तक आयोजित आसियान-भारत क्रूज संवाद 2025 में भाग लिया।
24.07.2025	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा दिल्ली में आयोजित समुद्री वित्तपोषण शिखर सम्मेलन में भाग लिया।
01.08.2025	नइ दिल्ली स्थित मत्स्य विभाग के माननीय राज्य मंत्री अधिवक्ता जॉर्ज कुरियन की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गइ, जिसमें कोचीन पत्तन प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे थोप्पुमपडी मत्स्य पालन जलाशय के उन्नयन और आधुनिकीकरण की प्रगति की समीक्षा की गइ।
27.08.2025	मत्स्य पालन, पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन एवं अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री माननीय श्री जॉर्ज कुरियन का दौरा
29.08.2025	श्री विजय कुमार, आइएएस, ओएसडी (एमओपीएसडब्ल्यू) का कोचीन पत्तन प्राधिकरण का दौरा।
10.09.2025	सुश्री जॉर्डन लास्कर, उप वाणिज्य दूताधिकारी, अमेरिकी नागरिक सेवा इकाइ, अमेरिकी वाणिज्य दूतावास, चेन्नइ
16.09.2025	कोचिन पत्तन प्राधिकरण में फेस पंचिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया।
19.09.2025	केरल-इयू ब्लू इकोनॉमी कॉन्क्लेव 2025 - "ब्लू टाइड्स", तिरुवनंतपुरम स्थित द लीला होटल में आयोजित।
20.09.2025	टरक्षक बल द्वारा फोर्ट कोच्चि के वास्को-दा-गामा चौक पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाइ दिवस
20.09.2025	अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य के राज्यपाल महामहिम फिलिप डी मर्फी के सम्मान में केरल के मुख्यमंत्री द्वारा ग्रैंड हयात, कोच्चि में व्यापारिक बैठक और रात्रिभोज का आयोजन किया गया।
07.10.2025	भारत समुद्री सप्ताह 2025 पर रोडशो - कैसीनो में हितधारकों की बैठक
08.10.2025	डॉ. ए. कोवसिगन आइएएस के साथ बैठक
	केरल सरकार के मुख्य सचिव के साथ बैठक
	सहकारिता, पत्तन और देवस्वम मंत्री श्री वी. एन. वासवन के साथ बैठक
	केरल सरकार में लोक निर्माण विभाग और पर्यटन मंत्री मोहम्मद रियास पी. ए. के साथ बैठक।
	श्री के.आर. ज्योतिलाल आइएएस, अपर मुख्य सचिव (एसीएस) के साथ बैठक।
11.10.2025	मट्टनचेरी और विलिंगडन आइलैन्ड जल मेट्रो मार्गों के उद्घाटन समारोह में भाग लिया।
23.10.2025	सीएसएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
27.10.2025 से 31.10.2025 तक	मुंबइ में आयोजित इंडिया मैरीटाइम वीक (आइएमडब्ल्यू) 2025 में भाग लिया।

07.11.2025	राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ का समारोह
25.11.2025	कोरिया गणराज्य के दूतावास, नइ दिल्ली की यात्रा – कोचिन पत्तन प्राधिकरण का दौरा
17.12.2025	कोचीन पत्तन पर माननीय प्रधानमंत्री के सलाहकार श्री तरुण कपूर द्वारा समीक्षा बैठक और स्पॉट मूल्यांकन।
26.12.2025	लोकसभा की संसदीय अनुमान समिति का हैवलॉक (स्वराज द्वीप), चेन्नइ और पोर्ट ब्लेयर के भुवनेश्वर में अध्ययन दौरा।
05.01.2026	कोच्चि (केरल) और उसके आसपास स्थित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्षों और कुछ सदस्य कार्यालयों सहित मसौदा एवं साक्ष्य उप-समिति की राजभाषा निरीक्षण कार्यक्रम उप-समिति की बैठक कुमरकम में हुइ।
10.01.2026	संयुक्त निदेशक (एफ), आव्रजन ब्यूरो, मुख्यालय, नइ दिल्ली का कोचिन पत्तन दौरा
15.01.2026	अध्यक्ष के कक्ष में नेदरलैंड की भारत में राजदूत सुश्री मारिसा गेराई्स और दक्षिण भारत में महावाणिज्यदूत श्री इवोट डी विट के साथ बैठक (डीसीएम/डीसी)
18.01.2026	डीआरपीएससी द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन पर किए गए अध्ययन भ्रमण का आयोजन कोच्चि और लक्षद्वीप में होटल हयात, कोच्चि में किया गया।
21.01.2026	सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2025-26) का हैदराबाद, कोच्चि और लक्षद्वीप का दौरा 20-23 जनवरी, 2026 को होगा।.
06.03.2026	चेन्नइ के आइआइटी मद्रास में आयोजित कोस्टलैब 26 सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित।
09.03.2026	सामुद्रिका में महिला दिवस समारोह
30.03.2026	कोचिन पत्तन प्राधिकरण, एनआइसीडीसी और डीपी वर्ल्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह

भाग II

सांख्यिकीय परिशिष्ट

विषय सूची

	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	पत्तन की भौगलिक स्थिति	57
2	बर्थ विवरण	58
3	प्लव यान	59
4	कार्गो हस्तन उपकरण	60
5	भंडारण सुविधाएं	61
6	वस्तुवार एवं श्रेणीवार हस्तन किए गए कार्गो यातायात	62
7	यातायात का फ्लैगवार वितरण	64
8	उत्पत्ति और गंतव्यवार – हस्तन किए गए विदेशी यातायात	66
9	वस्तुवार हस्तन किए गए यातायात	69
10	परिवहन के विभिन्न साधनों द्वारा प्राप्त वस्तुवार लदे हुए सामग्री	71
11	परिवहन के विभिन्न साधनों द्वारा भेजे गए समाग्रीवार उतारे गए सामग्री	72
12	अन्य देशों के सामग्री का वस्तुवार एवं श्रेणीवार पारगमन यातायात	73
13	हस्तन किए गए कंटेनरों की संख्या और प्रकार	75
14	कंटेनर कार्गो और हस्तन किए गए कंटेनरों का वजन	76
15	अंतर्देशीय (लैण्डवार्ड) कंटेनर की आवागमन- जहाज से माल उतारने के बाद पत्तन से बाहर जाना	77
16	जहाज़ में लदाई के लिए पोर्ट में प्रवेश किए - अंतर्देशीय (भूस्थित) कंटेनर का चलन	78
17	महापत्तन का निष्पादन	79
18	महापत्तन का निष्पादन	80
19	बर्थिंग पूर्व प्रतीक्षा समय का वितरण	81

विषय सूची

	विवरण	पृष्ठ संख्या
20	कार्यशील बर्थ पर गैर-कार्यशील समय का वितरण	82
21	सामग्री वार निष्पादन सूचक	83
22	सामग्री वार निष्पादन सूचक	84
23	बर्थ अधिभोग	85
24	कार्गो हस्तन उपकरणों की उपलब्धता	86
25	तटीय श्रम उत्पादकता	87
26	डॉक श्रम उत्पादकता	88
27	उपकरणों की उपलब्धता और उपयोग (कं टेनर हस्तन के अलावा)	89
28	कंटेनर हस्तन उपकरण की उपलब्धता और उपयोग	90
29	कंटेनर हस्तन उपकरण का निष्पादन	91
30	ड्रेजर का निष्पादन	92
31	रवाना हुए जहाजों की संख्या, प्रकार और आकार	93
32	महापत्तन में यात्री यातायात	94
33	महापत्तनों में दुर्घटनाएँ	95
34	महापत्तन में रोजगार	96
35	महापत्तन के आय एवं व्यय	97
36	निधि एवं अन्य वित्तीय सांख्यिकीय का उपयोग	98
37	व्यय शीर्ष द्वारा संचालित व्यय	99
38	निजी टर्मिनल संचालक के वित्तीय डाटा	100
39	वित्तीय सूचकों	101
40	योजनाबद्ध एवं गैर-योजनाबद्ध योजनाओं पर पूंजी व्यय	102

विवरण- 1
पत्तन की भौगलिक स्थिति

पत्तन: कोचिन पत्तन प्राधिकरण **वर्ष : 2025-26 (मार्च , 2026 तक)**

अवस्थिति		प्रवेश चैनल			टर्निंग सर्किल		डॉक/पोर्ट का प्रकार
अक्षांश	देशान्तर रेखा	लंबाई (किमी.)	न्यूनतम गहराई (मीटर में)	न्यूनतम चौड़ाई (मीटर में)	संख्या	व्यास	
1	2	3	4	5	6	7	8
09-58.2एन	076-15.5ई	16	15.95	260	2	500 मीटर/ 670 मीटर	नदियां

विवरण- 2
बर्थ विवरण

पत्तन: कोचिन पत्तन प्राधिकरण **वर्ष : 2025-26 (मार्च , 2026 तक)**

क्र.सं..	बर्थ का नाम, सं.	बर्थ का प्रकार	डिजाइन/गहराई (मीटर में)	स्वीकार्य ड्राफ्ट (मीटर में)	घाट की लंबाई (मीटर में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1	क्यू.1	सामान्य कार्गो	9.75	9.14	188	
2	क्यू.2	सामान्य कार्गो	9.75	9.14	228	
3	क्यू.3	सामान्य कार्गो				
4	क्यू.4	पीओएल उत्पाद	9.75	9.14	251	
5	क्यू.5	सामान्य कार्गो	10.5	10	503	
6	क्यू.6	सामान्य कार्गो				
7	क्यू.7	सामान्य कार्गो	11	10.5		
6	क्यू.8	सामान्य कार्गो	13.5	11	414	
8	क्यू.9	सामान्य कार्गो				
9	क्यू.10	उर्वरक एवं कच्चा माल	11.5	10.7	278	
10	बीटीपी	बहुउद्देश्यीय/ क्रूज	10.5	10	270	
11	सीओटी	कच्चा तेल/ उत्पाद	13.2	12.5	430	
12	एनसीबी	सामान्य कार्गो	9.75	9.14	209	
13	एनटीबी	पीओएल उत्पाद	9.75	9.14	298	
14	एससीबी	तरल कार्गो	9.75	9.14	192	
15	एसटीबी	पीओएल उत्पाद	9.75	9.14	266	
16	एसपीएम	कच्चा तेल	NA	22.5	NA	
17	यूटीएल	यात्री	6	5.3	300	
18	आईसीटीटी- वी 2	कंटेनर	15.95	14.5	600	
19	आईसीटीटी- वी 3	कंटेनर				
20	एलएनजी	एलएनजी	13.5	12.5	376.5	
21	मल्ट	एलपीजी	14.5	13	290	

नोट: एलओए या डीडब्ल्यूटी के संदर्भ में जहाज़ के आकार पर कोई भी विशिष्ट जानकारी टिप्पणी कॉलम में दी जा सकती है।.

विवरण- 3
प्लव यान

पत्तन: कोचिन पत्तन प्राधिकरण **वर्ष : 2025-26 (मार्च , 2026 तक)**

क्र.सं.	जहाज़ का प्रकार	पोर्ट के स्वामित्व में		पोर्ट द्वारा किराये पर लिया गया		टिप्पणी
		संख्या	निर्धारित क्षमता	संख्या	निर्धारित क्षमता	
1	2	3	4	5	6	7
1	ड्रेजर					
	जीएचडी नेहरू शताब्दी	1	1500 C.M			स्वामित्व वाला ड्रेजर
2	टग					
	टग वल्लारपाडम	1	45 टी बीपी			स्वामित्व वाला टग
	टग वाइपीन	1	45 टी बीपी			स्वामित्व वाला टग
	ओश्यन एलाईट			1	60 टी बी पी	किराए का टग
	ओश्यन पायनियर			1	60 टी बी पी	किराए का टग
	ओश्यन एण्टरप्राईज			1	60 टी बी पी	किराए का टग
3	लॉन्च					
	मूरिंग लॉन्च	5	“109 बीएचपी - 3 नाव 130 बीएचपी - 2 नाव..”			स्वामित्व वाला मूरिंग बोट
	पायलट लॉन्च	1	325बीएचपीx2 - 1 सं			स्वामित्व वाला पायलट बोट
	पायलट लॉन्च			1	400 बीएचपीx2	किराए का पायलट बोट
4	बार्ज	0				शून्य
5	प्लव क्रेन					
	एम वी वेनाड	1	10 टी			स्वामित्व वाला
6	अन्य					
	स्पीड बोट	1	2x150 एचपी - 1 No.			स्वामित्व वाला
	प्रदूषण नियंत्रक बोट			1	15 व्यक्ति	किराए का बोट
	सीआईएसएफ हार्बर पट्रोल बोट			2	15 व्यक्ति	किराए का बोट
	टैंकर टर्मिनल क्रू चेंज बोट			1	24 व्यक्ति	किराए का बोट

नोट: निजी टर्मिनल ऑपरेटरों सहित महापत्तनों के सभी उपकरणों को इसमें शामिल किया जाना आवश्यक है।

विवरण- 4
कार्गो हस्तन उपकरण

पत्तन: कोचिन पत्तन प्राधिकरण **वर्ष : 2025-26 (मार्च , 2026 तक)**

क्र.सं..	उपकरण का प्रकार	पोर्ट के स्वामित्व में		पोर्ट द्वारा किराये पर लिया गया		टिप्पणी
		संख्या	निर्धारित क्षमता (टन में)	संख्या	निर्धारित क्षमता (टन में)	
1	2	3	4	5	6	7
1	वार्फ़ क्रेन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ए) ईएलएल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(बी)हार्बर मोबाइल क्रेन	1	40	शून्य	शून्य	शून्य
2	मोबाइल क्रेन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	फोर्कलिफ्ट ट्रक	6	3 & 5	शून्य	शून्य	5 सं. 3 टन; 1 सं. 5 टन
4	पे लोडर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5	ट्रैक्टर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6	ट्रांसफर क्रेन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7	टॉप लिफ्ट ट्रक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8	गैंट्री क्रेन्स	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ए)यार्ड गैन्ट्री क्रेन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	बी) रेल माउंटेड गैन्ट्री क्रेन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सी) रबर टायर गैन्ट्री क्रेन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9	रीच स्टेकर्स	1	45	शून्य	शून्य	शून्य
10	लोकोमोटिव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11	ट्रेलर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
12	विशेष यांत्रिक कार्गो हस्तन उपकरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
13	तरल कार्गो के हस्तन हेतु मराइन लोडिंग आर्म्स	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
14	अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

नोट: पत्तन में सभी उपकरणों का वर्णन किया जा सकता है।

[महापत्तनों के सभी उपकरणों में निजी टर्मिनल ऑपरेटरों के उपकरण भी शामिल होंगे।]

विवरण-- 5
भंडारण सुविधाएं

पत्तन: कोचिन पत्तन प्राधिकरण **वर्ष : 2025-26 (मार्च , 2026 तक)**

प्रकार	"शुष्क भंडारण सुविधा			तरल भंडारण टैंक				कंटेनर			
	संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	स्थान [पत्तन के अंदर/बाहर]	संख्या	स्थान [पत्तन के अंदर/ बाहर]	क्षमता (किलोमीटर/ टन)	कार्गो का प्रकार	संख्या	स्थान [पत्तन के अंदर/बाहर]	क्षमता/क्षेत्र (टीईयू)	टिप्पणी
ए)पत्तन के स्वामित्व में											
ए)आवृत्त											
i) ट्रांजिट शेड/ओवरफ्लो शेड	8	24914	पत्तन के अंदर								
ii) गोदाम	"5 (110)"	"14755 (35265)"	पत्तन के अंदर (बाहर)								
iii) कंटेनर फ्रेट स्टेशन	1	10000	पत्तन के अंदर								
बी) मुक्त	"1 (2)"	"104225 (47000)"	पत्तन के अंदर (बाहर)								
सी) कंटेनर यार्ड		15000						1	पत्तन के अंदर	20000 (462 टीईयू)	
डी) रेफर पॉइंट (सं.)								4	पत्तन के अंदर		
ई) तरल भंडारण, टैंक, फार्म आदि											
बी) अन्य (निजी/उपयोगकर्ता एजेंसियां)											
ए)आवृत्त											
i) ट्रांजिट शेड/ओवरफ्लो शेड											
ii) गोदाम	74	34093	पत्तन के बाहर								
iii) कंटेनर फ्रेट स्टेशन								3	पत्तन के बाहर		
बी) मुक्त									पत्तन के बाहर	67900 (वर्ग मीटर)	
सी) कंटेनर यार्ड									पत्तन के बाहर	10900 (वर्ग मीटर)	
डी) रेफर पॉइंट (सं.)								486			
ई) तरल भंडारण, टैंक, फार्म आदि				12	पत्तन के बाहर	611708	तरल कार्गो				

विवरण- 6

वस्तुवार एवं श्रेणीवार हस्तन किए गए कार्गो यातायात

पत्तन: कोचिन पत्तन प्राधिकरण **वर्ष : 2025-26 (मार्च , 2026 तक)**

('000 टनो में)

क्र.सं.	सामग्री	विदेशी			तटीय			कुल
		उतराई	लदाई	कुल	उतराई	लदाई	कुल	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ए	तरल बल्क							
1	पीओएल- कच्चा तेल	17518.61	0	17518.61	287	0	287.204	17805.82
2	पीओएल-उत्पाद	554.43	477.96	1032.39	1096	4374	5470.593	6502.98
3	एलएनजी	1322.99	0.00	1322.99	0	0	0.000	1322.99
4	खाद्य तेल	12.44	0	12.44	0	0	0.000	12.44
5	एफआरएम-तरल	180.94	0	180.94	180	0	180.249	361.19
6	अन्य	245.96	0	245.96	7		7.077	253.04
बी	शुष्क बल्क							
1	लौह अयस्क (सभी)							
	(ए) पेलेट्स	0	0	0	0	0	0	0
	(बी) फाइन	0	0	0	0	0	0	0
2	अन्य अयस्क	0	0	0	0	0	0	0
3	थर्मल कोयला	0	0	0	0	0	0	0
4	कुकिंग कोल	0	0	0	0	0	0	0
5	अन्य कोयला	0	0	0	0	0	0	0
6	उर्वरक	0	0	0	0	0	0	0
7	एफआरएम-शुष्क	198.50	0	198.50	0.00	0	0	198.50
8	खाद्यान्न (दालों को छोड़कर)	0	0	0	0	0	0	0
9	दाल	0	0	0	0	0	0	0
10	चीनी	0	0	0	0	0	0	0
11	सीमेंट	0	0	0	1072.46	0	1072.46	1072.46
12	नमक	0	0	0	102.41	0	102.41	102.41
13	लौह स्क्रैप	0	0	0	0		0	0
14	अन्य	24.80	0	24.80	0	0	0	24.80
सी	ब्रेक बल्क							
1	आयरन एवं स्टील	0.66	0	0.66	0	0	0	0.66
2	टिम्बर एवं लॉग्स	0	0	0	0	0	0	0
3	चाय एवं कॉफी	0	0	0	0	0	0	0
4	खाद्यान्न (दाल को छोड़कर)	0	0	0	0	0	0	0
5	दाल	0	0	0	0	0	0	0
6	चीनी	0	0	0	0	0	0	0
7	सीमेंट	0	0	0	0	0	0	0
8	प्रोजेक्ट कार्गो	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00

9	उर्वरक	0	0	0	0	0	0	0
10	ऑटोमोबाइल (टन में)	0	0	0	0	0	0	0
	(संख्या)	0	0	0	0	0	0	0
11	अन्य	44.23	5.48	49.72	0.5	52.05	52.55	102.261
डी	**कंटेनर (टन में)**	**1649.73**	**2250**	**3900.12**	**4158**	**1145.02**	**5303**	**9203.36**
	(टीईयू)	159860	217914	377774	197219	166309	363528	741302
ई	**ट्रांसशिपमेंट**							
1	कंटेनर (टन में)	290	290	579.44	260	260	520.21	1099.65
	(टीईयू)	26646	26646	53293	16309	16309	32618	85911
2	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)*	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (ए+बी+सी+डी+ई)	**22043.03**	**3023.55**	**25066.57**	**7164.50**	**5831.49**	**12996**	**38063**

नोट: (i) प्रशासनिक रिपोर्ट में डेटा प्रकाशित करते समय अलग-अलग पत्तन अपने द्वारा हस्तन किए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं को शामिल कर सकते हैं। उपर्युक्त वस्तुओं की जानकारी समान रूप से शामिल की जानी है। उपरोक्त वस्तुओं में से जो वर्ष के दौरान हस्तन नहीं की गईं हैं, उन्हें छोड़ा जा सकता है।
(ii) वर्ष के अंत में कार्गो हस्तन परिचालन में नियुक्त जहाज़ों के लिए, लेकिन कार्गो हस्तन पूरा नहीं किया है, वर्ष के अंत तक हस्तन किए गए कार्गो को शामिल किया जाएगा। अगले वर्ष में संचालन जारी रखने वाले जहाज़ों के लिए, हस्तन किए गए शेष कार्गो को अगले वर्ष में गिना जाएगा।
(iii)* : केवल उन्हीं वस्तुओं को विनिर्दिष्ट किया जा सकता है जो ए से सी में शामिल हैं। शेष वस्तुओं को अन्य में शामिल किया जा सकता है। ट्रांजिट यातायात को ट्रांसशिपमेंट में शामिल किया जा सकता है।

विवरण-7
यातायात का फ्लैगवार वितरण

पत्तन: कोचिन पत्तन प्राधिकरण **वर्ष : 2025-26 (मार्च , 2026 तक)**

(टनो में)

क्र.सं.	राष्ट्रीयता	जहाजों की संख्या	कार्गो की मात्रा			कुल
			उतराई	लदाई	ट्रांसशिपमेंट	
1	2	3	4	5	6	7
ए	**विदेशी**					
1	सेंट किट्स एंड नेविस	1	0.06	0.00	0.00	0.06
2	अण्टीगुआ और बारबूडा	3	124.62	1.68	0.00	126.30
3	बहामास	10	486.05	38.48	35.02	559.54
4	बारबाडोस	6	266.13	0.00	0.00	266.13
5	बेलीज़	2	11.50	0.00	0.00	11.50
6	बरमूडा	3	196.57	0.00	0.00	196.57
7	कैमरून	4	520.53	0.00	0.00	520.53
8	कैमान द्वीपसमूह	1	141.13	0.00	0.00	141.13
9	चीन	16	110.77	160.44	0.10	271.31
10	कोमोरोस	2	100.05	0.53	0.00	100.58
11	कुक द्वीपसमूह	1	8.00	0.00	0.00	8.00
12	साइप्रस	1	0.53	0.04	4.27	4.83
13	डेनमार्क	6	0.12	29.97	0.00	30.10
14	गैम्बिया	1	100.22	0.00	0.00	100.22
15	ग्रीस	8	755.62	38.42	0.00	794.04
16	होंड्यूरास	1	3.73	10.28	1.91	15.92
17	हांगकांग	20	496.68	98.66	0.61	595.95
18	आईएम	2	133.87	0.00	0.00	133.87
19	भारत	88	5103.05	702.67	102.73	5908.45
20	कोरिया गणराज्य	3	15.48	0.00	0.00	15.48
21	कुएत	2	24.80	0.00	0.00	24.80
22	लाइबेरिया	130	6434.30	284.32	232.81	6951.43
23	मलेश्या	1	1.62	0.00	12.11	13.73
24	माल्टा	9	1044.39	0.00	0.00	1044.39
25	मार्शल द्वीपसमूह	45	1625.88	165.12	14.61	1805.61
26	नेदरलैंड्स	3	0.16	0.02	0.00	0.17
27	नॉर्वे	3	57.75	0.00	0.00	57.75
28	पलाउ	4	258.44	0.27	0.00	258.71
29	पनामा	90	2113.23	254.31	65.90	2433.44
30	फिलिपींस	5	28.96	0.00	0.00	28.96
31	पुर्तगाल	4	8.48	9.00	39.69	57.17
32	रूसी संघ	6	0.44	0.65	0.00	1.09
33	सान मरीनो	2	16.80	0.00	0.00	16.80

34	सऊदी अरब	1	7.62	0.00	0.00	7.62
35	सियेरा लिओन	9	278.68	0.00	0.00	278.68
36	सिंगापुर	81	899.21	660.22	10.45	1569.87
37	श्रीलंका	1	0.00	2.00	0.00	2.00
38	एसएक्स	1	0.09	0.04	0.00	0.13
39	थाईलैंड	2	14.70	0.00	0.00	14.70
40	तुर्की	1	68.64	0.00	0.00	68.64
41	वियतनाम	7	324.02	0.00	0.00	324.02
42	अन्य	0	0.00	306.34	0.00	306.34
कुल विदेशी (ए)		**586**	**21782.92**	**2763.45**	**520.20**	**25066.56**
बी	**तटीय**					
1	बहामास	1	57.41	0.00	0.00	57.41
2	बंग्लादेश	1	45.00	0.00	0.00	45.00
3	बारबाडोस	3	31.22	0.00	0.00	31.22
4	कैमान द्वीपसमूह	1	5.10	0.00	0.00	5.10
5	डेनमार्क	1	6.23	40.78	0.00	47.00
6	गिनी बिस्साउ	1	12.65	0.00	0.00	12.65
7	होंग कोंग	1	6.91	0.00	8.75	15.66
8	आईएम	2	0.31	2.03	0.00	2.34
9	भारत	541	5587.51	5236.27	473.84	11297.62
10	कोरिया गणराज्य	2	20.60	0.00	0.00	20.60
11	लाइबेरिया	4	25.84	0.00	0.13	25.97
12	मार्शल द्वीपसमूह	7	64.16	0.45	10.26	74.87
13	नोर्वे	2	27.00	0.00	0.00	27.00
14	पलाउ	2	23.25	0.00	0.00	23.25
15	पनामा	12	152.50	0.03	12.35	164.88
16	फिलिपींस	5	102.59	0.00	0.00	102.59
17	सियेरा लिओन	2	21.66	0.00	0.00	21.66
18	सिंगापूर	40	676.52	56.69	68.94	802.14
19	अन्य	0	8.33	205.52	5.18	219.02
कुल तटीय (बी)		**628**	**6874.77**	**5541.77**	**579.44**	**12995.99**
कुल योग (ए+बी)		**1214**	**28657.69**	**8305.21**	**1099.64**	**38062.55**

विवरण-- 8

उत्पत्ति और गंतव्यवार – हस्तन किए गए विदेशी यातायात

पत्तन: कोचिन पत्तन प्राधिकरण **वर्ष : 2025-26 (मार्च , 2026 तक)**

(टनों में)

क्र.सं.	सामग्री	कार्गो उतराई		कार्गो लदाई	
		मूल देश	मात्रा	गंतव्य देश	मात्रा
1	2	3	4	5	6
ए	**तरल बल्क**				
1	पीओएल (कच्चा तेल)	अंगोला	133376		
		ब्रज़ील	259714		
		ईजिप्त	393183		
		भारत	287204		
		इराक़	3048935		
		कुवेत	453973		
		मलेश्या	97128		
		ओमान	543751		
		क़तर	282457		
		रुसी संघ	6746947		
		साउदी अरब	1948033		
		संयुक्त अरब अमिरात	3318320		
		संयुक्त राज्य अमरीका	292798		
			17805817		**0**
2	पीओएल (उत्पाद)	भारत	1096283	चीन	59722
		संयुक्त अरब अमिरात	25167	भारत	4374311
		संयुक्त राज्य अमरीका	152279	ओमान	38417
				सिंगापुर	29773
				श्रीलंका	2000
				संयुक्त अरब अमिरात	38339
				अन्य	309707
			1273729		**4852268**
3	एलपीजी/एलएनजी	अंगोला	136442		
		कैमरून	61327		
		चीन	59645		
		मौरिटानिया	32868		
		मोज़ाम्बीक्	134144		
		नैजीरिया	63557		
		ओमान	485055		
		क़तर	127153		
		सेनेगल	36860		
		ट्रिनिडैड एंड टोबैगो	63477		
		संयुक्त अरब अमिरात	122173		

		अन्य	377273		
			1699974		**0**
4	खाद्य तेल	अर्जेंटीना	10939		
		रुसी संघ	1500		
			12439		
5	एफआरएम-तरल	चीन	65861		
		भारत	180249		
		जोर्डान	22764		
		एमए	55543		
		ओमान	24800		
		दक्षिण अफ्रीका	11973		
			361189		
6	अन्य	बहरैन	18128		
		बेलजियम	8995		
		जर्मनी	7910		
		इंडोनीश्या	21161		
		नेदरलैंड्स	1089		
		भारत	7077		
		ओमान	28998		
		क़तर	20720		
		रुसी संघ	22030		
		साउदी अरब	116928		
			253037		**0**
बी	**शुष्क बल्क**				
1	एफआरएम-शुष्क	टोगो	198496		
			198496		
2	सीमेंट	भारत	1072456		
			1072456		
3	नमक	भारत	102410		
			102410		
4	अन्य	मोज़ाम्बीक्	24804.28		
			24804		
सी	**ब्रेक बल्क**				
1	आयरन और स्टील	इटली	8		
		मलेश्या	413		
		वियतनाम	236		
			657		
2	अन्य	इंडोनीश्या	44105	भारत	52053
		रुसी संघ	126	अन्य	5484
		भारत	493		
			44724		**57537**
डी	**कंटेनर**				
	टन	अमरीका	61435	अमरीका	3782

		अफ्रीका	50343	मध्य पूर्व	26413
		मध्य पूर्व	347817	यूरोप	122031
		यूरोप	70932	चीन	115516
		चीन	284161	श्रीलंका	926677
		श्रीलंका	471676	द्क्षिण पूर्व	206786
		दक्षिण पूर्व	243359	भारत	1115405
		भारत	4128604	अन्य	878801
		अन्य	149630		
			5807957		**3395411**
	टीईयू (संख्या)				
		अमरीका	5456	अमरीका	938
		अफ्रीका	3703	मध्य पूर्व	1837
		मध्य पूर्व	28615	यूरोप	9795
		यूरोप	8625	चीन	15524
		चीन	18665	श्रीलंका	79112
		श्रीलंका	56773	द्क्षिण पूर्व	15754
		दक्षिण पूर्व	19302	भारत	150001
		भारत	180909	अन्य	68307
		अन्य	18721		
			340769		**341268**
इ	**कंटेनर ट्रांसशिपमेंट**				
	टन	अमरीका	76412	अमरीका	8616
		अफ्रीका	42145	अफ्रीका	2069
		मध्य पूर्व	68054	मध्य पूर्व	25272
		यूरोप	23893	यूरोप	59761
		चीन	1886	चीन	20109
		श्रीलंका	696	श्रीलंका	14773
		दक्षिण पूर्व	6528	द्क्षिण पूर्व	63310
		भारत	289722	भारत	289722
		अन्य	40486	अन्य	66190
			549822		**549822**
	टीईयू (संख्या)				
		अमरीका	5755	अमरीका	409
		अफ्रीका	7853	अफ्रीका	117
		मध्य पूर्व	7665	मध्य पूर्व	1644
		यूरोप	1599	यूरोप	2818
		चीन	139	चीन	3692
		श्रीलंका	144	श्रीलंका	1158
		दक्षिण पूर्व	1255	द्क्षिण पूर्व	3226
		भारत	16309	भारत	16309
		अन्य	2237	अन्य	13582
			42956		**42955**
कुल योग			**2,92,07,511**		**88,55,038**

विवरण-9
वस्तुवार हस्तन किए गए यातायात

पत्तन: कोचिन पत्तन प्राधिकरण **वर्ष : 2025-26 (मार्च , 2026 तक)**

(टनों में)

क्र.सं.	सामग्री	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
1	2	3	4	5	6	7
I	**लदाई (ए+बी+सी+डी)**					
ए	**तरल बल्क**					
1	पीओएल- कच्चा तेल	0	0	0	0	0
2	पीओएल-उत्पाद	4629	3488	4500	4569	4852.267
3	एलपीजी/एलएनजी	3	0	0	20	0
4	खाद्य तेल	0	0	0	0	0
5	एफआरएम-तरल	0	0	0	0	0
6	अन्य	0	83	5	1	0
बी	**शुष्क बल्क**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	लौह अयस्क (सभी)	0	0	0	0	0
	(ए) पीलेट्स	0	0	0	0	0
	(बी) फाइन	0	0	0	0	0
2	अन्य अयस्क	0	0	0	0	0
3	थर्मल कोयला	0	0	0	0	0
4	कुकिंग कोयला	0	0	0	0	0
5	अन्य कोयला	0	0	0	0	0
6	उर्वरक	0	0	0	0	0
7	एफआरएम-शुष्क	0	0	0	0	0
8	खाद्यान्न (दाल को छोड़कर)	0	0	0	0	0
9	दाल	0	0	0	0	0
10	चीनी	0	0	0	0	0
11	सीमेंट	0	0	0	0	0
12	नमक	0	0	0	0	0
13	लौह स्क्रैप	0	0	0	0	0
14	अन्य	8	0	0	0	0
सी	**ब्रेक बल्क**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	आयरन एवं स्टील	0	0	0	0	0
2	टिम्बर एवं लॉग्स	0	0	0	0	0
3	चाय एवं कॉफी	0	0	0	0	0
4	खाद्यान्न (दाल को छोड़कर)	0	0	0	0	0
5	दाल	0	0	0	0	0
6	चीनी	0	0	0	0	0
7	सीमेंट	0	0	0	0	0
8	प्रोजेक्ट कार्गो	0	0	0	0	0
9	उर्वरक	0	0	0	0	0
10	ऑटोमोबाइल (टन में)	0	0	0	0	0
	(संख्या)	0	0	0	0	0
11	अन्य	70	52	30	53	57.537
डी	**कंटेनर (टन में)**	**2590**	**2795**	**3075**	**3191**	**3395.411**
	(टीईयू)	289465	292427	377017	332693	341268
ई	**ट्रांसशिपमेंट**					

1	कंटेनर (टन में)	1226	917	699	1158	550
	(टीईयू)	78079	52332	52702	84781	42955
2	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)*	0	0	0	0	
	कुल	**8526**	**7335**	**8310**	**8993**	**8855**
II	**उतराई (ए+बी+सी+डी)**					
ए	**तरल बल्क**					
1	पीओएल- कच्चा तेल	15125	16302	17195	17256	17806
2	पीओएल-उत्पाद	1313	1477	1356	1733	1273.73
3	एलपीजी/एलएनजी	1021	956	1134	1067	1699.97
4	खाद्य तेल	25	19	17	25	12.439
5	एफआरएम-तरल	347	370	421	243	361.189
6	अन्य	146	174	201	182	253
बी	**शुष्क बल्क**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	लौह अयस्क (सभी)	0	0	0	0	0
	(ए) पीलेट्स	0	0	0	0	0
	(बी) फाइन	0	0	0	0	0
2	अन्य अयस्क	0	0	0	0	0
3	थर्मल कोयला	0	0	0	0	0
4	कुकिंग कोयला	0	0	0	0	0
5	अन्य कोयला	0	0	0	0	0
6	उर्वरक	0	0	0	0	0
7	एफआरएम-शुष्क	319	171	190	223	198.496
8	खाद्यान्न (दाल को छोड़कर)	0	0	0	0	0
9	दाल	0	0	0	0	0
10	चीनी	0	0	0	0	0
11	सीमेंट	1009	1049	755	836	1072.456
12	नमक	125	90	140	131	102.41
13	लौह स्क्रैप	0	0	0	0	0
14	अन्य	93	953	82	42	24.804
सी	**ब्रेक बल्क**					
1	आयरन एवं स्टील	11	31	39	44	0.657
2	टिम्बर एवं लॉग्स	0	0	16	0	0
3	चाय एवं कॉफी	0	0	0	0	0
4	खाद्यान्न (दाल को छोड़कर)	0	0	0	0	0
5	दाल	0	0	0	0	0
6	चीनी	0	0	0	0	0
7	सीमेंट	0	0	0	0	0
8	प्रोजेक्ट कार्गो	0	0	10	2	0
9	उर्वरक	0	0	0	0	0
10	ऑटोमोबाइल (टन में)	0	0	0	0	0
	(संख्या)	0	0	0	0	0
11	अन्य	29	53	45	50	44.7
डी	**कंटेनर (टन में)**	**5236**	**5357**	**5705**	**5759**	**5808**
	(टीईयू)	289953	298137	377220	332410	340770
ई	**ट्रांसशिपमेंट**					
1	कंटेनर (टन में)	1226	917	699	1158	550
	(टीईयू)	78080	52334	52703	84781	42955
2	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)*	0	0	0	0	
	कुल	**26024**	**27920**	**28006**	**28753**	**29208**
	कुल योग (I+II)	**34550**	**35255**	**36315**	**37745**	**38063**

विवरण- 10

परिवहन के विभिन्न साधनों द्वारा प्राप्त वस्तुवार लदा हुआ सामग्री

पत्तन: कोचिन पत्तन प्राधिकरण **वर्ष : 2025-26 (मार्च , 2026 तक)**

(टनों में)

क्र.सं.	सामग्री	रेल द्वारा प्राप्त	सड़क मार्ग से प्राप्त	आईडबल्यूटी द्वारा प्राप्त	पाइप लाइन द्वारा प्राप्त *	कुल
1	पीओएल (कच्चा तेल)					0
2	पीओएल (उत्पाद)		801	468277	4383189	4852267
3	एलपीजी/एलएनजी					0
4	अन्य तरल बल्क					0
5	लौह अयस्क					0
6	कुकिंग कोयला					0
7	थर्माल कोयला					0
8	उर्वरक समाप्त					0
9	एफआरएम-शुष्क					0
10	अन्य शुष्क बल्क					0
11	स्टील उत्पाद					0
12	अन्य ब्रेक बल्क		57537			57537
13	कंटेनर		3362680			3362680
14	**सभी सामग्री**	**0**	**3421018**	**468277**	**4383189**	**8272484**

* : पत्तन क्षेत्र में भंडारण फार्म टैंक में

विवरण-11

परिवहन के विभिन्न साधनों द्वारा भेजा गया समाग्रीवार अनलोडेड कार्गो

पत्तन: कोचिन पत्तन प्राधिकरण **वर्ष : 2025-26 (मार्च , 2026 तक)**

(टनों में)

क्र.सं.	सामग्री	रेल द्वारा भेजा गया	सड़क मार्ग से भेजा गया	आईडब्ल्यूटी द्वारा भेजा गया	पाइप लाइन द्वारा भेजा गया*	कुल
1	पीओएल (कच्चा तेल)				17805817	17805817
2	पीओएल (उत्पाद)		722892	468277	82511	1273680
3	एलपीजी/एलएनजी				1699974	1699974
4	अन्य तरल बल्क		349574	277091		626665
5	लौह अयस्क					0
6	कुकिंग कोयला					0
7	थर्माल कोयला					0
8	समाप्त उर्वरक					0
9	एफआरएम-शुष्क			198496		198496
10	अन्य शुष्क बल्क		1199670			1199670
11	स्टील उत्पाद		657			657
12	अन्य ब्रेक बल्क		50535			50535
13	कंटेनर					0
14	**सभी सामग्री**	**0**	**2323328**	**943864**	**19588302**	**22855494**

* पत्तन क्षेत्र में भंडारण फार्म टैंक से

विवरण- 12

अन्य देशों के सामग्री का वस्तुवार एवं श्रेणीवार पारगमन यातायात

पत्तन: कोचिन पत्तन प्राधिकरण **वर्ष : 2025-26 (मार्च , 2026 तक)**

(टनों में)

क्र.सं.	सामग्री	उतराई	लदाई	कुल
1	2	3	4	5
ए	**तरल बल्क**			
1	पीओएल- कच्चा तेल	17518.61	0	17518.61
2	पीओएल-उत्पाद	554.43	477.96	1032.39
3	एलपीजी/एलएनजी	1322.99	0.00	1322.99
4	खाद्य तेल	12.44	0	12.44
5	एफआरएम-तरल	180.94	0	180.94
6	अन्य	245.96	0	245.96
बी	**शुष्क बल्क**			
1	लौह अयस्क (सभी)			0
	(ए) पेलेट्स	0	0	0
	(बी) फाइन	0	0	0
2	अन्य अयस्क	0	0	0
3	थर्माल कोयला	0	0	0
4	कुकिंग कोयला	0	0	0
5	अन्य कोयला	0	0	0
6	उर्वरक	0	0	0
7	एफआरएम-शुष्क	198.50	0	198.50
8	खाद्यान्न (दाल को छोड़कर)	0	0	0
9	दाल	0	0	0
10	चीनी	0	0	0
11	सीमेंट	0	0	0
12	नमक	0	0	0
13	लौह स्क्रैप	0	0	0
14	अन्य	24.80	0	24.80
सी	**ब्रेक बल्क**			
1	आयरन एवं स्टील	0.66	0	0.66
2	टिम्बर एवं लॉग्स	0.00	0	0.00
3	चाय एवं कॉफी	0	0	0
4	खाद्यान्न (दाल को छोड़कर)	0	0	0
5	दाल	0	0	0
6	चीनी	0	0	0
7	सीमेंट	0	0	0

8	प्रोजेक्ट कार्गो	0.00	0	0.00
9	उर्वरक	0	0	0
10	ऑटोमोबाइल (टन में)	0	0	0
	(संख्या)	0	0	0
11	अन्य	44.23	5.48	49.72
डी	**कंटेनर (टन में)**	1679.35	2280.01	3959.36
	(टीईयू)	159860	191267	351127
ई	**ट्रांसशिपमेंट**			
1	कंटेनर (टन में)	260.10	260.10	520.20
	(टीईयू)	26646	26647	53293
2	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)*	0	0	0
	कुल (ए+बी+सी+डी+ई)	**22043.02**	**3023.55**	**25066.56**

विवरण- 13
हस्तन किए गए कंटेनरों की संख्या और प्रकार

पत्तन: कोचिन पत्तन प्राधिकरण **वर्ष : 2025-26 (मार्च , 2026 तक)**

(संख्या में)

क्र.सं.	मद	प्रकार	20 फीट संख्या		40 फीट संख्या		45 फीट संख्या.	अन्य		कुल	
			सामान्य	रीफ़र	सामान्य	रीफ़र	सामान्य	सामान्य	रीफ़र	सामान्य	रीफ़र
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
ए	लदाई	एलसीएल	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		एफसीएल	58393	468	63428	16788	-	-	-	121821	17256
		खाली	101674	5	9893	255	-	-	-	111567	260
		कुल	**160067**	**473**	**73321**	**17043**	**0**	**0**	**0**	**233388**	**17516**
बी	उतराई	एलसीएल	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		एफसीएल	148260	44	48490	1805	-	-	-	196750	1849
		खाली	12194	419	24493	15138	-	-	-	36687	15557
		कुल	**160454**	**463**	**72983**	**16943**	**0**	**0**	**0**	**233437**	**17406**
सी	ट्रांसशिपमेंट	एलसीएल	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		एफसीएल	25299	8	11479	1893	-	-	-	36778	1901
		खाली	6295	0	9380	4372	27	-	-	15702	4372
		कुल	**31594**	**8**	**20859**	**6265**	**27**	**0**	**0**	**52480**	**6273**
डी	**कुल योग (ए+बी+सी)**		**352115**	**944**	**167163**	**40251**	**27**	**0**	**0**	**519305**	**41195**

विवरण- 14

कंटेनर कार्गो और हस्तन किए गए कंटेनरों का वजन

पत्तन: कोचिन पत्तन प्राधिकरण **वर्ष : 2025-26 (मार्च , 2026 तक)**

(टनों में)

मद	कंटेनर कार्गो	वजन	कुल (2+3)
1	2	3	4
1.लदे गए	2597464	797947	3395411
2.उतारे गए	5011038	796919	5807956
3.ट्रांसशिपमेंट	898581	201063	1099644
कुल(1+2+3)	**8507083**	**1795929**	**10303012**

विवरण- 15

अंतर्देशीय (लैण्डवार्ड) कंटेनर की आवागमन- जहाज से माल उतारने के बाद पत्तन से बाहर जाना

पत्तन: कोचिन पत्तन प्राधिकरण **वर्ष : 2025-26 (मार्च , 2026 तक)**

प्रणाली	20′			40′			अन्य			कुल (टीईयु)		
	लदे हुए	खाली	कुल	लदे हुए	खाली	कुल	लदे हुए	खाली	कुल	लदे हुए	खाली	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.रेल द्वारा												
(ए) आईसीडी												
संख्या												
टन												
(बी) सीएफएस												
संख्या												
टन												
(सी) अन्य												
संख्या												
टन												
2. सड़क मार्ग द्वारा												
(ए) आईसीडी												
संख्या												
टन												
(बी) सीएफएस												
संख्या												
टन												
(सी) अन्य												
संख्या	147878	12592	160470	49288	38655	87943	0	0	0	246454	89902	336356
टन	4232022.073	35700.917	4267722.99	1344761.967	162740.44	1507502.403	0	0	0	5576784.04	198441.353	5775225
3. आईडब्ल्यूटी द्वारा												
(ए) आईसीडी												
संख्या												
टन												
(बी) सीएफएस												
संख्या												
टन												
(सी) अन्य												
संख्या												
टन												

विवरण- 16

जहाज़ में लदाई के लिए पोर्ट में प्रवेश किए -अंतर्देशीय (भूस्थित) कंटेनर का चलन

पत्तन: कोचिन पत्तन प्राधिकरण **वर्ष : 2025-26 (मार्च , 2026 तक)**

प्रणाली	20'			40'			अन्य			कुल (टीईयू)		
	लदे हुए	खाली	कुल	लदे हुए	खाली	कुल	लदे हुए	खाली	कुल	लदे हुए	खाली	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.रेल द्वारा												
(ए) आईसीडी												
संख्या												
टन												
(बी) सीएफएस												
संख्या												
टन												
(सी) अन्य												
संख्या												
टन												
2. सड़क मार्ग द्वारा												
(ए) आईसीडी												
संख्या	58435	101658	160093	79359	9022	88381	0	0	0	217153	119702	336855
टन	1143883.29	253769.63	1397652.92	1924500.20	40526.93	1965027.12	0.00	0.00	0.00	3068383.48	294296.56	3362680
(बी) सीएफएस												
संख्या												
टन												
(सी) अन्य												
संख्या												
टन												
3.आईडब्ल्यूटी द्वारा												
(ए) आईसीडी												
संख्या												
टन												
(बी) सीएफएस												
संख्या												
टन												
(सी) अन्य												
संख्या												
टन												

विवरण-17
महापत्तन का निष्पादन

पत्तन: कोचिन पत्तन प्राधिकरण **वर्ष : 2025-26 (मार्च , 2026 तक)**

क्र.सं.	मद	शुष्क बल्क		तरल बल्क	ब्रेक बल्क	कंटेनर	सभी
		यांत्रिक	पारंपरिक				
1	**रवाना किये गये जहाजों की संख्या- (कुल संख्या)**	**68**	**3**	**556**	**35**	**552**	**1214**
ए)	बर्थ में (सं.)	68	3	556	35	552	1214
(i)	विदेशी	5	1	276	32	272	586
(ii)	तटीय	63	2	280	3	280	628
बी)	स्ट्रीम में (सं.)						0
2	**हस्तन किए गए कुल कार्गो यातायात- (टन में)**	**12,70,952**	**1,27,213**	**2,62,58,452**	**1,02,920**	**1,03,03,012**	**3,80,62,549**
ए)	बर्थ में - (टन में)	12,70,952	1,27,213	2,62,58,452	1,02,920	1,03,03,012	3,80,62,549
3	**बर्थिंग पूर्व प्रतीक्षा समय (घंटे)-कुल**	**809.17**	**39.70**	**9552.11**	**32.58**	**2060.45**	**12494.01**
ए)	बर्थिंग पूर्व प्रतीक्षा समय (घंटे)-पोर्ट खाता	30.37	0.17	418.09	7.23	235.32	691.18
बी)	बर्थिंग पूर्व प्रतीक्षा समय (घंटे)- गैर पोर्ट खाता	778.80	39.53	9134.02	25.35	1825.13	11,802.83
4	**कार्यशील समय (घंटे)**	**3666.82**	**425.25**	**13744.27**	**1026.43**	**7972.40**	**26,835.17**
5	**बर्थ पर गैर कार्यशील समय (घंटे)-कुल**	**726.76**	**149.01**	**5061.53**	**256.22**	**1795.81**	**7989.33**
ए)	बर्थ पर कार्यशील समय (घंटे)-पोर्ट खाता	0.00	0.00	0.00	0.00	1688.90	1,688.90
बी)	बर्थ पर कार्यशील समय (घंटे)-गैर पोर्ट खाता	726.76	149.01	5061.53	256.22	106.91	6,300.43
6	**गैर कार्यशील बर्थ पर समय (घंटे) - कुल**	**0.00**	**0.00**	**786.25**	**0.00**	**0.00**	**786.25**
ए)	गैर कार्यशील बर्थ पर समय (घंटे) - पोर्ट खाता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बी)	गैर कार्यशील बर्थ पर समय (घंटे) - गैर पोर्ट खाता	0.00	0.00	786.25	0.00	0.00	786.25
7	**नेविगेशन समय (घंटे)-कुल**	**276.38**	**13.23**	**2275.79**	**135.08**	**2170.12**	**4870.60**
ए)	इनवर्ड चलन (घंटे में)	141.77	6.68	1173.43	68.28	1102.89	2,493.05
बी)	आउटवार्ड चलन (घंटे में)	134.61	6.55	1102.36	66.80	1067.23	2,377.55
8	**स्थानांतरण समय**	**35.92**	**6.55**	**171.13**	**18.43**	**23.32**	**255.35**
9	**"आवर्तन समय (घंटे)-कुल (पायलट के बोर्डिंग से डी-बोर्डिंग तक)"**	**4557.28**	**583.48**	**21439.95**	**1327.19**	**11340.05**	**39247.95**
ए)	आवर्तन समय (घंटे)-पोर्ट खाता	3830.52	434.47	15592.17	1070.97	11233.14	32,161.27
बी)	आवर्तन समय (घंटे)-पोर्ट खाता	726.76	149.01	5847.78	256.22	106.91	7,086.68

नोट : एन.डब्ल्यू - गैर कार्यशील

एन.पी ए/सी - गैर पोर्ट खाता

यांत्रिक- यांत्रिक रूप से हस्तन किए गए

पारंपरिक- पारंपरिक रूप से हस्तन किए गए

विवरण- 18
महापत्तन का निष्पादन

पत्तन: कोचिन पत्तन प्राधिकरण **वर्ष : 2025-26 (मार्च , 2026 तक)**

क्र.सं.	मद	कंटेनर	ब्रेक बल्क	शुष्क बल्क		तरल बल्क	कुल
				यांत्रिक	पारंपरिक		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रवाना हुए मालवाहक जहाजों की संख्या	552	35	68	3	556	**1214**
2	हस्तन किए गए कार्गो (टन में)	1,03,03,012	1,02,920	12,70,952	1,27,213	2,62,58,452	**3,80,62,549**
3	औसत पार्सल आकार (टन में)	18,609	1,575	18,690	36,518	46,360	**30877**
4	औसत आवर्तन समय (घंटों में)	20.54	37.92	67.02	194.49	38.56	**32.33**
5	कार्यरत बर्थ पर औसत ठहराव (घंटों में)	17.70	34.05	63.45	189.38	33.63	**28.46**
6	औसत बर्थिंग पूर्व प्रतीक्षा समय (घंटों में)	4.16	0.93	11.90	13.23	17.18	**10.29**
	(ए) पोर्ट खाता	0.43	0.21	0.45	0.06	0.75	**0.57**
	(बी) गैर पोर्ट खाता	3.73	0.72	11.45	13.18	16.43	**9.72**
7	औसत गैर-कार्यशील समय (घंटों में)	3.25	4.95	9.53	47.63	8.91	**6.35**
	(ए) पोर्ट खाता	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	**1.39**
	(बी) गैर पोर्ट खाता	0.19	4.95	9.53	47.63	8.91	**4.96**
8	कार्यशील बर्थ पर गैर-कार्यशील समय का प्रतिशत (घंटों में)	18	14	15	25	25	**22**
9	प्रति जहाज बर्थ दिवस औसत आउटपुट	25,238	1,103	7,069	4,628	33,084	**26,038**

नोट: गैर-कार्गो जहाज जैसे बंकरिंग, नौसैनिक, मरम्मत और सर्वेक्षण जहाज इसमें शामिल नहीं हैं।

विवरण-19
बर्थिंग पूर्व प्रतीक्षा समय का वितरण

पत्तन: कोचिन पत्तन प्राधिकरण **वर्ष : 2025-26 (मार्च , 2026 तक)**

(घण्टों में)

क्र.सं.	मद	कंटेनर		ब्रेक बल्क	शुष्क बल्क		तरल बल्क	कुल
		सेलुलर	संयोजन		यांत्रिक	पारंपरिक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ए	**पोर्ट खाता**							
1	अनुपलब्धता							
	(i) बर्थ	235.32		7.23	30.37		406.49	**679.41**
	(ii) टग क्राफ्ट						4	**4.00**
	(iii) पायलट							**0.00**
2	हड़ताल/रोक							**0.00**
3	रात्रि नेविगेशन प्रतिबंध						7.6	**7.60**
4	ड्राफ्ट प्रतिबंध							**0.00**
5	अन्य					0.17		**0.17**
बी	**गैर-पोर्ट खाता**							
1	जहाज़ खाता							**0.00**
2	जहाज मालिकों की खाता							**0.00**
3	एजेंट विकल्प	177.42		22.33	330.20		3804.05	**4334.00**
4	कमी की मांग							**0.00**
5	दस्तावेज़ तैयार नहीं हैं							**0.00**
6	ज्वारीय प्रतिबंध	12.78		1.00	28.15		40.33	**82.26**
7	मौसम प्रतिबंध						333.18	**333.18**
8	कार्गो की कमी							**0.00**
9	मज़दूर अवकाश/ मध्यावकाश							**0.00**
10	बिज़ली गिरावट							**0.00**
11	कार्गो प्रवलता							**0.00**
12	अन्य	1634.93		2.02	420.45	39.53	4956.46	**7053.39**
कुल		**2060.45**	**0.00**	**32.58**	**809.17**	**39.70**	**9552.11**	**12494.01**

विवरण- 20
कार्यशील बर्थ पर गैर-कार्यशील समय का वितरण

पत्तन: कोचिन पत्तन प्राधिकरण **वर्ष : 2025-26 (मार्च , 2026 तक)**

(घण्टों में)

क्र.सं.	मद	कंटेनर		ब्रेक बल्क	शुष्क बल्क		तरल बल्क	कुल
		सेलुलर	संयोजन		यांत्रिक	पारंपरिक		
1	2	3	4	6	7	8	9	11
A	**पोर्ट खाता**							
(a)	कार्यशील बर्थ							
1	उपकरण की अनुपलब्धता	0	0	0	0	0	0	**0**
2	उपकरण गतिरोध	198.00	0	0	0	0	0	**198.00**
3	श्रमिकों की अनुपस्थिति	0	0	0	0	0	0	**0**
4	हड़ताल /बंदी	0	0	0	0	0	0	**0**
5	शेड संकुलन	0	0	0	0	0	0	**0**
6	बिज़ली गिरावट	76.00	0	0	0	0	0	**76.00**
7	फ़ल्का प्रारंभ/समाप्ती	0	0	0	0	0	0	**0.00**
8	मज़दूर अवकाश	0	0	0	0	0	0	**0**
9	रात्रि नेविगेशन प्रतिबंध	0	0	0	0	0	0	**0**
10	अन्य	1414.90	0	0	0	0	0	**1414.90**
(b)	गैर-कार्यशील बर्थ पर अतिवाहित समय	0	0	0	0	0	0	**0**
B	**गैर-पोर्ट खाता**							
(a)	कार्यशील बर्थ							
1	जहाज खाता	15.34	0	41.00	100.60	32.05	780.00	**968.99**
2	शिपर्स खाता	22.05	0	30.04	248.83	0	1363.07	**1663.99**
3	एजेंट विकल्प	27.56	0	10.11	3.83	25.46	102.00	**168.96**
4	गैर-पत्तन श्रमिकों की अनुपस्थिति	0	0	0	0	0	0	**0**
5	कार्गो की मांग के लिए	0	0	0	0	0	0	**0**
6	प्रस्थान औपचारिकताएं	0	0	10.45	264.73	8	2257.07	**2539.82**
7	मौसम प्रतिबंध	19.56	0	11.99	19.50	24.03	0.00	**75.08**
8	अवकाश	0	0	0	0	0	0	**0**
9	भंडारण / साइलो का अभाव	0	0	0	0	0	0	**0**
10	उपयोगकर्ता उपकरण मरम्मत	0	0	0	10.58	21	0.00	**31.74**
11	तटीय निर्बाधन	0	0	0	0	0	0	**0**
12	अन्य	22.40	0	69.63	0.00	32.62	452.31	**576.96**
(b)	गैर-कार्यशील बर्थ पर अतिवाहित समय	0.00	0	0.00	0.00	0.00	786.25	**786.25**
	कुल							
(a)	कार्यशील बर्थ[ए(ए)+बी(ए)]	1795.81	0	173.22	648.07	142.89	4954.45	**7714.44**
(b)	गैर-कार्यशील बर्थ [ए(बी)+बी(बी)]	0.00	0	0.00	0.00	0.00	786.25	**786.25**

[पत्तन अपने महत्व के आधार पर डेटा प्रकाशित कर सकते हैं। हालाँकि प्रारूप के अनुसार जानकारी टीआरडब्ल्यू और आईपीए को समान रूप से प्रदान की जानी है।]

विवरण- 21
सामग्री वार निष्पादन सूचक

पत्तन: कोचिन पत्तन प्राधिकरण **वर्ष : 2025-26 (मार्च , 2026 तक)**

क्र.सं.	सामग्री	रवाना हुए जहाजों की संख्या	हस्तन किए गए कार्गो (रवाना किए गए जहाज) (टन में)	आवर्तन समय (दिन)		बर्थिंग पूर्व अवरोधन (दिन)		कार्यशील वर्थ पर ठहराव (दिन)		
				कुल	गैर-पोर्ट खाता पर अतिवाहित समय	कुल	गैर-पोर्ट खाता	कुल	कार्यशील समय	गैर-कार्यशील समय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	पीओएल (कच्चा तेल)	139	17805816.68	230.39	59.80	171.63	166.20	199.51	143.17	2.35
2	पीओएल (उत्पाद)	294	5613912.39	494.77	126.48	165.38	155.40	427.94	302.82	5.21
3	एलपीजी/एलएनजी	53	1690928.66	81.19	22.80	6.02	5.54	72.93	54.59	0.76
4	अन्य तरल बल्क	70	665695.27	86.98	30.11	54.97	53.46	78.75	72.10	0.28
5	लौह अयस्क	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	कुकिंग कोयला	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	थर्मल कोयला	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	उर्वरक एवं एफआरएम	5	198496	49.09	12.50	1.67	1.61	41.17	28.67	0.52
9	अन्य शुष्क बल्क	66	1182009	165.09	20.46	33.68	32.49	162.28	141.83	0.85
10	स्टील उत्पाद	3	689.86	5.60	0.62	0.14	0.14	4.28	3.67	0.03
11	अन्य ब्रेक बल्क	32	54447	49.69	6.60	1.21	-0.26	45.70	39.10	0.27
12	कंटेनर	552	10272168	472.50	4.45	85.85	76.05	407.01	332.18	3.12
13	सभी सामग्री	1214	37484162	1635.30	283.83	520.55	490.61	1439.58	1118.13	321.45

*पायलट बोर्डिंग से डी-बोर्डिंग तक

विवरण- 22

सामग्री वार निष्पादन सूचक

पत्तन: कोचिन पत्तन प्राधिकरण **वर्ष : 2025-26 (मार्च , 2026 तक)**

क्र.सं.	सामग्री	रवाना हुए जहाजों की संख्या	हस्तन किए गए कार्गो (रवाना किए गए जहाज) (टन में)	औसत आवर्तन समय (दिन)	बर्थिंग पूर्व औसत प्रतीक्षा समय (दिन)	प्रति जहाज बर्थ दिवस औसत उत्पादन (टन में)
1	2	3	4	5	6	7
1	पीओएल (कच्चा तेल)	139	17805816.68	1.66	1.23	89248
2	पीओएल (उत्पाद)	294	5613912.39	1.68	0.56	13118
3	एलपीजी/एलएनजी	53	1690928.66	1.53	0.11	23185
4	अन्य तरल बल्क	70	665695.27	1.24	0.79	8453
5	लौह अयस्क	0	0	0.00	0.00	0.00
6	कुकिंग कोयला	0	0	0.00	0.00	0.00
7	थर्माल कोयला	0	0	0.00	0.00	0.00
8	उर्वरक समाप्त और शुष्क एफआरएम	5	198496	9.82	0.33	4821
9	अन्य शुष्क बल्क	66	1182009	2.50	0.51	7284
10	स्टील उत्पाद	3	689.86	1.87	0.05	161
11	अन्य ब्रेक बल्क	32	54446.54	1.55	0.04	1191
12	**कंटेनर**	**552**	**10272168**	**0.86**	**0.16**	**25238**
13	**सभी सामग्री**	**1214**	**3,74,84,162**	**1.35**	**0.43**	**26038**

विवरण- 23
बर्थ अधिभोग

पत्तन: कोचिन पत्तन प्राधिकरण **वर्ष : 2025-26 (मार्च , 2026 तक)**

क्र.सं.	बर्थ	दिनों की संख्या		अधिभोग की प्रतिशतता
		उपलब्ध	अधिभोग	
1	क्यू1	330	177.65	54
2	क्यू2	330	45.58	14
3	क्यू3	330	44.42	13
4	क्यू4	330	199.58	60
5	क्यू5	330	227.19	69
6	क्यू6	330	144.30	44
7	क्यू7	330	77.52	23
8	क्यू8	330	119.49	36
9	क्यू9	330	177.14	54
10	क्यू10	330	109.04	33
11	बीटीपी	330	166.06	50
12	एनसीबी	330	113.68	34
13	सीओटी	330	183.57	56
14	एनटीबी	330	42.31	13
15	एसटीबी	330	0.00	0
16	एससीबी	330	145.09	44
17	एसपीएम	330	193.74	59
18	एलएनजी	330	23.41	7
19	वी2	330	194.44	59
20	वी3	330	212.45	64
21	मल्ट	330	785.32	100
22	यूटीएल	330	49.52	15
कुल योग		**7260**	**3431.50**	**47**

*बहुउद्देशीय जहाज़ों द्वारा अधिकृत बर्थ

विवरण- 24
कार्गो हस्तन उपकरणों की उपलब्धता

पत्तन: कोचिन पत्तन प्राधिकरण **वर्ष : 2025-26 (मार्च , 2026 तक)**

क्र.सं.	उपकरण का विवरण	उपकरणों की संख्या	यातायात की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु		(प्रतिशतता) के कारण कम आपुर्ति					पूर्ण मरम्मताधीन यूनिट की संख्या	प्रमुख मरम्मताधीन यूनिट की संख्या	टिप्पणी
			प्रतिदिन औसत मांग (सं.)	प्रतिदिन औसत आपूर्ति (सं.)	कर्मचारियों की अनुपस्थिति	उपकरणों की कमी	उपकरण गतिरोध	काम गतिरोध	अन्य			
1	हार्बर मोबाइल क्रेन	1 सं.	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	विश्लेषण के तहत
2	फोर्कलिफ्ट ट्रक	6 सं.	3 सं.	3 सं	शून्य	शून्य	2.18%	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागु नहीं
3	रीच स्टेकर	1 सं.	1 सं.	1 सं.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागु नहीं
4	ईसीएच	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागु नहीं
5	ईआरटीजी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागु नहीं
6	एसटीएस	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागु नहीं

विवरण- 25
तटीय श्रम उत्पादकता

पत्तन: कोचिन पत्तन प्राधिकरण **वर्ष : 2025-26 (मार्च , 2026 तक)**

								औसत उत्पादकता (टन)				
क्र.सं.	डेटाम लाइन और कार्गो	कार्य किये गए हुक की संख्या	कार्य किए गए हुक घण्टे	कार्य किए गए प्रभावी हुक घण्टे	कार्य किए गए मानव घंटे	कार्य किए गए प्रभावी मानव घण्टे	हस्तन किए गए टन भार (टन में)	प्रति हुक	प्रति हुक घण्टे	प्रति प्रभावी हुक घण्टे	प्रति मानव घण्टे	प्रति प्रभावी मानव घण्टे
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ए	उतारे गए											
1	जंबो बैग में एल्युमिना	161	1281	1135	15407	13654	44045	274	34	39	3	3
2	रक्षा कार्गो	2	14	13	185	172	126	63	9	10	1	1
3	इल्मेनाइट रेत	65	518	444	3686	3101	24804	382	48	56	7	8
4	धातु एवं धातु उत्पाद	2	15	15	189	189	61	31	4	4	0	0
5	बल्क में नमक	7	58	52	736	668	657	94	11	13	1	1
6	प्रोजेक्ट कार्गो	117	934	871	2429	2283	84750	724	91	97	35	37
	आईएमओ कार्गो	354	2819	2530	22632	20067	154443	436	55	61	7	8
बी	कुल(ए)											
1	लदे गए	1	7	7	91	91	6	6	1	1	0	0
2	आईएमओ कार्गो	29	228	214	2967	2785	5483	189	24	26	2	2
	कुल(बी)	**30**	**235**	**221**	**3058**	**2876**	**5489**	**183**	**23**	**25**	**2**	**2**
	कुल योग (ए+बी)	**384**	**3054**	**2751**	**25690**	**22943**	**159932**	**416**	**52**	**58**	**6**	**7**

विवरण- 26
डॉक श्रम उत्पादकता

पत्तन: कोचिन पत्तन प्राधिकरण **वर्ष : 2025-26 (मार्च , 2026 तक)**

						औसत उत्पादकता (टन में)		
क्र.सं.	सामग्री	कार्य किए गए हुक की संख्या	हुक घण्टे/कार्य किए गए प्रभावी हुक घण्टे	मानव घण्टे/कार्य किए गए मानव घण्टे	हसतन किए गए टनभार (टन में)	प्रति हुक	प्रति हुक घण्टा	प्रति मानव घण्टा
ए	**ब्रेक बल्क**							
1	जंबो बैग में एल्युमिना	161	1135	13654	44045	274	39	3
2	आईएमओ कार्गो	2	13	172	126	63	10	1
3	रक्षा कार्गो	1	7	91	6	6	1	0
4	धातु एवं धातु उत्पाद	31	229	2974	5544	179	24	2
5	प्रोजेक्ट कार्गो	7	52	668	657	94	13	1
	कुल (ए)	**202**	**1436**	**17559**	**50378**	**249**	**35**	**3**
बी	**शुष्क बल्क**							
1	इल्मेनाइट रेत	65	444	3101	24804	382	56	8
2	बल्क में नमक	117	870.81	2282.655182	84750	724	97	37
	कुल (बी)	**182**	**1315**	**5384**	**109554**	**602**	**83**	**20**
कुल(ए+बी)		**384**	**2751**	**22943**	**159932**	**416**	**58**	**7**

नोट: हस्तन कि ए गए टन भार उस अवध कि दौरान चलाए गए जहाजों के संबंध में है।

विवरण- 27

उपकरणों की उपलब्धता और उपयोग (कंटेनर हस्तन के अलावा)

पत्तन: कोचिन पत्तन प्राधिकरण **वर्ष : 2025-26 (मार्च , 2026 तक)**

क्र.सं.	मद	मोबाइल क्रेन	वार्फ क्रेन	फोर्कलिफ्ट ट्रक	पे लोडर्स	ट्रैक्टर/ ट्रेलर	लोकोमोटिव	अन्य (मोबाइल हार्बर क्रेन)
1	उपकरणों की संख्या	1	शून्य	6	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	उपकरणों की क्षमता (यूनिट के साथ संख्या)	40 टन	शून्य	3T - 5 सं 5T - 1 सं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	कुल उपलब्ध घंटों की संख्या (दिनों की संख्या x उपकरणों की संख्या x 24#)	विश्लेषण के तहत	शून्य	25478.95	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	उपलब्ध नहीं होने के कारण:	लागू नहीं	शून्य	1590.75	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(i) पूर्ण जांच एवं अनुरक्षण	लागू नहीं	शून्य	1035	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii) गतिरोध	लागू नहीं	शून्य	555.75	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(iii) छुट्टियाँ और अवकाश	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(iv) अन्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5	कुल उपलब्ध कार्य घंटे (3-4)	लागू नहीं	शून्य	23888.2	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6	% उपलब्धता (7/3)x100	लागू नहीं	शून्य	94%	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7	वास्तविक कार्यशील समय	लागू नहीं	शून्य	9864.6	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8	% उपयोग के आधार पर:	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ए) सकल उपलब्ध घंटे (7/3)x100	लागू नहीं	शून्य	39%	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(बी) निबल उपलब्ध घंटे. (7/5)x100	लागू नहीं	शून्य	41%	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9	उपयोग मानदंड	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

नोट:- 1. दिनों की संख्या : डॉक कार्यशील दिनों की संख्या

2. उपकरणों की संख्या : विभाग के पास सभी उपकरण उपलब्ध हैं।

3. सम्पूर्ण जांच और अनुरक्षण :केवल निवारक अनुरक्षण एवं सावधिक जांच।

4. गतिरोध : उपकरण 15मिनट से अधिक समय तक कार्यशील नहीं है

: यदि पत्तन दो शिफ्टों में काम कर रहा है, तो 24 घंटे के बजाय 16 घंटे पर विचार किया जा सकता है।

विवरण-28

कंटेनर हस्तन उपकरण की उपलब्धता और उपयोग

पत्तन: कोचिन पत्तन प्राधिकरण **वर्ष : 2025-26 (मार्च , 2026 तक)**

क्र.सं.	मद	क्वे साइड गैन्ट्री क्रेन	रबर टायर गैन्ट्री क्रेन	रेल माउंटेड गैन्ट्री क्रेन	टाटा पी एंड एच क्रेन	टॉप लिफ्ट ट्रक	फोर्क लिफ्ट ट्रक/फ्रंट एंड लोडर	रीच ट्रक	ट्रैक्टर ट्रेलर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	खाड़ी सामर्थ्य	6	19				5	3	
	क्षमता/उपकरण	65	40				8	45	
2	कुल संभाव्य उपकरण घंटे (24 x दिनों की संख्या x उपकरणों की संख्या)	52560	166440				39480	23352	
3	निर्धारित अनुरक्षण के कारण नष्ट घंटे	2867	4634				393	436	
4	गतिरोध के अंतर्गत नष्ट घंटे	99.37	174.23				9.57	11.28	
5	विश्राम के कारण नष्ट घंटे	0	0				0	0	
6	वास्तविक उपकरण उपलब्ध घंटे (2-(3+4+5))	49593.6	161631.8				39077.4	22904.7	
7	% उपलब्धता (6/2)*100	94.4	97.1				99.0	98.1	
8	माह के दौरान वास्तव कार्यान्वित घंटे	22513.0	70636.0				10859.0	9728.0	
9	के आधार पर % उपयोग								
(a)	उपलब्ध घंटे (8/6)*100	45.4	43.7				27.8	42.5	
(b)	कुल संभाव्य उपकरण घंटे (8/2)*100	42.8	42.4				27.5	41.7	
10	उपयोग मानदंड								

परिभाषा:

1.दिनों की संख्या : डॉक कार्यशील दिनों की संख्या

2. उपकरणो की संख्या : सभी उपकरण विभाग में उपलब्ध है।

3. सम्पूर्ण जांच और अनुरक्षण : केवल निवारक अनुरक्षण एवं सावधिक जांच।

4.अवकाश : पोर्ट द्वारा सूचित मील ब्रेक

5. गतिरोध: उपकरण 15 मिनट से अधिक समय तक कार्यशील नहीं है

@पोर्ट दोहरे पारी में कार्यक्षम है तो,तबी 16 घंटों तक विचार किया जा सकता है।

विवरण- 29
कंटेनर हस्तन उपकरण का निष्पादन

पत्तन: कोचिन पत्तन प्राधिकरण **वर्ष : 2025-26 (मार्च , 2026 तक)**

क्र.सं.	मद	क्वेसाइड गैन्ट्री क्रेन	रेल माउंटेड गैन्ट्री क्रेन	आरटीजी क्रेन
1	2	3	4	5
1	उपकरणों की कुल संख्या	6		19
2	कुल कार्य किए गए शिफ्टों की संख्या	730		730
3	उपकरण के कार्यशील घंटों की कुल संख्या (समापन समय-आरंभ समय)	22513		70636
4	हस्तन किए गए कंटेनरों की कुल संख्या	560500		904760
5	प्रति कार्य घंटे हस्तन किए गए कंटेनरों की संख्या (4/3)	24.90		12.81
6	कुल निष्क्रिय समय	4620		24237
7	वास्तव में कार्य किए गए कुल घंटों की संख्या (3-6)	17893		46399
8	प्रति वास्तविक कार्य घंटे हस्तन किए गए कंटेनरों की कुल संख्या (4/7)	31.33		19.50

विवरण- 30
ड्रेजर का निष्पादन

पत्तन: कोचिन पत्तन प्राधिकरण **वर्ष : 2025-26 (मार्च , 2026 तक)**

क्र.सं.	विवरण	इकाई	ड्रेजर का नाम		टिप्पणी
			जीएचडी एनएस (पोर्ट ड्रेजर)	डीसीआई-'ड्रेज-VIII/XV/XVI/XIX/XI' (किराए पर)	
1	2	3	4	5	6
1	निकर्षित मात्रा	लाख एम3	5.27	250.43	वर्ष 2025-26 के लिए कोचिन पत्तन में चैनलों और बेसिनों के अनुरक्षण के लिए ड्रेजिंग का कार्य ईडीसीआईएल द्वारा अनुबंध (एकमुश्त) पर किया गया। पूरे वर्ष लगातार दो टीएसएच ड्रेजर तैनात करके ड्रेजिंग की गई। वर्ष 2025-26 के दौरान ड्रेजिंग और निपटान की गई सामग्री की कुल मात्रा 250.43 लाख घन मीटर है। (1.30 टन/घनत्व पर) वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक अनुबंध 156.50 करोड़ रुपये है।
2	कार्यशील दिन	दिनों	175.5	365	
3	गैर-कार्यशील दिन			-	
	ए) रविवार एवं छुट्टी दिन	दिनों	67	-	
	बी)ड्राई-डकिंग	दिनों	106	-	
	सी) संपूर्ण मरम्मत्त	दिनों	0	-	
	"डी) मरम्मत्त, अनुरक्षण एवं बंकरिंग "	दिनों	15.5	-	
	ई) खराब मौसम	दिनों	0	-	
	एफ) नाविक कमी	दिनों	1	-	
	जी) अन्य	दिनों	0	-	
4	कुल दिन (2+3)	दिनों	365	-	
5	प्रति कार्य दिवस निकर्षित मात्रा		1500/3000	-	
6	निकर्षण के प्रति क्यूबिक मी. दर	रु.	587	-	**उद्धत एकमुश्त राशि तथा 24 मिलियन घन मीटर की अनुमानित मात्रा के आधार पर अनुरक्षण ड्रेजिंग का दर ₹65.21 प्रति घन मीटर है।**
	ए) अवमूल्यन और ब्याज को जोड़कर	रु.	लागू नहीं	लागू नहीं	
	बी) अवमूल्यन और ब्याज को छोड़कर	रु.	लागू नहीं	लागू नहीं	

विवरण-31
रवाना हुए जहाजों की संख्या, प्रकार और आकार

पत्तन: कोचिन पत्तन प्राधिकरण **वर्ष : 2025-26 (मार्च , 2026 तक)**

क्र.सं.	जहाजों की श्रेणी	रवाना हुए जहाजों की संख्या	एनआरटी	जीआरटी	डीडब्ल्यूटी
ए	कार्गो परिचालन				
1	कंटेनर	552	8813925	17929381	22392163
	(ए) सेलुलर	552	88,13,925	1,79,29,381	2,23,92,163
	(बी) संयोजन	0	0	0	0
2	ब्रेक बल्क	35	1,01,853	2,24,444	2,97,124
3	शुष्क बल्क				
	(ए) यांत्रिक	68	4,55,631	11,55,257	17,03,161
	(बी) पारंपरिक	3	40,990	71,506	1,22,940
4	तरल बल्क	556	1,27,92,420	2,46,75,943	4,04,66,004
5	लैश	0	0	0	0
6	रो-रो	0	0	0	0
कुल		**1214**	**2,22,04,819**	**4,40,56,531**	**6,49,81,392**
बी	यात्री वाहक	338	5,06,814	15,83,768	6,86,583
सी	अन्य	161	9,12,923	17,92,854	7,11,703
डी	**कुल योग**	**1713**	**2,36,24,556**	**4,74,33,153**	**6,63,79,678**

विवरण- 32
महापत्तन में यात्री यातायात

पत्तन: कोचिन पत्तन प्राधिकरण **वर्ष : 2025-26 (मार्च , 2026 तक)**

(संख्या में)

वर्ष	क्रूज -विदेशी					क्रूज-तटीय					यात्री(यूटीएल)		
	जहाजों की संख्या	आगमन पर पैक्स	पैक्स एम्बार्क्ड	पैक्स डीसएम्बार्क्ड	कुल हस्तन किए गए पैक्स	जहाजों की संख्या	आगमन पर पैक्स	पैक्स एम्बार्क्ड	पैक्स डीसएम्बार्क्ड	कुल हस्तन किए गए पैक्स	पैक्स एम्बार्क्ड	पैक्स डीसएम्बार्क्ड	कुल हस्तन किए गए पैक्स
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
2020-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17640	22922	40562
2021-22	0	0	0	0	0	9	6106	7898	3145	14004	61829	53411	115240
2022-23	16	6008	337	90	6345	15	15842	14216	11027	30058	77105	73310	150415
2023-24	25	18462	2381	3016	20843	17	16852	15220	10380	32072	105526	96870	202396
2024-25	21	20939	1256	2062	22195	11	14451	13817	10432	28268	89404	81985	171389
2025-26	13	12360	99	214	12459	16	17267	13650	13019	30917	97048	91920	188968

विवरण- 3
महापत्तनों में दुर्घटनाएँ

पत्तन: कोचिन पत्तन प्राधिकरण **वर्ष : 2025-26 (मार्च , 2026 तक)**

(संख्या में)

क्र.सं.	सावधानी	घातक		गैर-घातक		कुल	
		पत्तन क्षेत्र	गैर-पत्तन क्षेत्र	पत्तन क्षेत्र	गैर-पत्तन क्षेत्र	पत्तन क्षेत्र	गैर-पत्तन क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गिरते लोग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	गिरती सामग्री	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	सामग्री द्वारा पैर फिसलना, टकराना, फंसना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	सामग्रियों के बीच फंसना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5	अति श्रम और गलत चलन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6	अति तापमान के साथ संपर्क अथवा प्रदर्शक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7	विस्फोट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8	विकिरण समेत हानिकारक सामग्रियों के साथ संपर्क अथवा प्रदर्शक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9	अन्य मामले	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**

विवरण-34
महापत्तन में रोजगार

ए. महापत्तन में रोजगार (31 मार्च को)

पत्तन: कोचिन पत्तन प्राधिकरण **वर्ष : 2025-26 (मार्च , 2026 तक)**

अधिकारी		गैर-कार्गो हस्तन कर्मचारी			तटीय श्रमिकों के अलावा कार्गो हस्तन श्रमिक		तटीय श्रमिक	आकस्मिक श्रमिक	कुल
श्रेणी I	श्रेणी II	श्रेणी IIII	श्रेणी IV	अन्य	श्रेणी IIII	श्रेणी IV			
1	2	3	4	5	6	7			
91	81	105	326	22	67	0			692

बी. महापत्तन के डॉक श्रम बोर्डों में रोजगार

पत्तन: कोचिन पत्तन प्राधिकरण **वर्ष : 2025-26 (मार्च , 2026 तक)**

डीएलबी रोजगार					गोदी मजदूर				कुल योग
श्रेणी I	श्रेणी II	श्रेणी IIII	श्रेणी IV	कुल	पंजीकृत	सूचीबद्ध	अन्य	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
शून्य									

सी. महापत्तन में मानव दिवस की हानि

पत्तन: कोचिन पत्तन प्राधिकरण **वर्ष : 2025-26 (मार्च , 2026 तक)**

नियोजित मानव दिवस			मानव दिवस हानि				प्रति 1000 नियोजित मानव दिवसों पर मानव दिवस हानि		
पीई	डीई	कुल	कारण	पीई	डीई	कुल	पीई	डीई	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
शून्य									

पीई : पत्तन कर्मचारी/मजदूर

डीई: डीएलबी कर्मचारी/मजदूर

विवरण-35
महापत्तन के आय एवं व्यय

पत्तन: कोचिन पत्तन प्राधिकरण **वर्ष : 2025-26 (मार्च , 2026 तक)**

(रु.करोड़ में)

क्र.सं.	शीर्ष	2025-26	2024-25
1	2	3	4
1	**आय**		
ए	**परिचालन आय**		
ए	हस्तन किये गए माल (राजस्व आय छोड़कर)		
	(i) पेट्रोलियम, तेल एवं लुब्रिकंट	137.384	127.97
	(ii) अन्य	32.34	31.47
बी	जहाज़ संबंधी आय	496.563	461.75
सी	रेलवे आय	0	
बी	**संपदा आय**	152.39	150.00
2	**व्यय**		
ए	**परिचालन व्यय**		
ए	कार्गो हस्तन		
	(i) पेट्रोलियम, तेल एवं लुब्रिकंट	8.47	8.27
	(ii) अन्य	30.42	34.83
बी	जहाज़ संबंधी व्यय	264.43	234.73
सी	रेलवे व्यय		
बी	**संपदा एवं गैर-परिचालन व्यय**	153.55	144.29
3	**संचालित अधिशेष (1ए -2ए)**	362.97	343.36
4	**वित्त एवं विविध आय**	80.62	51.85
5	**राजस्व आय**	188.44	175.68
6	**वित्त एवं विविध व्यय**	616.35	563.11
7	**कुल आय (1+4+5)**	1,087.74	998.73
8	**कुल व्यय (2+6)**	1,073.22	985.23
9	**निवल अधिशेष (7-8)**	14.52	13.50

नोट: 1.संकल्पना एवं परिभाषा में यथा अनुशंसित परिचालन व्यय को विभाजित किया जाएगा ।

2. सभी वस्तुओं की परिचालन आय और व्यय, जिनका कुल कार्गो हस्तन में हिस्सा 15% से अधिक है, अलग से प्रस्तुत किया जाना है। शेष वस्तुओं के लिए, जानकारी अन्य में शामिल की जा सकती है।

विवरण- 36
निधि एवं अन्य वित्तीय सांख्यिकीय का उपयोग

पत्तन: कोचिन पत्तन प्राधिकरण **वर्ष : 2025-26 (मार्च , 2026 तक)**

(रु.करोड़ में)

क्र.सं.	शीर्ष	2025-26	2024-25
1	2	3	4
ए	स्थिर संचालित संपदाएं (निवल खंड)		
ए	माल हस्तन एवं भंडारण	128.32	133.33
बी	पोर्ट एवं गोदी सुविधाएं	82.37	87.76
सी	रेलवे	-	-
डी	संपदा (संचालित संपदा)	32.28	33.12
ई	प्रबंधन एवं सामान्य प्रशासन	80.93	81.38
	कुल निवल खंड	323.90	335.59
बी	**पूंजी कार्य प्रगति पर**	10.79	2.88
सी	**निवेश***	101.58	170.69
डी	मौजूदा संपदाएं	673.57	633.99
ई	मौजूदा देनदारियां	973.95	1,014.54
एफ	निवल मौजूदा संपदाएं (डी-ई)	-300.38	-380.55
जी	**पीपीपी के अधीन पूंजी व्यय**		
ए	पोर्ट द्वारा		
	(i) भूअधिग्रहण हेतु		
	(ii) अन्य पूंजी व्यय		
बी	निजी संचालकों द्वारा)		
	(i) भूअधिग्रहण हेतु		
	(ii) अन्य पूंजी व्यय	5709.46	5695.34
एच	पूंजी नियोजित (निवल)	23.52	(44.96)

* भविष्य निधि, पेंशन,उपदान, छुट्टी नकदीकरण जैसे सांविधिक निवेश आदि को छोड़कर निवेश ।

विवरण- 37
व्यय शीर्ष द्वारा संचालित व्यय

पत्तन: कोचिन पत्तन प्राधिकरण **वर्ष : 2025-26 (मार्च , 2026 तक)**

(रु.करोड़ में)

क्र.सं.	शीर्ष	2025-26	2024-25
1	2	3	4
ए	**संचालित व्यय**		
1	वेतन एवं पारिश्रमिक	132.82	138.33
2	भंडार	29.86	27.76
3	संचालन/अनुरक्षण	207.64	178.69
4	बिजली	39.42	36.95
5	मूल्यह्रास	17.22	16.83
6	सुरक्षा	15.53	12.43
7	चिकित्सा	2.94	2.80
8	कार्यालय प्रशासन	11.44	8.33
9	अन्य व्यय		
	कुल संचालित व्यय	**456.87**	**422.12**
बी	**पी एल खाता के अनुसार प्रबंधन एवं सामान्य प्रशासन व्यय**	**126.97**	**117.71**

विवरण- 38
निजी टर्मिनल संचालक के वित्तीय डाटा

टर्मिनल संचालक का नाम :इंडिया गेटवे टर्मिनल प्राइवट लिमिटड

पत्तन: कोचिन पत्तन प्राधिकरण **वर्ष : 2025-26 (मार्च , 2026 तक)**

(रु.करोड़ में)

क्र.सं.	शीर्ष	2025-26	2024-25
1	2	3	4
1	**संचालन आय**		
ए	कार्गो हस्तन (राजस्व आय छोड़कर)	459.44	454.99
बी	जहाज़ संबंधी आय	0	0
	कुल संचालन आय	459.44	454.99
2	संचालन व्यय		
ए	कार्गो हस्तन	417.31	399.77
बी	जहाज़ संबंधी व्यय	0	0
	कुल संचालन व्यय	417.31	399.77
3	**कुल आय (1)**	459.44	454.99
4	**कुल व्यय (2)**	417.31	399.77
5	**पीपीपी के अधीन पूंजी व्यय**	14.12	111.66
	(i) **भूअधिग्रहण केलिए**	0	0
	(ii) **अन्य पूंजी व्यय**	14.12	111.66
6	निवल पूंजी नियोजित	109.8	103.65

नोट:1. परिचालन व्यय को अवधारणाओं और परिभाषाओं में अनुशंसित अनुसार विभाजित किया जाएगा

2. एक महापत्तन में प्रत्येक टर्मिनल संचालकों के ये पृथक डेटा प्रस्तुत किया जायेगा ।

विवरण- 39
वित्तीय सूचक

पत्तन: कोचिन पत्तन प्राधिकरण **वर्ष : 2025-26 (मार्च , 2026 तक)**

(रु.करोड में)

क्र.सं.	विवरण	2025-26	2024-25
1	2	3	4
1	**पूंजी पर प्रतिदान**		
ए	नियोजित पूंजी (प्रगति पर कार्य को छोड़कर)	23.52	(44.96)
बी	कर पूर्व निवल अधिशेष	14.52	13.50
सी	आरओसीई समेत राजस्व आय (1बी/1ए)	0.62	(0.30)
डी	कर पूर्व निवल अधिशेष (राजस्व आय छोड़कर)	-173.92	-162.18
ई	आरओसीई छोड़कर राजस्व आय (1डी/1ए)	(7.39)	3.61
एफ	मुनाफ़ा अनुपात (निवल अधिशेष/कुल आय)	0.01	0.01
जी	व्यापार अनुपात (निवल अधिशेष/संचालन आय)	0.01	0.01
2	**संचालन अनुपात**		
ए	संचालन व्यय	456.87	422.12
बी	संचालन आय	1,007.12	946.88
सी	संचालित अनुपात (2ए/2बी) %	45.36	44.58
3	आय की लागत का अनुपात (गतिविधि वार)		
	(कमाई लागत की प्रतिशतता)		
ए	कार्गो हस्तन एवं भंडारण	0.11	0.13
बी	नौवहन के लिए पत्तन एवं गोदी सुविधाएं	0.53	0.51
सी	रेलवे कार्यकरण	-	-
डी	भाड़े योग्य भूमि एवं भवनों	0.17	0.18
ए	**सीधी लागत (अवमूल्यन एवं अतिरिक्त छोड़कर)**		
ए	कार्गो हस्तन एवं भंडारण	33.81	37.78
बी	नौवहन के लिए पत्तन एवं गोदी सुविधाएं	258.08	228.50
सी	रेलवे कार्यकरण	-	-
डी	भाड़े योग्य भूमि एवं भवनों	24.40	24.71
बी	**कुल लागत (अवमूल्यन एवं अतिरिक्त समेत)**		
ए	कार्गो हस्तन एवं भंडारण	38.89	43.10
बी	नौवहन के लिए पत्तन एवं गोदी सुविधाएं	264.43	234.73
सी	रेलवे कार्यकरण	-	-
डी	भाड़े योग्य भूमि एवं भवनों	26.58	26.58

विवरण- 40

योजनाबद्ध एवं गैर-योजनाबद्ध योजनाओं पर पूंजी व्यय

पत्तन: कोचिन पत्तन प्राधिकरण **वर्ष : 2025-26 (मार्च , 2026 तक)**

क्र.सं.	विवरण	स्वीकृत परिव्यय 2024-25	वर्तमान वर्ष 2024-25			
			आंतरिक स्रोत	बजटीय सहायता	अन्य (ब्यौरा)	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	क्रूज और अन्य बड़े जहाजों के लिए क्यू8-क्यू9 बर्थ पर तटीय आपूर्ति व्यवस्था प्रदान करना	0.01	-	-	-	-
2	सीधी सड़क संपर्क के लिए भूमि अधिग्रहण	0.05	-	-	-	-
3	कोचीन पत्तन में प्रोपलीन की ढुलाई के लिए रो-रो सुविधा उपलब्ध कराना (मंत्रालय से प्राप्त होने वाली शेष अनुदान राशि 12.46 करोड़ रुपये में से 11.84 करोड़ रुपये घटा दी जाएगी)	0.62	-	0.68		0.68
4	दो खराब हो चुके फोम फायर टेंडरों के बदले नए फायर टेंडर की खरीद।	1.12	0.95	-	-	0.95
5	पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के तहत सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों का कार्यान्वयन, जिसमें एससीएए भी शामिल है।	6.50	3.30	4.95	-	8.25
6	सीएफएच का उन्नयन और आधुनिकीकरण	35.00	-	28.65		28.65
7	व्यवहार्यता अध्ययन	1.00	-	-	-	-
8	विभिन्न सड़कों का जीर्णोद्धार और मरम्मत कार्य	5.90	1.37	-	-	1.37
9	शेड और गोदामों में छत की मरम्मत और नवीनीकरण का काम	0.80	-	-	-	-
10	एर्नाकुलम घाट पर क्यू5, क्यू6, क्यू7 बर्थों का नवीनीकरण और बैकअप क्षेत्र का समतलीकरण।	0.25	-	-	-	-
11	ऑयल बर्थ और बीटीपी पर अग्निशमन सुविधाओं की स्थापना	1.28	0.14	-	-	0.14
12	विभिन्न स्थानों पर अग्निशमन प्रतिष्ठानों का प्रतिस्थापन/पुनर्निर्माण	0.04		-	-	-
13	सबस्टेशनों और फीडर पॉइंट्स पर पुराने एलटी पैनल/फीडर पैनल आदि का प्रतिस्थापन। (चरण I, II और III)	0.57	0.50	-	-	0.50
14	फ्लोटिंग सोलर का एसआईटीसी	0.01	-	-	-	-
15	एमएचसी का नवीनीकरण/पुनर्निर्माण	0.05	-	-	-	-
16	स्ट्रीटलाइट, शेड लाइट, ऊंचे खंभे आदि उपलब्ध कराना	1.47	0.16	-	-	0.16
17	नए सीसीटीवी निगरानी सिस्टम उपलब्ध कराना	0.90	0.32	-	-	0.32
18	आईटी अवसंरचना में सुधार	1.00	0.18	-	-	0.18
19	वाहनों की खरीद	0.51	0.66	-	-	0.66
20	गेस्ट हाउस और संलग्न भवन का नवीनीकरण (सिविल एवं विद्युत)	2.15	2.21	-	-	2.21

21	नए और पुराने प्रशासनिक भवन, ब्रिस्टो बिल्डिंग आदि की मरम्मत और नवीनीकरण	4.12	0.10	-	-	0.10
22	सीओटी भवन और सुविधाओं में पेंटिंग का काम	0.15	0.19	-	-	0.19
23	विभिन्न स्थानों पर पुराने एसी को बदलना	0.96	0.42	-	-	0.42
24	पश्चिमी द्वीप में एसी/जीआई जल पाइपलाइनों को डीआई पाइपों से बदलना	0.25	-	-	-	-
25	कोचीन पोर्ट अस्पताल का पुनर्निमाण	1.00	-	-	-	-
26	अंबेडकर की नई प्रतिमा स्थापित करना	0.30	-	-	-	-
27	कोचीन पत्तन के मट्टनचेरी घाट पर क्यू2/क्यू3 का पुनर्निर्माण	5.00	-	-	-	-
28	विल्लिंगडन आईलैण्ड के उत्तरी छोर पर स्थित प्रियदर्शनी पार्क का उत्थान	0.30	-	-	-	-
29	एर्नाकुलम घाट, मैट घाट और बीटीपी पर क्षतिग्रस्त फेंडरों का प्रतिस्थापन	0.50	0.35	-	-	0.35
30	एर्नाकुलम घाट, मैट घाट और बीटीपी पर सीढ़ियों का प्रतिस्थापन	0.15	-	-	-	-
31	फायर स्टेशन ग्राउंड में बिटुमिनस क्षेत्र की पुनः सतह बिछाना और कवर स्लैब के साथ आरसीसी नाली का निर्माण करना।	0.15	-	-	-	-
32	विल्लिंगडन आईलैण्ड के विभिन्न क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त नालियों की दीवारों की मरम्मत करना और कवर स्लैब लगाना।	0.10	-	-	-	-
33	क्यू6, क्यू7, क्यू8 और क्यू9 बर्थ के सामने कर्ब वॉल और बोलार्ड के सामने 'डी' फेंडर लगाना	0.10	-	-	-	-
34	सीएफएस शेड के चारों ओर खुले मैदान की सतह का पुनर्निर्माण करना।	0.05	-	-	-	-
35	समुद्रिका की छत की चादरें, फॉल्स सीलिंग और फर्श की टाइलें बदलना	0.10	-	-	-	-
36	आउटर हार्बर परियोजना के संबंध में भू-तकनीकी जांच	0.50	-	-	-	-
37	मेगा क्रूज टर्मिनल के लिए परामर्श सेवाएं	0.50	0.55	-	-	0.55
38	पट्टेदारों से अधिग्रहित भवन	-	0.60	-	-	0.60
39	निप्पॉन कोई द्वारा तैयार की गई मास्टर योजना	-	0.42	-	-	0.42
40	वॉयंथ द्वारा आईसीटीटी विस्तार डीपीआर (पीएस-02-सी2005)	-	0.29	-	-	0.29
41	आईआईटी द्वारा बाहरी बंदरगाह अध्ययन (पीएस-09-सी2001-01)	-	0.09	-	-	0.09
42	क्यू2-क्यू3 श्री नल्लारासु को अध्ययन	-	0.32	-	-	0.32
43	क्यू5-क्यू9 का अध्ययन नल्लारासु द्वारा किया गया	-	0.27	-	-	0.27
44	अन्य विविध कार्य (क्वार्टर का नवीनीकरण, सीएफएस फ्लोरिंग)	-	0.25	-	-	0.25
	कुल	**73.46**	**13.64**	**34.28**	**-**	**47.92**

भाग III

वित्तीय विवरण

विषय सूची

वार्षिक लेखा

		पृष्ठ संख्या
तुलन पत्र		109
लाभ और हानि लेखा		110

तुलन पत्र हेतु अनुसूचियाँ

	संचय और अधिशष	
अनुसूचि I	सांविधिक संचय	111
	सहायता अनुदान	
अनुसूचि II	ऋण निधियाँ	
अनुसूचि III	अवमूल्यन के लिये पूंजीगत परिसम्पत्तियाँ और प्रावधान	112
अनुसूचि IV	निवेश	
अनुसूचि V	विविध देनदार	
अनुसूचि VI	नकद एवं बैंक में जमा राशि	113
अनुसूचि VII	ऋण एवं अग्रिम	
अनुसूचि VIII	वर्तमान देनदारियाँ एवं प्रावधान	

तुलन पत्र के अनुसूचियाँ हेतु उप अनुसूचियाँ

उप अनुसूचि -ए	निधियों एवं सांविधि क संचय	114
उप अनुसूचि -बी	सहायता अनुदान	115
उप अनुसूचि -सी	बैंक में जमा राशि और नकदी	116

लाभ और हानि खाते की उप-अनुसूचियां

आय

उप अनुसूचि -डी	कार्गो हस्तन एवं भण्डार प्रभार	117
उप अनुसूचि -इ	पोर्ट और गोदी प्रभार	117
उप अनुसूचि -एफ	रेलवे आय	117
उप अनुसूचि -जी	संपदा किराया	117

विषय सूची

पृष्ठ संख्या

व्यय

उप अनुसूचि -एच	कार्गो हस्तन एवं भण्डार	118
उप अनुसूचि -आई	नौवहन के लिये पत्तन एवं गोदी सुविधाएं	118
उप अनुसूचि -जे	रेलवे कार्य	118
उप अनुसूचि -के	किराये योग्य भूमि और भवनों	119
उप अनुसूचि -एल	प्रबंधन एवं सामान्य प्रशासन	119
उप अनुसूचि -एम	वित्त और विविध आय	120
उप अनुसूचि -एन	वित्त और विविध व्यय	120
लाभ और हानि लेखा हेतु अति रिक्त अनुसूची		121–123
	कोचिन मात्स्यकीय बंदरगाह तूलन पत्र	124
अनुसूचि IX	सी.एफ.एच. के आय और व्यय लेखा	125
	सी.एफ.एच. के प्राप्तियाँ और भुगतान खाता	126
	वार्षिक लेखों पर टिप्पणियां	127–132

अनुबंध

Annex. I	आयकर निर्धारण अधिकारी द्वारा लगाए गए आयकर संबंधी मांगों के विरुद्ध कोचिन पत्तन प्राधिरण द्वारा दायर की गई अपीलें:	133
Annex. II	विभिन्न प्राधिकारियों के समक्ष लंबित सेवा कर के मामलें	134–135
Annex. III	विभिन्न प्राधिकारियों के समक्ष लंबित जीएसटी मामलें	136
Annex. IV	केरल बाढ़ उपकर संबंधी लंबित मामले	137
Annex. V	आर्बीट्रेशन और कानूनी कार्यवाही	138–140
Annex. VI	जेट्टी लाइसेंस शुल्क मामले	141–143

31 मार्च 2026 तक तुलन पत्र

विवरण			अनुसूची	2025-26		2024-25	
				₹	₹	₹	₹
I	**निधि के स्रोत**						
	संचय और अधिशेष		I				
	ए	पूंजीगत संचय		87,70,76,282		87,70,76,282	
	बी	निधियाँ		54,20,187	88,24,96,469	53,19,734	88,23,96,016
	सी	सांविधिक संचय			33,48,66,058.76		28,17,69,922
	डी	सहायता अनुदान			3,82,68,496.89		14,97,44,840
	ऋण निधियाँ		II				
	a	सरकारी ऋण		4,46,82,33,147		4,46,82,33,147	
	b	असुरक्षित ऋण		-	4,46,82,33,147	-	4,46,82,33,147
		कुल			**5,72,38,64,172**		**5,78,21,43,925**
	कोचिन मत्स्यकीय बंदरगाह		IX		5,51,57,447		11,86,366
		कुल योग			**5,77,90,21,619**		**5,78,33,30,291**
II	**निधियों का प्रयोग**						
ए	स्थिर/ पूंजीगत परिसंपत्तियाँ		III				
	i	अर्जित ब्याज		7,32,19,37,228.99		7,26,81,13,129	
	ii	वस्तु सूची		4,08,29,46,478.62		3,91,22,38,370	
	iii	विविध देनदार			3,23,89,90,750		3,35,58,74,759
	iv	नकद एवं बैंक में जमा राशि			10,79,50,632		2,88,44,431
	निवेश		IV		1,01,57,63,164		1,70,68,67,189
	मौजूदा परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम						
बी	चालू परिसंपत्तियाँ:						
	i	अर्जित ब्याज		4,71,47,015		6,47,62,786	
	ii	वस्तु सूची		39,23,955		55,59,061	
	iii	वस्तु सूची	V	67,39,98,036		68,42,29,442	
	iv	नकद एवं बैंक में जमा राशि	VI	4,25,57,90,442		3,99,13,88,123	
		ऋण एवं अग्रिम	VII	1,75,48,05,516		1,59,39,44,390	
	b	ऋण एवं अग्रिम		6,73,56,64,965		6,33,98,83,802	
		कुल	VIII	**9,73,94,59,712**		**10,14,53,50,950**	
		न्यून:चालू देनदारियाँ एवं प्रावधान			-3,00,37,94,747		-3,80,54,67,149
		निवल चालू परिसंपत्तियाँ			4,36,49,54,372		4,49,60,24,693
	सी	लाभ और हानि लेखा			5,72,38,64,172		5,78,21,43,925
		कुल	IX		5,51,57,447		11,86,366
	कोचिन मत्स्यकीय बंदरगाह				5,77,90,21,619		5,78,33,30,291
		कुल योग			**5,779,021,619.16**		**5,783,330,290.98**

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

ह/-
अध्यक्ष

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ और हानि लेखा

विवरण	उप अनुसूची	2025-26	2024-25
		₹	₹
आय			
कार्गो हस्तन एवं भण्डार प्रभार	डी	3,58,16,19,520	3,35,11,67,507
पत्तन एवं गोदी प्रभार (मार्गदर्शन प्रभार समेत)	ई	4,96,56,33,623	4,61,75,46,613
रेलवे आमदनी	एफ	-	-
सपंदा भाड़ा	जी	1,52,39,00,616	1,50,00,46,944
कुल		**10,07,11,53,759**	**9,46,87,61,064**
कम व्यय:			
कार्गो हस्तन एवं भण्डार	एच	38,88,95,310	43,09,83,796
पत्तन एवं गोदी सुविधाएँ (मार्गदर्शन प्रभार समेत)	आई	2,64,42,82,195	2,34,72,53,079
रेलवे कार्य	जे	-	-
भाड़ा योग्य भूमि एवं भवनों	के	26,58,32,732	26,58,13,355
प्रबंधन एवं सामान्य प्रशासन	एल	1,26,96,56,182	1,17,71,17,002
(विशेष गतिविधि के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी नहीं)			
कुल		**4,56,86,66,418**	**4,22,11,67,232**
परिचालन लाभ(+) /हानि (-)		**5,50,24,87,340**	**5,24,75,93,831**
योग: वित्त और विविध आय	एम	80,62,31,478	51,85,33,484
कुल		6,30,87,18,818	5,76,61,27,316
न्यून: वित्त और विविध व्यय	एन	6,16,35,36,737	5,63,11,08,303
कर पूर्व लाभ		14,51,82,081	13,50,19,013
न्यून: कराधान हेतु प्रावधान			
कर पश्चात लाभ		14,51,82,081	13,50,19,013
न्यून : विनियोजन			
पूंजीगत संचय			**-**
सांविधिक संचय		1,41,11,760	-
कुल			
राजस्व संचय के लिये शेष स्थानान्तरित		13,10,70,321	13,50,19,013
कोचिन मत्स्यकीय बंदरगाह			
आय		3,78,69,099	3,37,52,905
व्यय		3,90,69,607	3,50,31,153
अधिशेष(+) / घाटा (-)		-12,00,509	-12,78,248

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

ह/-
अध्यक्ष

31.03.2026 तक तुलन पत्र के लिए अनुसूची

विवरण	अनुसूची	उप अनुसूची	2025-26	2024-25
			₹	₹
संचय और अधिशेष				
पूंजीगत संचय			87,70,76,282	87,70,76,282
सीपीई(एचबीए) परिवार लाभ निधि			51,99,182	48,54,807
कर्मचारी कल्याण निधि			1,78,912	4,64,777
परिवार सुरक्षा निधि			42,093	150
कुल			**88,24,96,469**	**88,23,96,016**
सांविधिक संचय	I	ए.		
पूंजीगत संपदाओं के प्रतिस्थापन, पुनर्वास और आधुनिकीकरण हेतु निधि			18,42,18,079	15,56,29,961
विकास, आकस्मिक व्यय और ऋण के पुनर्भुगतान हेतु निधि			15,06,47,980	12,61,39,961
कुल			**33,48,66,059**	**28,17,69,922**
सहायता अनुदान	I	बी		
अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर पोतान्तरण टर्मिनल (आईसीटीटी) के सामने सबवे/फ्लाईओवर के निर्माण हेतु सहायता अनुदान			36,10,526	33,46,053
रेल ओवर ब्रिज के लिए सहायता अनुदान			10,72,10,396	10,39,58,556
प्रदूषण प्रतिक्रियाओं (पीआर) उपकरण/सामग्री की खरीद के लिए सहायता अनुदान			79,98,488	77,35,871
आईपीडीएस के अंतर्गत परियोजनाओं का कार्यान्वयन- सहायता अनुदान			-35,877	-35,877
साउथ कोयला बर्थ के पुनर्निर्माण हेतु सहायता अनुदान			1,69,31,993	-64,981
सहायता अनुदान -सीएफएच			0	11,96,40,983
सहायता अनुदान -रो रो			-29,94,688	37,86,285
अनुदान-आरडीएसएस			-4,94,53,945	0
कुल			**8,32,66,892**	**23,83,66,891**
न्यून: मौजूदा देयताओं के अंतर्गत मंत्रालय को ब्याज पुनर्भुगतान			9,74,82,906	8,87,22,909
न्यून:सहायता अनुदान पर व्यय की गई अतिरिक्त राशि - मंत्रालय से प्राप्त होने वाली राशि, चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत दर्शाई गई है			-5,24,84,511	-1,00,858
कुल अनुदान			**3,82,68,497**	**14,97,44,840**
ऋण निधियाँ				
ए. सरकार से ऋण	II		4,46,82,33,147	4,46,82,33,147
कुल			**4,46,82,33,147**	**4,46,82,33,147**

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

अनुसूची III

31.03.2026 तक पंजीकृत पूंजीगत परिसंपत्ति

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	परिसंपत्तियाँ	सकल ब्लॉक				अवमूल्यन हेतु प्रावधान				निवल ब्लॉक	
		" 01-04-2025 तक"	योग	विलोपन	"31-03-2026 तक"	"01-04-2025 तक"	हटाए जाने पर	वर्ष के दौरान	" 31-03-2026 तक कुल"	"31-03-2026 तक"	"01-04-2025 तक"
1	भूमि	51,49,16,218	0	0	51,49,16,218	0	0	0	0	51,49,16,218	51,49,16,218
2	पूंजी निकर्षण	84,39,61,873	0	0	84,39,61,873	23,30,28,251	0	84,53,939	24,14,82,190	60,24,79,683	61,09,33,622
3	भवन, शेड और अन्य संरचनाएँ	80,47,68,274	85,44,850	34,79,125	80,98,33,998	49,37,45,131	15,40,504	2,51,81,074	51,73,85,702	29,24,48,297	31,10,23,142
4	वार्फ़ों, सड़कों और चौहदियों	2,24,08,19,874	1,47,51,224	0	2,25,55,71,098	83,70,99,770	0	4,60,29,338	88,31,29,108	1,37,24,41,990	1,40,37,20,104
5	प्लव यान	1,30,68,57,646	0	0	1,30,68,57,646	1,12,43,32,661	0	4,31,72,217	1,16,75,04,878	13,93,52,768	18,25,24,985
6	गोदी, समुद्री बांध आदि	21,69,24,628	0	0	21,69,24,628	18,96,82,546	0	52,78,882	19,49,61,428	2,19,63,200	2,72,42,082
7	क्रेनों और वाहनों	16,92,58,234	1,60,78,452	0	18,53,36,686	15,13,88,306	0	43,60,395	15,57,48,701	2,95,87,985	1,78,69,928
8	संयंत्र और मशीनरी	41,58,01,737	18,11,440	0	41,76,13,178	32,86,03,444	0	1,21,16,590	34,07,20,034	7,68,93,144	8,71,98,294
9	जल, बिजली, अग्निशमन एवं दूर संचार हेतु स्थापनाएँ	70,65,01,751	1,61,17,259	0	72,26,19,010	50,66,75,209	0	2,74,99,967	53,41,75,176	18,84,43,834	19,98,26,542
10	तेल पाइपलाइन स्थापनाएँ	3,83,25,308	0	0	3,83,25,308	3,79,06,427	0	46,541	3,79,52,968	3,72,340	4,18,881
11	विविध परिसंपत्तियाँ	99,77,587	0	0	99,77,587	97,76,625	0	1,09,670	98,86,295	91,292	2,00,962
	कुल	7,26,81,13,129	5,73,03,225	34,79,125	7,32,19,37,229	3,91,22,38,370	15,40,504	17,22,48,613	4,08,29,46,479	3,23,89,90,750	3,35,58,74,759
	पूंजीगत कार्य प्रगति पर	2,88,44,431	10,40,16,534	2,49,10,333.00	10,79,50,632	0	0	0	0	10,79,50,632	2,88,44,431
	कुल योग	7,29,69,57,560	16,13,19,759	2,83,89,458	7,42,98,87,861	3,91,22,38,370	15,40,504	17,22,48,613	4,08,29,46,479	3,34,69,41,383	3,38,47,19,190

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

31.03.2026 तक तुलन पत्र के लिये अनुसूचियाँ

विवरण		अनुसूची	उप अनुसूची	2025-26	2024-25
				₹	₹
निवेश		IV			
ए	दीर्घावधि निवेश				
1	मेसर्स कोचीन ब्रिज इन्फ्रास्ट्रक्चर कं. लि. के शेयरों में (प्रति 10 रु की 1,50,000 ईक्वुटी शेयर)			15,00,000	15,00,000
2	लंबी मियादी जमा:-				
	(i) सांविधिक संचय के लिए			33,49,00,000	28,00,00,000
	(ii) अन्य			30,81,92,534	1,42,53,67,189
3	अवकाश नकदीकरण निधि निवेश (एलआईसी)			37,11,70,630	-
	कुल			**1,01,57,63,164**	**1,70,68,67,189**
विविध देनदार		V			
सरकारी देय	- 6 माह से कम			13,46,90,282	11,32,16,795
	- 6 माह से अधिक			8,41,10,444	9,28,47,325
गैर सरकारी देय	- 6 माह से कम			19,35,96,129	22,92,17,166
	- 6 माह से अधिक			36,80,68,529	35,54,15,503
				78,04,65,383	79,06,96,789
न्यून:संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान				10,64,67,347	10,64,67,347
	कुल			**67,39,98,036**	**68,42,29,442**
नकद एवं बैंक में जमा राशि					
नकदी		VI	C	4,712	14,268
बैक में जमा :					
	वर्तमान लेखा			1,90,84,718	4,41,02,578
	बचत लेखा			32,19,66,095	79,85,33,545
	आवधिक जमा			3,91,40,82,712	3,14,81,25,579
	कैश कार्ड			6,52,206	6,12,153
	कुल			**4,25,57,90,442**	**3,99,13,88,123**
ऋण एवं अग्रिम (नकद या वस्तु के रूप में या प्राप्त होने वाले मूल्य पर वसूल किया जा सकता है)		VII			
अग्रिम में भुगतान एवं शेष ऋण				1,49,88,38,307	1,41,89,87,586
जमा				6,14,03,284	4,76,32,333
	योग:मंत्रालय से प्राप्त सहायता अनुदान से खर्च किए अधिक रकम			5,24,84,511	1,00,858
	न्यून: मौजूदा देयताओं क अंतर्गत जमा कार्य के पुन:समूहीकृत हेतु ठेकेदार को दिये गए अग्रिम			14,20,79,415	12,72,23,613
	कुल			**1,75,48,05,516**	**1,59,39,44,390**
वर्तमान देनदारियाँ एवं प्रावधानों		VIII			
वर्तमान देनदारियाँ					
	सामान्य भविष्य निधि			61,57,67,314	61,92,90,110
	देय वेतन व मजदूरी			1,78,91,427	40,46,16,406
	अर्जित व्यय			93,63,25,860	93,77,48,554
	विविध लेनदार और क्रेडिट बैलेंस			5,86,77,98,070	4,42,47,37,527
	व्यापारी, ठेकेदार और दूसरों से जमा			2,30,16,77,041	3,75,89,58,353
	कुल			**9,73,94,59,712**	**10,14,53,50,950**

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

उप अनुसूची-ए

31.03.2026 को निधियों एवं सांविधिक संचयों का विवरण

जी/एल कोड		पूंजी संचय	राजस्व संचय				सांविधिक संचय	
			सामान्य संचय	भवन निर्माण अग्रिम-एफबीएफ	कर्मचारी कल्याण निधि	परिवार सुरक्षा निधि	प्रतिस्थापन, पुनर्वास एवं पूंजीगत संपदाओं के आधुनिकीकरण हेतु संचय	ऋणों एवं आकस्मिक व्ययों के पुनर्भुगतान विकास हेतु संचय
		110000	110300 & 110301	110100	110101	110102	110200	110201
		₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹
	1 अप्रैल 2025 तक शेष	87,70,76,282	-4,49,60,24,693	48,54,807	4,64,777	150	15,56,29,961	12,61,39,961
योग:	जीआरएफ से अंशदान	-	-	6,113	1,00,000	6,05,000	-	-
	कर्मचारियों से अंशदान	-	-	12,225	-	86,943		-
	राजस्व खाता से अंशदान	-	13,10,70,321	-	-	-	70,55,880	70,55,880
	निवेश पर ब्याज	-	-	3,30,448	-	-	2,15,32,238	1,74,52,139
	कुल	**87,70,76,282**	**-4,36,49,54,372**	**52,03,593**	**5,64,777**	**6,92,093**	**18,42,18,079**	**15,06,47,980**
न्यून:	निधि से व्यय/समायोजन	-	-	4,411	3,85,865	6,50,000	-	-
31 मार्च 2024 तक शेष		**87,70,76,282**	**-4,36,49,54,372**	**51,99,182**	**1,78,912**	**42,093**	**18,42,18,079**	**15,06,47,980**

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

उप अनुसूची-बी

सहायता अनुदान

(₹ in crores)

क्र. सं.	कार्य का नाम	जीएल	स्वीकृत राशि	प्राप्त अनुदान									किया गया व्यय										संतुलन
				2020-21 से पहले	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	अर्जित ब्याज	कुल	2020-21 से पहले	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	ब्याज चुकाया गया	CWIP में ट्रांसफ़र	कुल	
1	बार्ज बर्थ के लिए एएसआईडीई अनुदान	110004	15.00	8.38	-	-	-	-	-	-	1.40	13.89	18.08	-	-	-	-	-	-	-	-7.60	13.89	0.00
2	सीएफएस के लिए एएसआईडीई अनुदान		4.04	4.04	-	-	-	-	-	-	0.07		3.41	-	-	-	-	-	-	-			
3	वॉकवे का विकास (चरण I, II, III)	110005	9.01	8.74	-	1.06	-	-	-	-	0.37	10.17	9.30	0.50	-	-	-	-	-	0.37	-	10.17	0.00
4	अतिरिक्त पर्यटन सुविधा-वॉकवे का निर्माण	110017	4.66	2.33	1.40	0.93	-	-	-	-	0.14	4.80	3.21	1.37	0.13	(0.05)	-	-	-	0.14	-	4.80	0.00
5	वल्लारपाडम-सबवे	110007	30.00	29.76	-	-	-	-	-	-	1.39	31.15	27.46	0.16	-	3.17	-	-	-	-	-	30.79	0.36
6	रेल ओवर ब्रिज-वल्लारपाडम	110015	409.83	409.83	-	-	-	-	-	-	4.12	413.95	402.82	-	-	-	-	-	0.41	-	-	403.23	10.72
7	गाद पर अनुसंधान एवं विकास अध्ययन	110008	5.37	5.36	-	0.10	-	-	-	-	0.24	5.70	5.70	-	-	-	-	-	-	-	-	5.70	0.00
8	कोस्टल लिक्विड टर्मिनल का नवीकरण	110010	14.96	14.45	-	-	-	-	-	-	0.54	14.99	14.45	-	-	-	-	-	-	0.54	-	14.99	0.00
9	प्रदूषण प्रतिक्रिया उपकरण की खरीद	110011	5.23	2.61	-	-	-	-	-	-	0.55	3.16	1.99	-	-	0.01	-	-	-	0.36	-	2.36	0.80
10	आईपीडीएस	110012	3.26	1.18	1.75	0.05	-	-	-	-	-	2.98	2.38	0.83	(0.23)	-	-	-	-	-	-	2.98	0.00
11	स्वच्छ भारत	110013	6.61	6.61	-	-	-	-	-	-	0.29	6.90	6.61	-	-	-	-	-	-	0.29	-	6.90	0.00
12	एरणाकुलम वार्फ़ के बर्थ और बैकअप क्षेत्र का उन्नयन (एरणाकुलम वार्फ़ में क्रूज टर्मिनल)	110014	21.41	17.12	4.28	-	-	-	-	-	0.69	22.09	17.20	5.40	(1.20)	-	-	-	-	0.69	0.00	22.09	0.00
13	क्रूज़ टर्मिनल (समुद्रिका) के लिए बुनियादी ढांचे का विकास	110016	1.21	0.76	0.20	-	0.18	-	-	-	0.03	1.17	0.91	0.09	0.14	-	-	-	-	0.03	-	1.17	0.00
14	अतिरिक्त बुनियादी ढांचा- क्रूज़ टर्मिनल	110018	10.30	5.15	3.08	-	-	0.66	-	-	0.14	9.03	1.32	3.90	3.67	-	-	-	-	0.14	-	9.03	0.00
15	साउथ कोल बर्थ का पुनर्निर्माण	110019	8.85	-	4.43	-	3.54	-	0.89	1.69	0.10	10.65	-	-	4.82	4.04	-	0.11	-	-	-	8.97	1.68
16	रो-रो प्रोपेलीन हस्तन का विकास	110021	10.56	-	-	-	3.66	5.23	2.95	-	-	11.84	-	-	-	2.68	6.26	2.52	0.68	-	-	12.14	-0.30
17	पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना	110023	5.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.94	-	-	4.94	-4.94
	सीएफएच खाते																						
1	सीएफएच का आधुनिकीकरण एवं उन्नयन- फिशरीस	110020	50.00	-	-	25.00	-	-	-	15.00	3.94	43.94	-	-	-	0.02	5.69	19.29	15.00	3.94	-	43.94	0.00
2	सीएफएच का आधुनिकीकरण एवं उन्नयन- सागरमाला	110020	50.00	-	-	-	-	-	36.55	10.95	-	47.50	-	-	-	-	-	28.45	13.65	-	-	42.10	5.40
	कुल		666.08	516.32	15.14	27.14	7.38	5.89	40.39	27.64	14.02	653.92	514.84	12.25	7.33	9.87	11.95	50.37	34.68	6.51	(7.60)	640.20	13.72

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

उप-अनुसूची - सी

31.03.2026 तक बैंक में जमा राशि और नकदी

विवरण	₹	₹
नकदी		4,712
कैश कार्ड		6,52,206
राष्ट्रीय एवं अनुसूचित बैंकों के साथ वर्तमान खाता		1,90,84,718
राष्ट्रीय एवं अनुसूचित बैंकों के साथ बचत खाता		32,19,66,095
बैंकों के साथ मियादी जमा:		
सामान्य संचय निधि	2,70,12,00,000	
जमा	50,56,10,606	
अनुदान	11,90,72,106	
कुल जमा		3,32,58,82,712
जनरल प्रोविडेंट फंड		58,33,00,000
एचबीए एफबीएफ निवेश		49,00,000
कुल		**4,25,57,90,442**
अनुसूचित बैंकों के साथ शेष		4,25,57,85,730
गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ शेष		शून्य

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ और हानि लेखा हेतु उप अनुसूचियाँ

आय

	2025-26	2024-25
	₹	₹
उप-अनुसूची -डी		
कार्गो हस्तन एवं भण्डार प्रभार		
सामान्य कार्गो पर हस्तन एवं भण्डार प्रभार	29,64,86,685	28,27,73,919
क्रेन-भाड़ा	-	2,76,269
पेट्रोलियम, तेल एवं लूब्रीकण्ट के हस्तन प्रभार	1,37,38,42,016	1,27,96,57,915
सामान्य कार्गो पर विलंब शुल्क	92,06,426	1,06,59,570
कंटेनरों पर हस्तन एवं भण्डार प्रभार	15,36,832	27,81,916
विविध प्रभार - कार्गो	1,61,18,237	1,81,83,194
आईसीटीटी से राजस्व शेयर	1,54,14,82,513	1,52,48,68,886
बंदरगाह अधिशुल्क-एलएनजी बेसिन	34,13,17,128	22,94,47,278
स्टीवडोरिंग एवं शोर हस्तन के लिए अधिशुल्क	16,29,682	25,18,560
कुल	**3,58,16,19,520**	**3,35,11,67,507**
उप-अनुसूची -ई		
पोर्ट और गोदी प्रभार		
नौकर्षण एवं नौबन्ध प्रभार	47,74,85,606	46,98,69,677
बर्थ किराया प्रभार	46,86,35,059	35,78,04,765
पोर्ट देय	1,33,72,55,979	1,25,04,59,960
कन्हारी शुल्क	2,51,73,09,854	2,35,45,92,784
नौवहन के लिये जल आपूर्ति	1,59,37,331	1,52,01,036
विविध प्रभार- जहाज़	2,90,85,663	3,05,74,773
निकर्षण सेवाओं से आय	9,52,90,100	8,67,84,179
मारिटाइम सेवा प्रभार सहित क्रूइस जहाज़ से आय	2,46,34,032	5,22,59,439
कुल	**4,96,56,33,623**	**4,61,75,46,613**
उप-अनुसूची - एफ		
रेलवे आमदनी	-	-
उप-अनुसूची - जी		
संपदा भाड़ा		
ज़मीन से किराया	77,15,02,664	82,16,22,600
भवनों, शेड और गोदामों से किराया	18,20,62,001	12,85,99,901
विविध आय	52,47,57,947	50,21,36,944
फुटकर आय	4,55,78,003	4,76,87,499
कुल	**1,52,39,00,616**	**1,50,00,46,944**

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ एवं हानि लेखा हेतु उप अनुसूचियाँ

व्यय

	2025-26	2024-25
	₹	₹
उप अनुसूची- एच		
कार्गो हस्तन एवं भण्डार		
शेड एवं वार्फ़ों में सामान्य कार्गो के हस्तन एवं भण्डारण	23,08,05,891	25,88,95,016
कंटेनरों के हस्तन एवं भण्डारण	12,88,343	10,54,942
क्रेन के प्रचालन एवं अनुरक्षण	1,15,46,581	1,12,09,404
पेट्रोलियम, तेल एवं लूब्रीकेंट के हस्तन	8,47,46,432	8,26,71,135
वार्फ़ों एवं चौहदियों में सामान्य सुविधाओं पर व्यय	12,68,066	28,66,564
प्रशासन एवं सामान्य व्यय	5,92,39,998	7,42,86,735
कुल	**38,88,95,310**	**43,09,83,796**
उप अनुसूची- आई		
पाइलटेज सहित पोर्ट एवं गोदी सुविधाएँ		
टोइंग, बर्थिंग और मूरिंग	16,71,23,743	23,26,29,114
पाइलटेज	9,29,22,847	6,67,12,863
नौवहन के लिये जल आपूर्ति	49,11,736	43,03,737
अग्निशमन	9,02,72,934	9,93,09,514
निकर्षण एवं समुद्री पर्यवेक्षण	1,77,91,88,621	1,43,18,62,720
हार्बर गश्ती दल	1,51,52,876	1,51,82,601
नौसंचालन संबंधी सहायता के प्रचालन एवं अनुरक्षण	3,34,89,178	3,38,50,291
प्रशासन एवं सामान्य व्यय	46,12,20,259	46,34,02,239
कुल	**2,64,42,82,195**	**2,34,72,53,079**
उप अनुसूची - जे		
रेलवे कार्य		
स्टेशन, अन्य भवनों एवं संरचनाओं का अनुरक्षण	-	-

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ एवं हानि लेखा हेतु उप अनुसूचियाँ

व्यय

	2025-26	2024-25
	₹	₹
उप अनुसूची -के		
किराये योग्य भूमि और भवनों		
संपदा अनुरक्षण	19,10,87,849	19,64,50,981
प्रशासन एवं सामान्य व्यय	7,47,44,883	6,93,62,374
कुल	**26,58,32,732**	**26,58,13,355**
उप अनुसूची -एल		
प्रबंधन एवं सामान्य प्रशासन		
प्रबंधन एवं सचिवालय व्यय	40,21,99,320	31,39,71,663
चिकित्सा व्यय	10,01,40,585	11,22,24,326
भण्डार रक्षण	1,54,96,371	1,93,13,253
लेखांकन एवं लेखा परीक्षण	25,17,37,796	24,83,50,527
मुख्य कार्यालय भवन एवं दूरभाष	92,97,342	78,12,270
अभियंत्रण एवं शिल्पशाला प्रशासन	12,68,93,736	12,98,27,285
अतिरिक्त और विविध व्यय	36,38,91,034	34,56,17,678
कुल	**1,26,96,56,182**	**1,17,71,17,002**

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

जीएल कोड	विवरण	2025-26 ₹	2024-25 ₹
	उप अनुसूची -एम		
	वित्त और विविध आय		
540000	विविध प्राप्तियाँ	34,76,86,606	15,52,27,174
540001	पूंजीगत परिसंपत्तियों के निपटान पर लाभ/हानि	6,81,312	7,98,347
540004	पूंजी पर बीमा दावे की वसूली	-	21,91,660
540005	ब्याज आय	32,93,24,010	25,54,33,344
540006	अनुपयोगी स्टोर की बिक्री	58,60,169	32,50,708
540007	मोटर लॉरी और विविध संयंत्रों का किराया	3,68,213	3,93,599
540008	परियोजना प्रबंधन सेवाओं के लिये प्रभार	11,81,76,861	9,81,44,196
540009	पिछले वर्ष से संबंधित मदें	37,38,648	20,91,073
540010	पेंशनभोगियों के लिये चिकित्सा योजना	94,775	84,894
540011	गैर हकदार लोगों के लिये चिकित्सा उपचार	1,41,146	1,96,167
540012	भूमि के लीज हेतु प्रीमियम	1,59,737	7,22,322
	कुल	**80,62,31,478**	**51,85,33,484**
	उप अनुसूची - एन		
	वित्त और विविध व्यय		
670000	परिसंपत्ति को स्कैप करना	10,890	-
670002	बैंक प्रभार	93,735	3,78,922
670006	कर्मचारी कल्याण कोष में अंशदान	1,00,000	-
670007	परिवार सुरक्षा निधि के लिये अंशदान	6,05,000	3,65,000
670008	पेंशन भुगतान समेत पेंशन निधि न्यास के लिये अंशदान	5,64,74,79,383	4,92,18,76,392
670009	पिछले वर्षों से संबंधित मद	2,59,56,785	78,64,560
670010	सीपीटीई एचबीए एफबीएफ के लिये अंशदान	6,113	8,238
670012	सीपीई नई पेंशन योजना के लिये अंशदान	2,90,58,655	2,18,09,984
670014	ग्रेच्यूटी भुगतान समेत ग्रेच्यूटी फ़ंड ट्रस्ट के लिए अंशदान	4,61,36,042	66,76,45,583
670023	बिजली जमा पर ब्याज	52,45,971	50,62,071
670027	व्यवहार्यता एवं अनुसंधान व विकास अध्ययनों पर व्यय	-	4,43,680
670031	निगम सामाजिक उत्तरदायित्व योजना	40,50,570	56,53,872
670032	अवकाश नकदीकरण निधि में अंशदान	40,47,93,593	-
	कुल	**6,16,35,36,737**	**5,63,11,08,303**

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

31-03-2026 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ और हानि लेखा हेतु अतिरिक्त अनुसूची

परिचालन व्यय

जीएल कोड	विवरण	2025-26	2024-25
		₹	₹
	वेतन एवं मजदूरी:		
600000	वेतन एवं मजदूरी (सामान्य)	244,244,972	226,260,847
600002	पीएलआर	9,589,000	10,691,000
600003	समयोपरि	17,519,942	28,997,612
600004	प्रोत्साहन	1,150,111	1,431,718
600005	मानदेय	247,161	111,386
600006	अवकाश नकदीकरण	92,042,567	95,839,296
600007	वेतन एवं मजदूरी (परिचालन)	605,236,343	627,688,376
600008	वेतन एवं मजदूरी (आर एण्ड एम)	275,289,761	298,867,403
600010	अवकाश यात्रा रियायत	293,164	821,828
600011	कर्मचारी सुविधा और कल्याण उपाय	-	25,129
600012	नियोक्ता ईएसआई अंशदान	144,730	239,885
600013	नियोक्ता ईपीएफ अंशदान	2,886,219	3,006,384
640000	वेतन(पत्तन सुरक्षा)	3,084,417	4,071,502
650000	वेतन एवं मजदूरी-चिकित्सा	76,484,034	85,282,063
	कुल (ए)	**1,328,212,421**	**1,383,334,429**
	भण्डार		
610000	भण्डार-सामान्य	929,904	1,273,227
610001	भण्डार-यूनिफार्म	136,549	209,240
610002	भण्डार-परिचालन	7,258,758	10,016,289
610003	भण्डार-ईंधन	273,427,228	250,869,578
610004	भण्डार(आर एण्ड एम)	16,852,356	15,206,546
	कुल (बी)	**298,604,794**	**277,574,880**
	कार्यालय और प्रशासनिक व्यय		
620000	स्टोर-स्टेशनरी की खपत	121,870	178,631
620001	पुस्तकें व पत्रिकाएं	10,000	84,087
620002	यात्रा व्यय	9,296,088	5,612,456
620004	कुरियर शुल्क	123,515	118,291
620005	लाइसेंस शुल्क व अधिशुल्क	437,982	1,081,338
620006	उपकरण और फर्नीचर	646,398	2,067,519

जीएल कोड	विवरण	2025-26	2024-25
		₹	₹
620010	विविध व्यय	14,405,633	8,966,011
620011	नये लघु कार्य	806,693	765,717
620013	मनोरंजन	6,825,553	2,714,146
620014	प्रशिक्षण कार्यक्रम	2,252,512	995,817
620015	क्रीड़ा और खेल कूद	1,450,907	488,810
620016	विधिक प्रभार	4,996,887	4,848,195
620017	मुद्रण प्रभार	539,453	446,800
620019	प्रचार और विज्ञापन	9,540,819	7,700,986
620020	लेखा परीक्षा और लेखांकन	9,412,898	8,991,789
620021	किराया, दरों और शुल्कों	4,025,267	16,339,889
620022	दूरभाष	1,054,903	1,256,488
620023	अभिदान	171,211	209,347
620025	आईपीए शेयर अंशदान	48,003,763	19,885,066
620026	विपणन व्यय	262,720	506,152
	कुल (सी)	**114,385,071**	**83,257,535**
	परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय		
630000	ठेका सड़कों द्वारा आर एण्ड एम की व्यवस्था	9,702,155	8,170,776
630001	ठेका भवनों द्वारा आर एण्ड एम की व्यवस्था	10,264,493	10,334,392
630002	ठेका-संयंत्र एवं उपकरणों द्वारा आर एण्ड एम की व्यवस्था	10,944,703	11,964,154
630004	प्लव यान का शुष्क गोदीयन	177,798,894	84,782,934
630005	ठेका सड़कों द्वारा विशेष आर एण्ड एम की व्यवस्था	411,663	333,703
630006	ठेका भवनों द्वारा विशेष आर एण्ड एम की व्यवस्था	4,613,892	9,613,512
630007	“ठेका-संयंत्र एवं उपकरणों द्वारा विशेष आर एण्ड एम की व्यवस्था”	8,362,198	10,613,420
630008	वाहनों का किराया और परिवहन प्रभार	11,911,435	13,560,295
630009	जल प्रभार	50,444,188	49,936,813
630012	बिजली प्रभार	394,228,692	369,455,021
630013	बोट, टॉग एवं लॉन्च का किराया	249,066,749	223,068,338
630015	निकर्षण अनुरक्षण	1,479,169,507	1,304,268,397
630016	विविध व्यय	38,699,375	35,404,144
630017	बीमा	8,251,964	8,753,757
630018	स्व खपत-बिजली	16,655,626	16,087,500
630019	सोलार ऊर्जा प्रभार	58,807	45,401
	कुल (डी)	**2,470,584,339**	**2,156,392,557**

जीएल कोड	विवरण	2025-26	2024-25
		₹	₹
	सुरक्षा व्यय		
640001	गश्त के लिए नाव का किराया	3,681,665	4,460,747
640002	आई एस पी एस	192,500	110,000
640004	के.औ.सु.ब.-तैनाती प्रभार	137,201,629	109,100,912
640005	एसईजेड-लागत वसूली	2,389,738	1,927,390
640006	निजी सुरक्षा प्रभार	11,795,429	8,675,052
	कुल (ई)	**155,260,961**	**124,274,101**
	चिकित्सा व्यय		
650001	विशेषज्ञों को वेतन, शुल्क और मानदेय	1,976,130	2,171,220
650002	भण्डार-चिकित्सा	16,027,667	17,658,861
650003	प्रावधान-चिकित्सा	110,710	160,308
650004	अस्पताल उपकरण	233,029	92,521
650005	चिकित्सा व्यय	1,444,658	1,516,179
650006	बाहरी अस्पतालों को भुगतान किए गए प्रभार	9,275,764	6,151,560
650007	चिकित्सा उपचार-पेंशनर	302,261	241,442
	कुल (एफ)	**29,370,219**	**27,992,091**
	मूल्यह्रास		
	वर्ष के लिये अवमूल्यन	170,539,127	166,932,084
670021	पूर्वावधि अवमूल्यन	1,709,486	1,409,553
	कुल (जी)	**172,248,613**	**168,341,637**
	कुल योग(ए) से (जी) तक	**4,568,666,418**	**4,221,167,231**

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

अनुसूची - IX

कोचिन मात्स्यकीय बंदरगाह

31 मार्च 2026 तक तूलन पत्र

(राशि रुपये में)

	विवरण	2025-26		2024-25	
A	निधियों के स्रोत				
	भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	1,066,032,261		191,032,261	
	न्यून : अनुदान प्रयुक्त	1,010,874,814	55,157,447	189,845,895	1,186,366
	कुल		**55,157,447**		**1,186,366**
B	निधि का उपयोग				
	अचल सम्पत्ति				
	सकल ब्लॉक	1,010,881,528		189,853,794	
	कार्य प्रगति पर	0		0	
		1,010,881,528		189,853,794	
	न्यून : प्राप्त अनुदान	1,010,874,814	6,714	189,845,895	7,899
	चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम				
	ए.चालू परिसंपत्तियाँ:				
	(i)निवेश पर अर्जित ब्याज	1,423,092		1,396,426	
	(ii)विविध देनदार	18,992,081		19,483,978	
	(iii)नकद और बैंक में जमा राशि	48,952,643		45,030,561	
	(iv) अन्य चालू परिसंपत्तियां	56,187,103		0	
	बी. ऋण एवं अग्रिम	353,588		353,588	
	कुल	**125,908,508**		**66,264,554**	
	न्यून:चालू देनदारियों और प्रावधानों	104,858,571		97,986,374	
	निवल वर्तमान परिसंपत्तियाँ		21,049,937		-31,721,820
	लाभ और हानि लेखा		34,100,796		32,900,287
	(संचित घाटा)				
	कुल		**55,157,447**		**1,186,366**

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

अनुसूची - IX

कोचिन मात्स्यकीय बंदरगाह

31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिये आय और व्यय लेखा

(राशि रुपये में)

व्यय	राशि 2025-26	राशि 2024-25	आय	राशि 2025-26	राशि 2024-25
वेतन और अन्य लाभ	25,241,889	20,921,249	टोल संग्रह	8,114,966	6,749,958
बिजली प्रभार	2,681,712	2,381,433	बिजली प्रभार	2,663,338	2,699,334
सुरक्षा प्रभार	5,626,599	5,078,949	मत्स्य बाहरी-हस्तन प्रभार	5,188,009	4,491,097
जल प्रभार	1,361,411	1,800,390	भूमि पर लीज भाड़ा	8,203,543	7,396,629
मरम्मत और अनुरक्षण	682,431	1,826,939	भवन एवं जमीन भाड़ा	3,959,055	4,163,652
व्यावसायिक प्रभार	510,000	528,750	विविध प्राप्तियाँ	438,460	1,608,438
मुद्रण और लेखन सामग्री	30,090	34,009	स्लीपवे का लीज	2,262,141	2,217,786
विविध व्यय	92,241	103,227	जल प्रभार	941,976	911,900
यात्रा व्यय	23,627	34,234	लाइसेंसीकरण एवं लाइसेंस शुल्क	942,592	941,259
दूरभाष प्रभार	12,022	18,799	बैंक ब्याज	5,141,460	2,506,496
अवमूल्यन	1,185	1,394	मत्स्य ग्रहण यानों का नामांकन	13,559	66,356
सेवानिवृत्त फायदा के लिए प्रावधान	2,776,608	2,301,337			
बैंक प्रभार	29,793	443	निवल घाटा	1,200,509	1,278,248
	39,069,607	**35,031,153**		**39,069,607**	**35,031,153**

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

अनुसूची - IX

कोचिन मात्स्यकीय बंदरगाह

31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिये प्राप्तियाँ और भुगतान

(राशि रुपये में)

प्राप्तियाँ	" राशि 2025-26 "	" राशि 2024-25 "	भुगतान	" राशि 2025-26 "	" राशि 2024-25 "
हाथ में आदि नकद	103,044	123,955	वेतन और अन्य लाभ	20,993,554	20,726,787
बैंक में आदि नकद	42,711,495	45,998,443	यात्रा व्यय	24,809	36,362
मत्स्य ग्रहण यानों का पंजीकरण	13,559	64,407	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	35,669	39,450
मत्स्य बाहरी- हस्तन प्रभार	5,188,009	4,491,097	मरम्मत और अनुरक्षण	501,837	630,040
टोल संग्रह	8,114,966	6,749,958	दूरभाष प्रभार	12,022	18,799
बैंक ब्याज	3,660,654	2,302,866	बिजली प्रभार	2,419,586	2,381,433
संग्रहित जी एस टी	5,772,165	5,097,167	जल प्रभार	1,634,119	1,800,390
अन्य परिचालन राजस्व प्राप्तियाँ	18,971,573	18,393,909	चेक प्रभार	62,322	443
			विविध व्यय	2,000	29,282
			व्यावसायिक प्रभार	540,605	611,547
			सुरक्षा प्रभार	6,438,880	5,348,253
			टी डी एस देयिता भुगतान	160,141	261,494
			सोफ्टवेयर रिन्यूवल प्रभार	15390	15930
			चिकित्सा भत्ता	765	37764
			निविदा प्रसंस्करण शुल्क	10800	18360
			जमा ईएमडी	0	38624
			कार्यालय व्यय	66,203	76,844
			जीएसटी भुगतान	4,443,127	6,119,439
			जीएसटी पर टीडीएस	113,474	0
			इति नकद शेष	121,437	2,319,066
			इति बैंक शेष	46,938,726	42,711,495
	84,535,465	**83,221,802**		**84,535,465**	**83,221,802**

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

वार्षिक लेखों पर टिप्पणियां 2025-26

1. आय और व्यय की गिनती लेखांकन के व्यापारिक प्रणाली पर आधारित है।
2. आय के लेखांकन के समय रूढ़िवादी सिद्धांत का पालन किया गया है।
3. अचल सम्पत्ति और वस्तुसूची की गिनती ऐतिहासिक लागत प्रणाली पर की जाती है।
4. परिसम्पत्ति का मूल्य को जीवन काल के अंत में ₹.1/-मानते हुये सीधी रेखा के आधार पर लेखा में मूल्यह्रास प्रदान किया गया है। सम्पत्ति का जीवन काल भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देशों के आधार पर तय किया गया है। पूंजीकरण कि तिथि से उचित अनुपात में अवमूल्यन किया जाता है।
5. लंबी अवधि के निवेश का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।वर्तमान निवेशों का मूल्यांकन लागत या उचित मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।
6. भूमि की लीज पर प्राप्त अग्रिम भुगतान लीज अवधि के लिये समरूप से परिव्याप्त है।
7. भूमि के लीज पर प्रीमियम को वित्त और विविध आय के तहत प्राप्ति के वर्ष में आय के रूप में विचार किया जाता है।
8. पूर्वावधि मदें, जैसे कि आय अथवा व्यय जो वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति में उत्पन्न त्रुटियों अथवा चूक अथवा एक या एकाधिक पूर्वावधियों के बिल या दावों के संशोधन के कारण चालू वित्त वर्ष में पैदा हुआ है, को वित्त और विविध आय अथवा वित्त एवं विविध व्यय के अधीन शामिल किया गया है।
9. विविध निधियों के निवेश से प्राप्त आय संबंधित निधियों को दिये जाते हैं।
10. आकस्मिक देनदारियों को लेखा के लिये "अन्य टिप्पणियों" में प्रकाशित किया जाता है।
11. विशेष अचल परिसम्पत्तियों से संबंधित प्राप्त सहायता अनुदान को उनके अंकित मूल्य प्राप्त करने मेंसंबंधित परिसम्पत्तियों के सकल मूल्य से कटौती के रूप में दर्शाते हुये तुलन पत्र में प्रस्तुत किया गया है।
12. कार्गो और पोत संबंधी सेवाओं पर राजस्व सेवा के वास्तविक उपयोग और पूर्णता के आधार पर निर्धारित किया जाता है। संपदा से प्राप्त राजस्व समय के आधार पर निर्धारित किया जाता है।
13. सभी नए कार्य या मौजूदा कार्यों में परिवर्धन/परिवर्तन या सभी नए संयंत्र या उपकरण या शिल्प या संयंत्र या उपकरण या शिल्प के प्रतिस्थापन जिनकी अनुमानित लागत ₹1 लाख से अधिक नहीं है, राजस्व में प्रभारित किए जाते हैं।पांच वर्ष से अधिक की अपेक्षित अवधि वाली परिसंपत्तियों पर व्यय को नवीन लघु निर्माण के रूप में राजस्व में शामिल किया जाता है।
14. पट्टादारों में लिए गए भवन का लेखांकन विचार इस प्रकार होगा:

    मामला I : जब भवन किसी पट्टेदार से लागत के साथ अथवा बिना किसी लागत के लिया जाता है और बाद में पट्टे के साथ या बिना किराए पर दिया जाता है या स्वयं के उपयोग के लिए उपयोग किया जाता है, तो ऐसी इमारत को खातों की पुस्तकों में ₹1 या लागू स्वीकार्य / मूल्यह्रास लागत पर अधिग्रहण की तिथि से पूंजीकृत किया जाएगा।

    मामला II:जब भवन पट्टेदार से लिया जाता है (जिसका नियंत्रण कोचिन पत्तन के साथ अस्थायी प्रकृति का है) और भवन की लागत के साथ नए पट्टेदार को भूमि के साथ पट्टे पर दिया जाना है,तो नए पट्टेदार से प्राप्त राशि पुराने पट्टेदार को, पत्तन को देय यदि कोई हो, को समायोजित करने के बाद दी जाएगी।इस मामले में भवन/परिसंपत्ति को खातों की पुस्तकों में पूंजीकृत नहीं किया जाएगा, लेकिन वर्ष के अंत में अभी तक लीज पर नहीं लिए गए भवन का विवरण वार्षिक खातों का हिस्सा बनने वाले खातों पर टिप्पणियों में प्रकट किया जाएगा।

    ऐसी स्थिति में जहां पुराने पट्टेदार द्वारा पत्तन को भवन को शून्य मूल्य पर स्थानांतरित किया जाता है लेकिन नए पट्टेदार ने नीलामी के बाद भवन के मूल्य का भुगतान किया है, ऐसे भुगतान किए गए मूल्य को पत्तन की वित्त और विविध आय के रूप में माना जाएगा।
15. मूल लागत के अतिरिक्त अचल परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त पूंजीगत लाभ को पूंजी रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2025-26की लेखा हेतु टिप्पणी

1. पत्तन का निष्पादन

कोचिन पत्तन प्राधिकरण ने वर्ष 2024-25 के दौरान 37.75एमएमटी की तुलना में वर्ष 2025-26के दौरान 38.06 एमएमटी कार्गो हस्तन किया है। वर्ष 2024-25 में कोचिन पत्तन में 1672 जहाज़ों की तुलना में वर्ष 2025-26 में 1713 जहाज़ रवाना किया गया है। पत्तन ने वर्ष 2024-25 में 8,34,665 टीईयू कि तुलना में वर्ष 2025-26 में 7,67,948 टीईयू कंटेनर हस्तन किया है।

2. अनुदान सहायता:

ए)31.03.2026तक अनुदान की स्थिति इस प्रकार है:

विवरण	रकम (₹. करोड़ में)
01.04.2025तक अनुदान की शेष राशि	14.97
न्यून: 01.04.2025 तक मंत्रालय से प्राप्त अनुदान से अधिक व्यय	0.01
संयोजन: 01.04.2025 तक अर्जित ब्याज जो मंत्रालय को चुकाया जाएगा	8.87
संयोजन: विभिन्न परियोजनाओं के लिए वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	27.64
संयोजन: 2025-26के दौरान अर्जित ब्याज	0.88
न्यून:2025-26 के दौरान चुकाया गया ब्याज	3.94
न्यून:2025-26 के दौरान हुए खर्च	34.68
न्यून:सीएफएच खाते में सीएफएच परियोजना हेतु अनुदान	5.40
न्यून:31.03.2026तक अर्जित ब्याज मंत्रालय को वर्तमान देनदारियों के तहत पुनर्स्थापित किया गया	9.75
संयोजन:मंत्रालय से प्राप्य अनुदान को ऋण और अग्रिम के अंतर्गत पुनर्स्थापित किया गया	5.25
31.03.2026 तक शेष अनुदान	**3.83**

3. भारत सरकार से लिया गया ऋण

31.03.2016 तक आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) द्वारा अनुमोदित भारत सरकार के ऋण की अंतिम देनदारी ₹558.53 करोड़ रुपये है। प्रतिबद्धता के अनुसार पत्तन ने मार्च 2019 और मार्च 2020 प्रत्येक में ₹55.85 करोड़ रुपये की पहली और दूसरी किस्त का भुगतान किया है। इसके अलावा, सीसीईए ने 3 साल (2020-21, 2021-22 और 2022-23) के लिए ऋण के पुनर्भुगतान हेतु अधिस्थगन देने के लिए सीओपीए के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसे मंत्रालय ने पत्र संख्या पीडी-25021/4/2013-सीओपीटी (पीटी.आई) (ई 316731) दिनांक 06.07.2022 के माध्यम से सूचित किया था,परिणामतः 2023-24 से शुरू 8 वर्षों में ₹446.83 करोड़ की शेष जमा राशि का पुनर्निर्धारण किया गया है। पेंशन और ग्रेच्युटी फंड में भारी घाटे को देखते हुए, श्रेणी III और IV के कर्मचारियों के वेतन संशोधन और अन्य वित्तीय प्रतिबद्धताओं के लिए आगामी देयता, जिससे पत्तन पर वित्तीय दबाव बढ़ने की संभावना है, भारत सरकार के बकाया ऋण की माफी के लिए मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।चूंकि छूट का प्रस्ताव प्रगति पर है, इसलिए सीओपीए ने वित्त वर्ष 2023-24,वित्त वर्ष2024-25एवं वित्त वर्ष 2025-26 में देय किस्त का भुगतान नहीं किया है।

4. लेखांकन मानकों का अनुपालन:

महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के अधिनियमन के परिणामस्वरूप, महापत्तन प्राधिकरणों पर लेखांकन मानक लागू होते हैं। अतः खातों की प्रस्तुति और लेखांकन मानकों के अनुपालन की एक समान रूपरेखा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय पत्तन संघ ने भारत में महापत्तनों के वार्षिक लेखों की प्रस्तुति के लिए एक सामान्य रूपरेखा, विषय-वस्तु, प्रारूप और समय-सीमा तैयार करने के लिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) को नियुक्त किया है, जो प्रगति पर है। जब तक इस संबंध में मंत्रालय के अनुमोदन से सामान्य ढांचे पर एक समान दिशानिर्देश जारी नहीं किया जाता, पत्तन, आईपीए शासी निकाय द्वारा मार्च 2022 में आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार मौजूदा प्रणाली को जारी रखेगा।

5. सांविधिक आरक्षित निधियाँ:

मंत्रालय के 1976 के निर्देशानुसार, दो सांविधिक आरक्षित निधियां अर्थात पूंजीगत परिसंपत्तियों का प्रतिस्थापन, पुनर्वास और आधुनिकीकरण तथा विकास, ऋणों की अदायगी और आकस्मिकताएं, प्रत्येक नियोजित पूंजी राशि का 3% इन निधियों में स्थानांतरित करके बनाई जाएंगी।तदनुसार, कोचिन पत्तन प्राधिकरण ने वर्ष 2025-2026 के दौरान 1.41 करोड़ रुपयों की सांविधिक आरक्षित निधि बनायी है।

6. पूंजीकरण:

वर्ष 2025-26 के दौरान ₹5.73 करोड़ मूल्य की परिसंपत्तियों का पूंजीकरण किया गया है और 31.03.2026 तक प्रगतिरत पूंजीगत कार्य की राशि ₹10.80 करोड़ है।

7. पूंजीगत व्यय:

वर्ष 2025-26 के दौरान किए गए पूंजीगत व्यय इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
1	सरकारी बजटीय सहायता से (जीबीएस)	0.00
2	आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों में से (आईईबीआर)	
	(ए) आंतरिक संसाधन	13.64
	(बी) विभिन्न मंत्रालयों से अनुदान	34.28
	(सी) अन्य अभिकरणों	0.00
	कुल पूंजीगत व्यय	**47.92**

8. निगम सामाजिक उत्तरदायित्व

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सीएसआर दिशानिर्देशों के अनुसार,सीएसआर के लिए ₹40,50,570 की राशि प्रदान की गई है। (2024-25 के दौरान ₹13,50,19,014 के लाभ का 3%)। 31.03.2026 तक सीएसआर योजना के अंतर्गत उपलब्ध शेष राशि ₹97,97,697 है।

9. कर संबंधी मामले

ए) आयकर

(i) मूल्यांकन वर्ष 2023-24 तक आयकर निर्धारण पूरा हो गया है।

(ii) वर्ष 2025-26 के दौरान, मूल्यांकन वर्ष 2024-25 के लिए ₹46.44 करोड़ का आयकर रिफंड (ब्याज सहित) प्राप्त हुआ।

(iii) माननीय आईटीएटी के आदेश के अनुसार पिछले मूल्यांकन वर्षों की आय के अधिक आवेदन पर विचार करने हेतु मूल्यांकन वर्ष 2007-08 के लिए पत्तन द्वारा दायर किए गए सुधार याचिका क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी के पास लंबित है।

(iv) पिछले वर्षों से संचित व्यापार हानि और अनवशोषित मूल्यह्रास के कारण चालू वर्ष के कर के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है।

(v) विभिन्न मंचों के समक्ष आयकर मांगों के विरुद्ध कोचिन पत्तन प्राधिकरणद्वारा दायर अपीलों की स्थिति अनुलग्नक I में दर्शाई गई है।

बी) सेवा कर

मेसर्स आईजीटीपीएल से अयोग्य सेनवैट क्रेडिट, कानूनी शुल्क, परिसमाप्त क्षति(अनुबंध II),संपत्ति किराये, रॉयल्टी का अग्रिम भुगतान आदि प्रदान की गई सेवाओं पर सेवा कर जिसमें ₹13.02 करोड़ का वित्तीय निहितार्थ और ₹4.71 करोड़जुर्माना शामिल है, का संग्रहण न होने के कारण जो विभिन्न प्राधिकारियों के समक्ष अपील की कार्यवाही के अधीन हैं, विवादित 11 संख्यक सेवा कर मांगों के लिए किसी प्रावधान पर विचार नहीं किया गया है।

सी) जीएसटी

अचल संपत्ति के निर्माण पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने, कर देयता में बेमेल और जीएसटी रिटर्न आदि में रिपोर्ट की गई आईटीसी के कारण 46.68 करोड़ रुपये की विवादित 4 जीएसटी मांगों तथा 5.42 करोड़ रुपए के जुर्माने के लिए कोई प्रावधान नहीं माना गया है। (अनुबंध-III)

(डी) केरल बाढ़ उपकर

अगस्त 2019 से जुलाई 2021 के दौरान केएफसी द्वारा किए गए भुगतान में विसंगति का आरोप लगाते हुए, ब्याज और जुर्माने सहित 0.28 करोड़ रुपये की विवादित केरल बाढ़ उपकर मांगों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।(अनुबंधIV)

(ई) आस्थगित कर

आय एएस-22 पर करों के लिए लेखांकन पर लेखा मानक के संदर्भ मेंभविष्य में कर योग्य मुनाफे की आभासी/उचित निश्चितता के अभाव में खातों में आस्थगित कर संपदा (नेट) को स्वीकार नहीं किया गया है।

10. सेवानिवृत्ति लाभ:

(ए) पोर्ट ने 06.03.2007 को आयोजित बोर्ड की बैठक में अनुमोदन के साथ 2008 में पेंशन और ग्रेच्युटी फंड के लिए अलग-अलग ट्रस्ट बनाए हैं। इन ट्रस्टों के खाते अलग से तैयार किए जाते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट फार्म द्वारा उनकी लेखापरीक्षा की जाती है।

(बी) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा 31.03.2026 के आंकड़ों के आधार परकी गई ऑन रोल कर्मचारियों के पेंशन देयता का बीमांकिक मूल्यांकन ₹.596.78 करोड़है।उसी प्रकार पेंशनभोगियों के लिए पेंशन की देयता 31.03.2026तक ₹.2,134.81 करोड़ है। इसी प्रकार, पेंशन देनदारी का कुल बीमांकिक मूल्यांकन ₹2,731.59 करोड़ है।बीमांकिक मूल्यांकन के मुकाबले पेंशन निधि में उपलब्ध वास्तविक निधि ₹1,585.54 करोड़ रुपये है, जो ₹1,146.05 करोड़ रुपये की कमी दर्शाती है।

पत्तन ने खातों में इस कमी के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है, क्योंकि केवल प्रावधान करने से समस्या का समाधान नहीं होता जब तक कि इसके लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न हो। पत्तन कोष बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है और 2021 से अब तक ₹1087 करोड़ का योगदान दे चुका है। पिछले वर्ष पेंशन फंड में ₹1517.84 करोड़ का घाटा था, जो अब घटकर ₹1,146.05 करोड़ हो गया है। चूंकि यह देनदारी वर्षों से संचित है, इसलिए इसे एक ही वित्तीय वर्ष में लाभ-हानि खाते में पूरी तरह से समायोजित नहीं किया जा सकता है। अगले 5 वर्षों में उपलब्ध अधिशेष और आरक्षित निधि को ध्यान में रखते हुए भविष्य में इस कमी की भरपाई कर दी जाएगी।

वर्ष 2025-26 के लिए पेंशन फंड ट्रस्ट का योगदान ₹564.75करोड़ है जिसमें ₹347.53 करोड़ का पेंशन भुगतान शामिल है।

(सी) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा 31.03.2026 तक ऑनरोल कर्मचारियों की ग्रेच्युटी देनदारी का बीमांकिक मूल्यांकन ₹119.54 करोड़ है।वर्ष 2025-26 के लिए ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट का योगदान ₹4.61 करोड़ है।2025-26 के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बकाया राशि सहित ₹19.42 करोड़ का ग्रेच्युटी भुगतान एलआईसी फंड से किया गया।31.03.2026 तक एलआईसी के पास ग्रेच्युटी फंड में उपलब्ध वास्तविक धनराशि ₹128.86 करोड़ है।

(डी) नई पेंशन योजना में पत्तन का योगदान भी लाभ और हानि खाते से लिया जाता है।जो कर्मचारी 31.12.2003 के बाद पत्तन सेवा में शामिल हुए हैं, वे नई अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं।उक्त कर्मचारी और नियोक्ता का योगदान मासिक आधार पर पोर्ट के पंजीकरण कोड के तहत एनएसडीएल के माध्यम से एनपीएस ट्रस्ट को भेजा जा रहा है।31.03.2026 तक 189 कर्मचारी इस योजना के अंतर्गत शामिल हैं।

11. अवकाश नकदीकरण

31.03.2026तक कर्मचारियों के अवकाश नकदीकरण के लिए एलआईसी के माध्यम से किया गया बीमांकिक मूल्यांकन ₹40.59 करोड़ है।वर्ष 2025-26 के लिए अवकाश नकदीकरण फंड ट्रस्ट में योगदान ₹37.00 करोड़ है। 31.03.2026 तक एलआईसी अवकाश नकदीकरण फंड में कुल निवेश ₹37.12 करोड़ है और ₹3.47 करोड़ की कमी के लिए खातों में आवश्यक प्रावधान किया गया है।

12. आकस्मिक देयताएं:

अनिश्चित प्रकृति के कारण लेखा पुस्तिका में आकस्मिक देनदारियों का प्रावधान नहीं किया गया है और जो आर्बीट्रेशन और कानूनी कार्यवाही के कारण विवादित हैं, वे इस प्रकार हैं;

ए) आर्बीट्रेशन और उस पर कानूनी कार्यवाही अनुबंध Vके रूप में दी गई है।

बी) अन्य कानूनी कार्यवाही की स्थिति इस प्रकार है:

(i) मेसर्स जखाऊ साल्ट कंपनी प्रा. लिमिटेड द्वारा मट्टांचेरी वार्फ के ढहने के कारण माल की हानि के लिए₹1.47 करोड़ के लिए पत्तन के खिलाफ़ एक मुकदमा दायर किया गया था। पत्तन ने माननीय केरल उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। सीओपीए द्वारा माननीय केरल उच्च न्यायालय में दायर आरएफए358/12 अभी भी लंबित है। इस मामले की सुनवाई 23.06.2026को निर्धारित की गई थी और इसे 08.06.2026तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

(ii) 75 दिनों से अधिक समय से वसूले गए अतिरिक्त भूमि किराये (लगभग ₹1.58 करोड़) की वापसी के संबंध में, माननीय केरल उच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध मेंविभिन्न ग्राहकों के विरुद्ध भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मामले लंबित हैं।

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 2525/2018 पर दिनांक 05.08.2020 के अपने निर्णय में अपीलकर्ता (कोचिन पत्तन) को स्टीमर एजेंटों की देयता की पुनः गणना करने तथा संबंधित निर्णय की प्रति प्राप्त होने की तिथि से दो महीने के भीतर शेष राशि संबंधित पक्षों को वापस करने का आदेश

दिया है।

तदनुसार, कोचिन पत्तन ने आदेश के अनुपालन में, पत्र संख्या ए6/एसएलपीएस/2012/2017/टीदिनांक 19.07.2021 के माध्यम से सभी पक्षों से कंटेनरों के विवरण के साथ इस संबंध में किए गए भुगतान को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।अब तक किए गए कुल प्रतिदाय (रिफंड) की राशि ₹45,17,760/- है।

(iii) पुत्तुवाइपीन में एसईजेड क्षेत्र को सीधा सड़क संपर्क प्रदान करने की परियोजना से संबंधित भूमि अधिग्रहण मामलों के संबंध में, कोचिन पत्तन ने बेदखलियों/दावेदारों द्वारा दायर निष्पादन याचिका में सशर्त स्थगन के लिए डिक्री ऋण के 50% के लिए उप न्यायालय, कोच्चि में 1.07 करोड़ रुपये की राशि जमा कराई है।शेष राशि का प्रेषण अंतिम निर्णय के अधीन है।पुत्तुवाइपीन एसईजेड में सह-डेवलपर्स अर्थात पीएलएल, बीपीसीएल-केआर और आईओसीएल से अनुरोध किया गया था कि वे कोचिन पत्तन द्वारा अग्रिम 50% राशि में से अपने हिस्से की प्रतिपूर्ति करेंऔर तीनों सह-डेवलपर्स ने अपने हिस्से की ₹26.97 लाख प्रतिपूर्ति की है।

केरल राज्य द्वारा दायर 12 भूमि अधिग्रहण अपील (एलएए 706/2013 और 11 अन्य) जिसमें उप-न्यायालय, कोच्ची द्वारा एलएआर में दिए गए फैसले को चुनौती दी गई थी, को उच्च न्यायालय ने दिनांक 05.10.2023 के अपने फैसले में खारिज कर दिया।कानूनी सलाहकार द्वारा फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की गुंजाइश का विश्लेषण किया जा रहा है।

कोचिन पत्तन प्राधिकरण ने निर्णय स्वीकार कर लिया है। मुख्य अभियंता द्वारा दिनांक 3.9.2024 को स्वीकृति आदेश जारी किया गया और पत्तन द्वारा ₹2.64 करोड़ की राशि जमा कर दी गई।

(iv) लिंक रोड (एनएच 47-ए) का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग के निक्षेप कार्य के रूप में सीओपीए द्वारा किया गया था, जिसके लिए मेसर्स ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जमीन सुधार कार्य किया गया था।डी.सी.आई. के 3.89 करोड़ रुपये के अतिरिक्त दावे को पत्तन द्वारा विवादित कर दिया गया,जिसके लिए डी.सी.आई.आर्बीट्रेशन के लिए गया और जनवरी 2008 में मामला जीत गया।निर्णय के अनुसार, डीसीआई 01.07.1993 से भुगतान की तिथि तक या 15.05.2008 तक जो भी पहले हो, 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज पाने का योग्य है,अन्यथा भुगतान की तिथि तक 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लिया जाएगा। पत्तन ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से आर्बीट्रेशन आवार्ड राशि का दावा किया और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से इसे प्राप्त होने पर, 26.08.2016 को डीसीआई को इसका भुगतान किया गया।हालाँकि, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ब्याज घटक जारी नहीं किया। डी.सी.आई., पत्तन से ब्याज का दावा कर रहा है। पत्तन ने यह रुख अपनाया है कि बकाया राशि का भुगतान तभी किया जा सकता है जब सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राशि जारी की जाए। इसलिए, इस मामले पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।

(v) कर्मचारियों के सेवा-संबंधी मामले जिनमें नियुक्तियों, पदोन्नति, वरिष्ठता, एमएसीपी, नियमितीकरण आदि को चुनौती दी गई है, विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं।

(vi) ईपीसी अनुबंध के माध्यम से गोवा के मुरमुगाओ पत्तन में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रूज टर्मिनल और अन्य संबद्ध सुविधाओं के निर्माण कार्य के संबंध में आरसीसी एसीसी (जेवी) और कोचिन पत्तन प्राधिकरण के बीच आर्बीट्रेशन किया गया था।

पत्तन के विरुद्ध 07.03.2026 को पारित 35.56 करोड़ रुपये के आर्बीट्रेशन अवार्ड को पत्तन द्वारा चुनौती दी जा रही है।

(vii) फोर्ट कोच्ची में भारतीय तटरक्षक बल के लिए जेटी और संबद्ध सुविधाओं के निर्माण के अनुबंध से उत्पन्न कार्गवाल कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड और कोचिन पत्तन प्राधिकरण के बीच आर्बीट्रेशन किया गयाऔर 67.78 करोड़ रुपये का दावा किया गया।

प्रारंभिक मुद्दे के रूप में रखरखाव पर तर्क-वितर्क 22.12.2025 को हुई। इसके बाद, न्यायाधिकरण ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह आदेश पारित किया कि कार्यवाही में उठाए गए विवाद न्यायाधिकरण द्वारा आर्बीट्रेशन योग्य हैं और वादी द्वारा उठाए गए दावे समय सीमा से बाधित नहीं हैं।

मामले को अब 02.06.2026 से 06.06.2026 तक जांच और सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया है।

(viii) केरल राज्य विद्युत नियामक आयोग के दिनांक 25-07-2012 के रिटेल सप्लाई टैरिफ (आरएसटी) संबंधी आदेश के अनुसार, एचटीआईवी वाणिज्यिक श्रेणी के ऊर्जा शुल्क 30,000 यूनिट तक की खपत के लिए 5.50 रुपये प्रति यूनिट और 30,000 यूनिट से अधिक खपत होने पर 6.50 रुपये प्रति यूनिट निर्धारित किए गए थे, साथ ही मांग शुल्क 400 रुपये/किलोवाट/माह था। इसके बाद, दिनांक 05-12-2012 को एक संशोधित आदेश जारी किया गया जिसमें सभी उपभोक्ताओं पर लागू रिटेल सप्लाई टैरिफ को संशोधित किया गया।

केरल के वर्गीकृत एवं अनुमोदित होटलों के संघ ने विद्युत शुल्क को चुनौती देते हुए माननीय विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष एलसी/एफ1234/डब्ल्यूपी158/2016/केएसईबी/सचिव/जीएडी/2021 अपील संख्या 10/2013 दायर की। माननीय एपीटीईएल ने 25-10-2013 के अपने निर्णय में एचटीआईवी वाणिज्यिक श्रेणी के लिए केएसईआरसी द्वारा निर्धारित शुल्क को रद्द कर दिया और मांग शुल्क 400 रुपये/किलोवाट/माह तथा ऊर्जा शुल्क 5.50 रुपये प्रति किलोवाट घंटा की दर से सभी खपत इकाइयों पर वसूलने का निर्देश दिया तथा अतिरिक्त शुल्क के प्रतिदाय का भी निर्देश दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपील पर विचार करते हुए प्रतिदाय की अवधि में संशोधन किया।

इसके बाद, विल्लींगडन आइलैण्ड पर स्थित होटलों, जैसे विवान्ता मलाबार कोचिन, कैसिनो होटल और ट्राइडेंट कोचिन ने अतिरिक्त बिजली शुल्क केप्रतिदाय का अनुरोध किया। शुरू में इन अनुरोधों को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि कोचिन पत्तन प्राधिकरण, एपीटीईएल के समक्ष पक्षकार नहीं था। इस मामले को उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ) और उसके बाद राज्य विद्युत लोकपाल के समक्ष उठाया गया, जिन्होंने 12-06-2015 के आदेश द्वारा सीजीआरएफ के आदेश को रद्द कर दिया और कोचिन पत्तन प्राधिकरण को एपीटीईएल के फैसले के अनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संशोधित, अतिरिक्त शुल्क की गई राशि वापस करने का निर्देश दिया।

इसके अलावा, विभिन्न होटल उपभोक्ताओं द्वारा एपीटीईएल, माननीय सर्वोच्च न्यायालय और लोकपाल के आदेशों के आधार पर अतिरिक्त बिजली शुल्क के प्रतिदाय की मांग करते हुए संबंधित रिट याचिकाएं दायर की गई हैं।

होटल एलाइड ट्रेडर्स (पी) लिमिटेड द्वारा दायर डब्लू.पी.(सी) संख्या 2907/2016 में कहा गया है कि याचिकाकर्ता, एचटीआईवी उपभोक्ता होने के नाते, अतिरिक्त वसूली गई राशि के प्रतिदाय का हकदार है और प्रतिवादी ने इस आधार पर प्रतिदाय से इनकार कर दिया कि वह एपीटीएल के समक्ष पक्षकार नहीं था। लोकपाल

ने 12% प्रति वर्ष ब्याज सहित 24,27,427 रुपये केप्रतिदाय का आदेश दिया था और याचिकाकर्ता ने प्रतिदाय के लिए परमादेश याचिका और बाद के मांग बिलों को रद्द करने के लिए प्रमाणन याचिका दायर की है।

इसी प्रकार, ट्राइडेंट होटल द्वारा दायर डब्लू.पी.(सी) संख्या 2908/2016 में, लोकपाल ने 30,34,545 रुपये केप्रतिदाय का निर्देश दिया था, जिसमें प्रति वर्ष 12% ब्याज भी शामिल था, और याचिकाकर्ता ने प्रतिदाय के लिए निर्देश मांगे थे और प्रतिदाय लंबित रहने के दौरान जारी किए गए बाद के बिलों को रद्द करने की मांग की थी।

विवान्ता बाय ताज मालाबार कोचिन एलसी/एफ1234/डब्ल्यूपी 158/2016/केएसईबी/सचिव/जीएडी/2021 द्वारा दायर डब्लू. पी.(सी) संख्या 2909/2016 में, लोकपाल ने 12% प्रति वर्ष ब्याज सहित 43,05,247 रुपये के प्रतिदाय का निर्देश दिया था और इसी तरह की राहतें मांगी गई थीं, जिनमें प्रतिदाय और मांग नोटिस को रद्द करना शामिल है।

उपरोक्त सभी मामलों में, वसूली कार्यवाही पर रोक लगाने और विवादित बिलों को लागू करने पर रोक लगाने के लिए अंतरिम राहत भी मांगी गई है।

केरल उच्च न्यायालय के समक्ष कोचिन पत्तन ट्रस्टी बोर्ड द्वारा दायर याचिका संख्या 158/2016 में राज्य विद्युत लोकपाल के आदेश को चुनौती दी गई है। इसमें तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 के तहत केवल एक वितरण लाइसेंसधारी है, टैरिफ केएसईआरसी द्वारा निर्धारित किया गया था, और एपीटीईएल और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश केएसईबी के खिलाफ थे, जो कार्यवाही में एकमात्र पक्षकार था, और इसलिए प्रतिदाय का दायित्व कोचिन पत्तन प्राधिकरण का नहीं, बल्कि केएसईबी का है।

सी) अन्य प्रकटीकरण:

i) 1996 से पूर्व के लीजधारकों से बकाया राशि

1996 से पूर्व के लीजधारकों के संबंध में, पत्तन ने वर्ष 2014 में टीएएमपी अधिसूचित दरों 2010 के आधार पर संशोधित लीज किराया वसूला था।हालाँकि, लीजधारकों ने कोचिन पत्तन लीज होल्डर्स एसोसिएशन के माध्यम से केरल के माननीय उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया और मामले में यथास्थिति बनाए रखने के लिए 25.02.2015 को अंतरिम आदेश जारी किया गया।इस बीच, टीएएमपी अधिसूचना संख्या 304 दिनांक 22.07.2016 के तहत संपदा किराये को एक बार फिर संशोधित किया गया तथा यह 21.08.2016 से प्रभावी हुआ। पत्तन द्वारा प्राप्त कानूनी राय के आधार पर, 1996 से पूर्व के सभी लीजधारकों सहित सभी लीजधारकों के संबंध में 21.08.2016 से टीएएमपी अधिसूचित दर पर बिल जारी किए गए।हालाँकि, कोचिन पत्तन लीज़होल्डर्स एसोसिएशन ने 2 अन्य याचिकाकर्ताओं (1996 से पहले के लीजधारकों) के साथ मिलकर माननीय केरल उच्च न्यायालय में डब्ल्यू पी (सी) संख्या 12138/2017 (एन) के तहत एक याचिका दायर की।दिनांक 06.04.2017 के आदेश के तहत परिवर्द्धित राशि की वसूली पर अंतरिम रोक लगा दी गई।इसके बाद, माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 04.09.2019 के निर्णय के माध्यम से कोचिन पत्तन के पक्ष में डब्ल्यू पीसंख्या 5974/2015 और 29/2015 को खारिज कर दिया।तदनुसार, कोचिन पत्तन ने फरवरी 2020 को टीएएमपी 2010 के अनुसार यानी 01.10.2014 से 20.08.2016 तक लीज भाड़ा में अंतर राशि के लिए बकाया बिल जारी किए।31.03.2025 तक 1996 से पूर्व की कुल बकाया राशि ₹1.15 करोड़ है।

(ii) जेट्टियों पर लाइसेंस शुल्क

पोर्ट, कोचिन पोर्ट(जेट्टियों, स्लीपवेज एण्ड बोट पेंस के लाइसेंसिंग) विनियम, 1968 एवं 1996 में इसके संशोधनों के आधार पर जेट्टियों एण्ड पायरों से लाइसेंस शुल्क संग्रह करता है। शुरू में लाइसेंस शुल्क ₹1,297 प्रति जेट्टी प्रति वर्ष था जिसे बाद में उन लोगों, जो दूसरों से संबंधित वल्लम/नौकाओं को बांधने के लिए अपने जेट्टी को किराए पर देते हैं, के लिए ₹1,00,000 प्रति जेट्टी प्रति वर्ष तक बढ़ाया गया, ये संशोधन 13.05.2014 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किए गए तथा 16.06.2014 को जेट्टी मालिकों को इसकी सूचना दी गयी।जेट्टी मालिकों ने माननीय उच्च न्यायालय केरल में रीट याचिका दायर की और यह अंतरिम आदेश पारित किया गया कि यदि याचिकाकर्ता मांगी गई राशि का एक/चौथाई भुगतान करते हैं, तो याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी।उपयोग में आ रहे 287 जेट्टियों में सेकेवल 65 मालिकों ने लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया है।शेष राशि मुकदमे के कारण लंबित है।इसके बाद पत्तन ने दरों में कमी की और जेट्टी के विवरण के आधार पर₹2000/- से ₹100000/- के बीच एक स्लैब दर पेश किया।इन दरों को वर्ष 2016 में टाम्प द्वारा पत्तन के एसओआर में सामान्य संशोधन में शामिल किया गया, जो 21.08.2016 को अस्तित्व में आया।

टाम्प ने अपनी अधिसूचना (22.10.2019) द्वारा जेट्टी के लिए संशोधित एसओआर और 2016 में कोचिन पत्तन के बोर्ड द्वारा निर्धारित दरों पर लाइसेंस शुल्क अधिसूचित किया।सीओपीटी (जेट्टी, पियर्स और स्लिपवे का लाइसेंस) विनियमन, 2020 जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि जेट्टी लाइसेंस शुल्क एमपीटी अधिनियम की धारा 48 और 49 द्वारा निर्धारित एसओआर के अनुसारहोगा। कोचिन पत्तन के विधि प्रकोष्ठ ने कहा, चूंकि डब्ल्यूपी ने इस आधार पर मांग नोटिस को चुनौती दी थी कि एसओआर को टाम्प द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था, नियमानुसार नए सिरे से मांग नोटिस हमेशा बनाया जा सकता है।जेट्टी मालिकों द्वारा दायर किए गए कई मुकदमे चल रहे होने के कारण जेट्टी लाइसेंस शुल्क की वसूली की स्थिति लंबित है।चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए प्राप्त होने वाली लाइसेंस फीस को लेखा पुस्तकों में आय के रूप में नहीं दर्शाया गया है।(अनुबंध- VI)

चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए प्राप्त लाइसेंस शुल्क को लेखा पुस्तकों में आय के रूप में नहीं गिना गया है, जो 31.03.2025 को लगभग ₹ 11.04 करोड़ आता है।

अध्यक्ष के निर्देशानुसार जेटी/स्लिपवे के भौतिक सत्यापन और वर्गीकरण के लिए एक समिति गठित की गई।कानूनी निर्देशों के अनुसार समिति की रिपोर्ट के अनुमोदन के बाद लंबित लाइसेंस शुल्क की वसूली के लिए स्टॉप मेमो और वसूली कार्यवाही शुरू की जाएगी।दोनों पक्षों ने बताया कि वे अपनी याचिका पर न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जाने के बाद भुगतान करेंगे।

(v) पत्तन ने 28.03.2014 को मेसर्स टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड (टीएसएल) के खिलाफ कोच्चि स्थित माननीय सब कोर्ट में ₹1.05 करोड़ की राशि 15% ब्याज सहित वसूलने के लिए सिविल मुकदमा दायर किया था। यह राशि कोचिन पत्तन द्वारा मेसर्स टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड द्वारा आपूर्ति की गई टग्स में पाई गई विनिर्माण खामियों को दूर करने के लिए खर्च की गई थी। इस संबंध में, टीएसएल ने 06.02.2015 को कोच्चि स्थित माननीय सब कोर्ट के समक्ष एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें कोचिन पत्तन को 05.10.2006 के समझौते के खंड 45.0 के अनुसार विवाद को आर्बिट्रेशन के लिए भेजने का निर्देश देने की प्रार्थना की गई थी। न्यायालय ने मामले को

आर्बिट्रेशन के लिए भेजने का निर्देश दिया और दोनों पक्षों ने मध्यस्थ नियुक्त किए। हालांकि, टीएसएल द्वारा नामित मध्यस्थ ने मेसर्स टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड को सूचित किया कि वह उपरोक्त विवाद में मध्यस्थ के रूप में कार्य करने की स्थिति में नहीं है। इसी बीच, मेसर्स कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) ने टेबमा शिपयार्ड्स को अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में अधिग्रहित कर लिया है। कोचिन पत्तन का दावा प्रस्ताव योजना का हिस्सा नहीं था।

एनसीएलटी की प्रस्ताव योजना में लंबित मुकदमों के लिए आकस्मिक देनदारियों हेतु कोई राशि आवंटित नहीं की गई है। इसलिए, यदि मुकदमे में शामिल किसी भी पक्ष द्वारा कोई दावा उठाया जाता है, तो भी कोई राशि प्राप्त नहीं की जा सकती। इसके अलावा, आईबीसी कार्यवाही के परिणामस्वरूप, प्रस्ताव योजना का हिस्सा न होने वाले सभी दावे भी समाप्त हो जाएंगे। अतः एनसीएलटी के आदेश के मद्देनजर, कोचिन पत्तन प्राधिकरण सीएसएल से कोई राशि वसूल नहीं कर सकता।

हालांकि, कोचिन पत्तन प्राधिकरण द्वारा लगाए गए एलडी शुल्क को मेसर्स टेबमा शिपयार्ड ने चुनौती दी थी, लेकिन सीएसएल द्वारा अधिग्रहण किए जाने के बाद अब इसे उडुपी कोचीन शिपयार्ड द्वारा जारी रखा जा रहा है।

(vi)संपदा भाड़ा के मामले में,उन मामलों में बिलिंग नहीं की गई है, जिनके लिए पत्तन ने फिर से शुरू करने का नोटिस दिया है और बेदखली की प्रक्रिया चल रही है।ऐसे 15लीज के मामले हैं, जिनके लिए सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम/पुनरुद्धार नोटिस जारी/मुकदमेबाजी के कारण बिलिंग रोक दी गई है।

प्राप्य लाइसेंस शुल्क/पट्टा किराये की आय, जो अदालती मामलों के विचाराधीन होने के कारण विवादित है, को लेखा पुस्तिकाओं में आय के रूप में दर्ज नहीं किया जाता है।

(vii) एमयूएलटीमें परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार

सीओपीए और आईओसीएल ने पुत्तुवाइपीन में मल्टी यूजर लिक्विड टर्मिनल (एमयूएलटी) के निर्माण के लिए 04.04.2014 को एक रियायत समझौता किया।समझौता के अनुसार,आईओसीएल परियोजना को वित्तपोषित करेगा और 161 दिनों तक परिसंपत्तियों का उपयोग केवल अपने उद्देश्य के लिए करेगा।इसके बाद, सीओपीएको वर्ष में शेष 204 दिनों के लिए एमयूएलटी के उपयोग का अधिकार होगा।इसके अलावा, आईओसीएल को 30 वर्ष की रियायत अवधि पूरी होने के बाद सीओपीए को परिसंपत्तियां हस्तांतरित करनी होंगी,जिसके लिए सीओपीए द्वारा आईओसीएल को मुआवजा देय होगा,जिसे ऐसे हस्तांतरण के समय पारस्परिक रूप से तय किया जाएगा।

(viii) संपत्ति कर का भुगतान न करना

कोच्ची नगर निगम ने पत्तन में भवन के संपत्ति कर के पुनर्मूल्यांकन की मांग की है और पत्तन में भवनों के निर्मित क्षेत्र के पुनर्मूल्यांकन के लिए संयुक्त निरीक्षण करने का निर्णय लिया है।इस संबंध में, केएमसी के प्रतिनिधियों ने पत्तन के अभ्यावेदन के साथ पत्तन में भवन के मूल्यांकन शुरू कर दिया है।हालाँकि, उन्होंने आज तक मूल्यांकन पूरा नहीं किया है। इसलिए, सीओपीए ने 01.10.2022 से भवन कर का भुगतान नहीं कर सकता। हालाँकि, संबंधित वर्षों में आवश्यक प्रावधान किया गया है।

मार्च 2023 में कोचिन पत्तन प्राधिकरण को केएमसी द्वारा ₹2.04 करोड़ रुपये संपत्ति कर की मांग करते हुए एक नोटिस भेजा गया था। कोचिन पत्तन प्राधिकरण ने कोचिन पत्तन प्राधिकरण और केएमसी के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते की प्रासंगिक धाराओं का हवाला देते हुए मांग नोटिस का विरोध किया। अतः, इसे लेखा-पुस्तकों में शामिल नहीं किया गया है।

डी) वर्ष के दौरान वस्तुओं में परिवर्तन के परिणामस्वरूप जहां भी आवश्यक हो, तुलन पत्र (बैलेंस शीट), पी एंड एल खाते और अनुसूचियों के आंकड़ों को फिर से समूहीकृत किया गया है।

ई) कोचिन मत्स्यकीय बंदरगाह के खातों का एक अलग सेट अनुसूची IX में खातों के साथ संलग्न है।

एफ) वर्ष 202G4-25 के दौरान, कोचिन मत्स्य बंदरगाह पर कैशियर द्वारा 22,16,022 रुपये की हेराफेरी की गई, जिसकी जांच चल रही है। उम्मीद है कि जांच पूरी होने पर कैशियर से यह राशि वापस ली जाएगी। चूंकि धोखाधड़ी का वास्तविक प्रभाव चालू वर्ष की पहली तिमाही में ही पता चल सका, इसलिए इसे चालू वर्ष में शामिल किया गया है और पिछले वर्ष के संबंधित खातों को पुनर्गठित किया गया है।

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

अनुबंध- I

आयकर निर्धारण अधिकारी द्वारा लगाए गए आयकर संबंधी मांगों के विरुद्ध कोचिन पत्तन प्राधिकरण द्वारा दायर की गई अपीलें:

अवधि और संबंधित आदेश का संदर्भ	वह मंच जहां मामला लंबित है	इसमें शामिल मुद्दों का विवरण	आयकर देयता की अनुमानित राशि
मूल्यांकन वर्ष 2021-22 दिनांक 28/12/2022 के आदेश 143(3) के विरुद्ध अपील	आयकर आयुक्त (अपील)	ए)निर्धारण अधिकारी ने आयकर अधिनियम 1961 ('अधिनियम') की धारा 68 के तहत 1,61,10,106/- रुपये की तदर्थ राशि को अस्पष्ट नकद ऋण माना और अधिनियम की धारा 115बीबीई के तहत कर लगाया। एओ के अनुसार, करदाता गैर-पैन विविध लेनदारों की पहचान,ऋणपात्रता और प्रामाणिकता साबित नहीं कर सका। परिणामस्वरूप, एओ ने माना कि लेनदार अप्रमाणित रहे और इस राशि को करदाता की आय में अस्पष्ट नकद ऋण के रूप में जोड़ दिया। बी)एओ ने अधिनियम की धारा 14ए के तहत 15,000 रुपये की कटौती की, जो कि कंपनी के इक्विटी शेयरों में रखे गए 15,00,000 रुपये के निवेश के औसत मूल्य का 1% है। सी)एओ ने टीडीएस क्रेडिट के रूप में दावा किए गए 15,36,295 रुपये को अस्वीकार कर दिया।	1,61,10,106 रुपये @ 78%= ₹1,25,65,883 + 15,000 रुपये पर 31.2% = 4,680 रुपये
मूल्यांकन वर्ष 2013-14 दिनांक 03/10/2019 के आदेश 143(3) के विरुद्ध अपील	आयकर आयुक्त (अपील)	ए)मूल्यांकन अधिकारी ने माना कि करदाता की गतिविधियाँ अधिनियम की धारा 2(15) के संशोधित प्रावधान के दायरे में आती हैं। मूल्यांकन अधिकारी के अनुसार, इन गतिविधियों से व्यापार, वाणिज्य और व्यवसाय को बढ़ावा मिलता है, इसलिए इन्हें "धर्मार्थ गतिविधियाँ" नहीं माना जा सकता। फलस्वरूप, मूल्यांकन अधिकारी ने धारा 11, 12 और 13 के तहत छूट देने से इनकार कर दिया और अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत आय का आकलन किया। बी)एओ ने वित्तीय वर्ष 2003-04 से 2008-09 के दौरान पूंजीकृत अचल संपत्तियों पर दावा किए गए 2,19,38,884 रुपये के मूल्यह्रास को इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया कि इन संपत्तियों की लागत को पहले ही धारा 11 के तहत आय के अनुप्रयोग के रूप में अनुमति दी जा चुकी थी। एओ ने माना कि अनुमति देना	2,19,38,884 रुपये @ 30.9% - 67,79,115 रुपये
अवधि और संबंधित आदेश का संदर्भ	वह मंच जहां मामला लंबित है	इसमें शामिल मुद्दों का विवरण	आयकर देयता की अनुमानित राशि (शामिल राशि * लागू कर दर, ब्याज को छोड़कर)
		मूल्यह्रास की पुनः गणना से दोहरी कटौती होगी और इसके लिए केरल उच्च न्यायालय के लिसी चिकित्सा संस्थान संबंधी निर्णय को माना गया।	
मूल्यांकन वर्ष 2012-13 दिनांक 09/03/2015 के आदेश 143(3) के विरुद्ध अपील	आयकर आयुक्त (अपील)	ए)मूल्यांकन अधिकारी ने अधिनियम की धारा 11, 12 और 13 के तहत दावा की गई छूट को अस्वीकार कर दिया। मूल्यांकन अधिकारी ने माना कि करदाता की गतिविधियाँ धारा 2(15) के संशोधित परंतुक के अंतर्गत आती हैं, और इन गतिविधियों को धर्मार्थ के बजाय वाणिज्यिक/व्यावसायिक प्रकृति का माना गया है। परिणामस्वरूप, आय का आकलन धर्मार्थ छूट प्रदान करने के बजाय अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत किया गया। बी)मूल्यांकन अधिकारी ने विविध उपकरणों और फर्नीचर पर किए गए व्यय को धारा 37(1) के अंतर्गत अनुमत राजस्व व्यय के बजाय पूंजीगत व्यय माना। [पूंजीगत व्यय के रूप में माना गया कुल व्यय: 17,00,348 रुपये घटाएं: 10% की दर से अनुमत मूल्यह्रास: 1,70,034 रुपये - निवल सी)अस्वीकृति: 15,30,314 रुपये। डी)मूल्यांकन अधिकारी ने परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर हुए 92,21,418 रुपये के नुकसान को अस्वीकृत कर दिया। करदाता ने तर्क दिया कि कुल आय की गणना करते समय, उसने पहले ही 73,89,285 रुपये के निवल नुकसान (परिसंपत्तियों के निपटान पर हुए 18,32,133 रुपये के लाभ को समायोजित करने के बाद) को अस्वीकृत कर दिया था, और इसलिए लेखा परीक्षक की कार्रवाई के परिणामस्वरूप दोहरी अस्वीकृति हुई। यह रिकॉर्ड से स्पष्ट त्रुटि है। ई)एओ ने वित्तीय वर्ष 2003-04 से 2008-09 के दौरान अधिग्रहित अचल संपत्तियों पर 2,65,56,781 रुपये के मूल्यह्रास को इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया कि उन संपत्तियों की लागत को पहले ही धारा 11 के तहत आय के अनुप्रयोग के रूप में अनुमति दी जा चुकी थी, और इसलिए आगे मूल्यह्रास दोहरी कटौती के बराबर होगा।	
अवधि और संबंधित आदेश का संदर्भ	वह मंच जहां मामला लंबित है	इसमें शामिल मुद्दों का विवरण	आयकर देयता की अनुमानित राशि (शामिल राशि * लागू कर दर, ब्याज को छोड़कर)
मूल्यांकन वर्ष 2009-10 धारा 143(3) के अंतर्गत धारा 147 के विरुद्ध अपील, दिनांक 10/03/2016 का आदेश	आयकर आयुक्त (अपील)	ए)एओ ने उस मूल्यांकन को दोबारा जांच किया जिसकी वैधता को सीआईटी (ए) के समक्ष नीचे दिए गए विभिन्न कारणों से चुनौती दी गई है: धारा 148 के तहत नया नोटिस जारी किए बिना किसी अन्य अधिकारी द्वारा जारी नोटिस के आधार पर मूल्यांकन पूरा करना। - पुनर्मूल्यांकन बिना किसी नई सामग्री के किया गया था और यह केवल तथ्यों के उसी समूह पर राय में बदलाव पर आधारित था, जिससे पुनर्मूल्यांकन कानून की दृष्टि से अमान्य हो गया। ऑडिट में आपत्ति के आधार पर ही दोबारा खोलने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। पुनर्प्रवेश प्रक्रिया वर्ष 2009-10 के प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष की समाप्ति के चार वर्ष बाद शुरू होने पर समय सीमा के कारण वर्जित है। बी)मूल्यांकन अधिकारी ने धारा 43बी के तहत पेंशन और ग्रेच्युटी निधि में किए गए अंशदान के संबंध में 8,60,00,000 रुपये अस्वीकृत कर दिए। मूल्यांकन अधिकारी के अनुसार, पिछले वर्षों से संबंधित देयता का दावा/अस्वीकरण उन वर्षों में धारा 36(iv)/(v) के तहत नहीं किया गया था और इसलिए इसे मूल्यांकन वर्ष 2009-10 में भुगतान के आधार पर स्वीकृत नहीं किया जा सकता था।	8,60,00,000 रुपये @ 30.9% - 2,65,74,000 रुपये

अनुबंध- II

विभिन्न प्राधिकरणों के समक्ष लंबित सेवा कर संबंधी मामले

क्रम संख्या	एससीएन क्रमांक एवं दिनांक	मामले का संक्षिप्त विवरण	माँग (रुपये करोड़ में)	वर्तमान स्थिति	मांगा गया जुर्माना
1	दिनांक 17.04.2015 का पत्र संख्या 82/2015/एसटी	वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए आईजीटीपीएल रॉयल्टी पर सेवा कर की मांग	6.63	6-04-2016 को 0.49 करोड़ रुपये की मांग के 7.50% की अग्रिम जमा राशि जमा की गई और 6.4.2016 को माननीय सीईएसटीएटी, बैंगलोर के समक्ष मूल आदेश सीओसी –एक्सक्यूज़ -000 –कॉम- 050/2015-16 दिनांक 28.12.2015 के विरुद्ध अपील दायर की गई। व्यक्तिगत सुनवाई 22.09.2025 और 24.09.2025 को हुई और व्यक्तिगत सुनवाई स्थगित करने के लिए सहायक रजिस्ट्रार (अपील शाखा) को पत्र भेजा गया।	66,34,758 रुपये-यू/एस-76 10,000 रुपये –धारा-77 के तहत
2	दिनांक 09.10.2015 को जारी पत्र संख्या 287/2015/एसटी	वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2011-12 के दौरान उपयोग की गई सामान्य सेवाओं पर सेवा कर और सेनवैट की मांग	2.37	जनवरी 2019 में माननीय सीईएसटीएटी, बैंगलोर के समक्ष मूल आदेश संख्या सीओसी-ईएक्ससीयूएस-000-सीओएम-30/2018-19दिनांक 01.11.2018 के विरुद्ध अपील दायर की गई, जिसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित 28,00,093 रुपये के कम जुर्माने को माफ कर दिया गया था।	1,28,91,745 रुपये-यू/एस-78 रु.1,00,000-यू/आर-15(1)
3	146/2011 दिनांक 10.10.2011	01.04.2010 से 30.09.2010 की अवधि के लिए अग्रिम प्रीमियम पर संपत्ति किराये पर सेवा कर।	2.48	माननीय सीईएसटीएटी, बैंगलोर के समक्ष 08-07-2013 को मूल आदेश संख्या 26-27/2013/एसटी दिनांक 21.03.2013 के विरुद्ध अपील दायर की गई थी, जिसका संचालन 2020 से मेसर्स मेनन एंड पाई, अधिवक्ताओं द्वारा किया जा रहा है क्योंकि यह मामला भविष्य में उच्च न्यायालयों में जा सकता है। व्यक्तिगत सुनवाई 12.12.2024 को हुई और पुनः 28.05.2025 को हुई तथा सहायक रजिस्ट्रार, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, बैंगलोर द्वारा 28.5.2025 को आदेश संख्या 20868-20869/2025 के तहत आदेश जारी किया गया जिसमें कहा गया कि संपूर्ण मांग 01.07.2010 से पहले कोचिन पत्तन द्वारा प्राप्त अग्रिम राशि पर की गई है, ऐसी अग्रिम भुगतान राशि सेवा कर से मुक्त है और अतः सीईएसटीएटी का आदेश मान्य है।	
4	47/2012/एसटी दिनांक 04.04.2012	01.01.2010 से 31.03.2011 की अवधि के लिए संपदा किराये पर सेवा कर	0.61	माननीय सीईएसटीएटी के समक्ष दिनांक 10-07-2013 को अपील दायर की गई। दिनांक 21.03.2013 के मूल आदेश संख्या 26-27/2013/ST के विरुद्ध, जिसका संचालन 2020 से मेसर्स मेनन एंड पाई, अधिवक्ताओं द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि यह मामला भविष्य में उच्च न्यायालयों में जा सकता है। 12.12.2024 को व्यक्तिगत सुनवाई हुई और फिर 28.05.2025 को भी व्यक्तिगत सुनवाई हुई। सहायक रजिस्ट्रार, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, बैंगलोर द्वारा 28.05.2025 को आदेश संख्या 20868-20869/2025 जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि 01.07.2010 से पहले प्राप्त अग्रिम राशि पर सेवा कर की मांग को रद्द किया जाता है और जुर्माने को भी रद्द किया जाता है।	
5	65/2012/एसटी दिनांक 17.04.2012 - अपील संख्या 21335/2016	अंबुजा सीमेंट द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए विभिन्न सेवाएं	1.14	माननीय सीईएसटीएटी के समक्ष दिनांक 31.08.2016 को मूल आदेश संख्या 90/2015-16 दिनांक 01-03-2016 (डेनोवो) के विरुद्ध अपील दायर की गई।	1,14,35,329 रुपये - धारा 78 के अंतर्गत 10,000 रुपये-यू/एस 77
6	29/2009/एसटी दिनांक 02-03-2009	अक्टूबर 2007 से सितंबर 2008 तक के मार्ग अवकाश शुल्क	0.06	पोर्ट द्वारा माननीय सीईएसटीएटी के समक्ष मूल आदेश संख्या 640/2014/एसटी दिनांक 27-11-2014 के विरुद्ध 10% की अग्रिम जमा राशि जमा करके अपील दायर की गई।	6,41,703 रुपये - धारा 76 के अंतर्गत 1000 रुपये-यू/एस 77
7	53/2014/एसटी 08.10.2014	जुलाई 2012 से मार्च 2013 की अवधि के लिए कानूनी आरोपों पर एसटी	0.01	दिनांक 28.09.2017 के मूल आदेश APP-209-2017 के विरुद्ध माननीय सीईएसटीएटी बैंगलोर में दिनांक 25.11.2017 को अपील दायर की गई।	71831 रुपये - धारा 78 के अंतर्गत
8	105/2018-एसटी दिनांक 17-04-2018	वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक लघु पत्तन सर्वेक्षण संगठन पर एसटी	0.31	दिनांक 23.03.2021 के मूल आदेश संख्या 31/2020-21/एसटी के विरुद्ध अपील आयुक्त के समक्ष 21.06.2021 को अपील दायर की गई। व्यक्तिगत सुनवाई हुई।	10000 रुपये - धारा 77 के तहत 31,75,013 रुपये

क्रम संख्या	एससीएन क्रमांक एवं दिनांक	मामले का संक्षिप्त विवरण	माँग (रुपये करोड़ में)	वर्तमान स्थिति	मांगा गया जुर्माना
				22.01.2025 को आवश्यक विवरण केंद्रीय कर आयुक्त (अपील) को 5.2.2025 को प्रस्तुत किए गए। इसके बाद व्यक्तिगत सुनवाई के बाद मामले की स्थिति को अद्यतन करने के लिए 22.09.2025 को आयुक्त (अपील) को पत्र भेजा गया।	78 से कम
9	दिनांक 30.07.2018 के पत्र संख्या 104/2018/ST/JC	वित्तीय वर्ष 2012-13 से वित्तीय वर्ष 2016-17 तक लिक्विडेटेड डैमेज पर एसटी	1.32	दिनांक 18.01.2021 के मूल आदेश संख्या 08/2021-एसटी (जेसी) के विरुद्ध अपील आयुक्त के समक्ष दिनांक 18.03.2021 को अपील दायर की गई। व्यक्तिगत सुनवाई 22.01.2025 को हुई और आवश्यक विवरण 3.2.2025 को केंद्रीय कर आयुक्त को प्रस्तुत किए गए। इसके बाद, व्यक्तिगत सुनवाई के बाद मामले की स्थिति को अद्यतन करने के लिए 22.09.2025 को आयुक्त (अपील) को पत्र भेजा गया।	10,000 रुपये-यू/एस-77 13,18,120 रुपये-यू/एस-78
10	58/2009 दिनांक 23.04.2008	भूमि सुधार और परामर्श सेवाओं के लिए ड्रेजिंग के संबंध में सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाने पर सेवा कर की मांग।	1.14	दिनांक 02.06.2023 के मूल आदेश संख्या 04/2023-24-एसटी (एडीसी) के विरुद्ध दिनांक 07.08.2023 को आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की गई।	1,03,79,083 रुपये - धारा 78 के अंतर्गत
11	02/2022-ST दिनांक 06.04.2022	रडार के लाइसेंस शुल्क, फैक्ट्री लाइसेंस शुल्क आदि पर रिवर्स चार्ज तंत्र के तहत सेवा कर की मांग।	0.04	दिनांक 30.06.2023 के मूल आदेश संख्या 15/2023/एसटी के विरुद्ध दिनांक 12.10.2023 को आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की गई।	4,37,174 रुपये
		कुल	**16.11**		
		न्यून: अलग रखे गए मामले	3.09		
		बकाया राशि	**13.02**		

अनुबंध-III

विभिन्न प्राधिकरणों के समक्ष जीएसटी से संबंधित लंबित मामले

क्रम संख्या	एससीएन क्रमांक एवं दिनांक	मामले का संक्षिप्त विवरण	मांग (रुपये करोड़ में)	वर्तमान स्थिति	मांगा गया जुर्माना(रुपये करोड में)
1	43/2023-24 दिनांक 31.01.2024	वर्ष 2017-18 से 2022-23 के लिए अचल संपत्ति के निर्माण हेतु वस्तुओं और सेवाओं पर लिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट पर जीएसटी की मांग।	जीएसटी नियम के अनुसार 11.52 करोड़ रुपये ब्याज और जुर्माने सहित, जिसे बाद में घटाकर 4.54 करोड़ रुपये कर दिया गया।	एस.सी.एन. को 11.04.2024 को उत्तर दिया गया। अपर आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा 25.01.2025 को जारी मूल आदेश संख्या 65/2024-25/जीएसटी/एडीसी में ब्याज एवं जुर्माने सहित 4.54 करोड़ रुपये की मांग की पुष्टि करते हुए शेष मांग को रद्द कर दिया गया। कोचिन पत्तन ने इस मांग को चुनौती देते हुए आयुक्त (अपील), केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क के समक्ष 21.04.2025 को अपील दायर की है।	4.54
2	15/2024-2025/जीएसटी-एडीसी दिनांक 24.07.2024	जीएसटी अधिनियम की धारा 73(5)/74(5) के तहत सामान्य क्रेडिट का गैर-प्रतिवर्तन, वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक की 4 वर्षों की अवधि के लिए।	जीएसटी नियम के अनुसार 36.22 करोड़ रुपये ब्याज और जुर्माने सहित।	एससीएन को 23.08.2024 को उत्तर दिया गया और आईटीसी रिवर्सल में 29,66,420 रुपये की कमी को भी 23.08.2024 को ही जमा कर दिया गया। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 13.01.2025 को जारी मूल आदेश संख्या 47/2024-25/जीएसटी/एडीसी के तहत जीएसटी देयता की मांग को रद्द कर दिया गया। मांग पर लगाए गए जुर्माने को रद्द करने के लिए जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष 30.09.2025 को अपील दायर की गई।	0.3
3	51/2024/जीएसटी दिनांक 26.11.2024	वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कोचिन पत्तन द्वारा दाखिल किए गए जीएसटीआरआई, जीएसटीआर-3बी और जीएसटीआर 9 के रिटर्न में विसंगतियां।	जीएसटी कानून के अनुसार 1.90 करोड़ रुपये, साथ ही ब्याज और जुर्माना।	एस.सी.एन. को 14.02.2025 को उत्तर दिया गया। सहायक आयुक्त द्वारा जारी मूल आदेश संख्या 51/2025/जीएसटी दिनांक 27.02.2025 में ब्याज और जुर्माने सहित, 17894209 रुपये की मांग की पुष्टि की गई। पुष्टि की गई राशि और जुर्माने को रद्द करने के लिए जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष 27.05.2025 को अपील दायर की गई।	0.18
4	एससीएन/आईएनटी/ ईकेएम/2025/22-डीसी दिनांक 23.09.2025 (सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 73 के अंतर्गत)	वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए सीएसएल में प्रतिनियुक्त मानव संसाधन पर जीएसटी।	जीएसटी नियम के अनुसार 4.02 करोड़ रुपये ब्याज और जुर्माने सहित।	एससीएन को 17.11.2025 को उत्तर दिया गया। उपायुक्त (इंटेलिजेन्स) द्वारा दिनांक 22.12.2025 को आदेश संख्या ओआईओ/टीपीएस/ ईकेएम/डीईकेएमएस/2025/08-डीसी जारी किया गया, जिसमें ब्याज और जुर्माने सहित 6.59 करोड़ रुपये की मांग को माफ करने का आदेश दिया गया था। मांग, ब्याज और जुर्माने को माफ करने के लिए 19.03.2026 को संयुक्त आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की गई थी।	0.4
		कुल मांग	**46.68 करोड़**		**5.42 करोड़**

अनुबंध-IV

केरल बाढ़ उपकर संबंधी लंबित मामले

क्रम संख्या	एससीएन क्रमांक एवं दिनांक	मामले का संक्षिप्त विवरण	मांग (रुपये करोड़ में)	वर्तमान स्थिति
1	एससीएन क्रमांक एससीएन/टीपीएस/ईकेएम/सीईकेएमसी/2025/13-एसटीओ दिनांक 23.09.2025 और एससीएन/ईएनएफ/ईकेएम/2025/4-डीसी दिनांक 25.09.2025	अगस्त 2019 से जुलाई 2021 की अवधि के दौरान केरल बाढ़ उपकर के भुगतान में विसंगति।	अगस्त 2019 से जुलाई 2021 की अवधि के लिए जीएसटी नियम के अनुसार ब्याज और जुर्माने सहित 4,69,43,333 रुपये।	एससीएन को दिनांक 02.12.2025 और 30.03.2026 को उत्तर दिया गया। उपायुक्त, करदाता सेवा प्रभाग द्वारा दिनांक 30.03.2026 को आदेश संख्या टीपीएस/ईकेएम/डीईकेएमएस/केएफसी/2026/03-डीसी जारी किया गया, जिसमें 9,39,495/- रुपये की मांग की पुष्टि की गई और मांग पर 8,90,542/- रुपये का ब्याज और 939495/- रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया गया, जिसके विरुद्ध कोचिन पत्तन प्राधिकरण अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने की प्रक्रिया में है।

अनुबंध - V

मध्यस्थता और कानूनी कार्यवाही

क्रम संख्या	पार्टी का नाम	केस संदर्भ संख्या (ओ.पी./डब्ल्यूपी. नंबर आदि)	मामले का संक्षिप्त विवरण	शामिल राशि	न्यायालय का स्तर	वकील का नाम	पिछली सुनवाई और मामले की स्थिति
ए	मेसर्स इंडिया गेटवे टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड	ओपी (एआरबी) 185/20 (पुराना क्रमांक ओपी (एआरबी866/17)	मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने 12.05.2017 को निर्णय पारित किया, जिसमें लाइसेंस अवधि के प्रारंभ की संशोधित तिथि आईजीटीपीएल के पक्ष में और सीएसएफ की तैनाती लागत एवं पत्तन के प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के सेवा लाभों का वहन आईजीटीपीएल द्वारा वहन करने का आदेश दिया गया, जो पत्तन के पक्ष में था। न्यायाधिकरण ने दोनों पक्षों के बीच धनराशि के बंटवारे को लेकर सहमति बनाने का निर्देश दिया और आईजीटीपीएल तथा कोचिन पत्तन के शेष दावों को अस्वीकार कर दिया। मध्यस्थता के आदेशों से असंतुष्ट होकर, कोचिन पत्तन ने 16.08.2017 को एर्नाकुलम जिला न्यायालय में इस निर्णय के विरुद्ध याचिका दायर की।	आईजीटीपीएल का दावा - ₹300 करोड़ और कोचिन पत्तन प्राधिकरण का प्रतिदावा - ₹1070.71 करोड़	प्रधान उप न्यायालय, ईकेएम (वाणिज्यिक न्यायालय, ईकेएम) (पुराना - जिला न्यायालय, एर्नाकुलम)	जोसेफ और कुरियन	ए. ओपी (एआरबी) 185/2020 की सुनवाई 25.03.2026 को हुई थी और इसे 09.06.2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। ओपी (एआरबी) 185/2020 का पुनः क्रमांकित करके ओपी (एआरबी) 65/2026 कर दिया गया और इसे माननीय जिला न्यायालय, ईकेएम को स्थानांतरित कर दिया गया। मामले की सुनवाई 9.6.2026 को होगी। आईजीटीपीएल ने 06.04.2022 के पत्र के माध्यम से कोचिन पत्तन प्राधिकरण से अनुरोध किया कि धारा 34 याचिका में उल्लिखित विवादों को कोचिन पत्तन प्राधिकरण बोर्ड द्वारा गठित सुलह एवं निपटान समिति को संदर्भित किया जाए। बी. तदनुसार, दिनांक 17.06.2022 के पत्र के माध्यम से आईपीए द्वारा मामले को सीएससी को संदर्भित किया गया था। सी. सीएससी के सदस्यों ने कोचिन पत्तन प्राधिकरण और आईजीटीपीएल के साथ कई चर्चाएं कीं और सीआईएसएफ (17.75 करोड़ रुपये ब्याज सहित) और पेंशन लाभ (62.50 लाख रुपये ब्याज सहित) के संबंध में दावे की मात्रा निर्धारित की, जिस पर आईजीटीपीएल ने सहमति व्यक्त की। डी. 16.07.2025 को हुई अंतिम सुनवाई के आधार पर, सीएससी ने मामले को निपटाने की सिफारिश की। इ. मध्यस्थता निर्णय के अनुसार 09.05.2013 से प्रारंभ अवधि के संबंध में मामले पर विचार करते हुए, सीएससी ने पाया कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की संरचना और प्रावधानों के अनुसार, धारा 34 के आवेदन के संबंध में बहुत सीमित दायरा है, क्योंकि केवल तभी निर्णय को रद्द किया जा सकता है जब वह अनुचित पाया जाए या देश की नीति के विरुद्ध हो। एफ. सीएससी ने कोचिन पत्तन प्राधिकरण को यह भी सिफारिश की कि वह मध्यस्थता पुरस्कार को स्वीकार करे और सीएससी रिपोर्ट स्वीकार किए जाने पर धारा 34 के तहत दायर याचिका को वापस ले ले। जी. सीएससी की रिपोर्ट 12.09.2025 को कोचिन पत्तन प्राधिकरण के बोर्ड के समक्ष रखी गई और बोर्ड ने सीएससी द्वारा प्रस्तावित निपटान समझौते को स्वीकार करने के संबंध में भारत के माननीय अटॉर्नी जनरल की राय लेने का संकल्प लिया। एच. तदनुसार, दिनांक 14.10.2025 के पत्र के माध्यम से भारत के माननीय अटॉर्नी जनरल की कानूनी राय के लिए अनुरोध मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था। आइ. यह मुद्दा 29.04.2026 को अटॉर्नी जनरल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

क्रम संख्या	पार्टी का नाम	केस संदर्भ संख्या (ओ.पी./डब्ल्यूपी. नंबर आदि)	मामले का संक्षिप्त विवरण	शामिल राशि	न्यायालय का स्तर	वकील का नाम	पिछली सुनवाई और मामले की स्थिति
बी	मेसर्स जैसु शिपिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	ओएस संख्या 175/2011	माननीय जिला न्यायालय द्वारा दिनांक 31.01.2020 के आदेश द्वारा पोर्ट द्वारा दायर याचिका को खारिज किए जाने के परिणामस्वरूप और कानूनी सलाहकारों की सलाह के अनुसार कि आगे अपील की कोई गुंजाइश नहीं है, यह निर्णय लिया गया कि ओ.एस. संख्या 175/2011 के निर्णय और डिक्री के तहत पार्टी को देय प्रायोजन शुल्क के मुकाबले पार्टी को देय राशि को समायोजित करके मामले को बंद कर दिया जाए, जो कि 26.09.2013 को कोपीए के पक्ष में वोल्वो ओशन रेस के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित ₹ 2.98 करोड़ है।	मेसर्स जैसु शिपिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का दावा - ₹3.51 करोड़	जिला न्यायालय, एर्नाकुलम	जोसेफ और कुरियन	कोची उप न्यायालय में जयसु के विरुद्ध कोचिन पत्तन प्राधिकरण द्वारा दायर ईपी 33/2025 लंबित है। मामले की सुनवाई 6.4.2026 को सूचीबद्ध की गई थी और इसे 18.6.2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था।
सी	मेसर्स जैसु शिपिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	मध्यस्थता करना	मेसर्स जैसु शिपिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत ₹19.25 करोड़ की बैंक गारंटी 2011-12 के दौरान भुना ली गई क्योंकि अनुबंध के तहत अपेक्षित सेवाएं प्रदान नहीं की गईं, जिसके लिए पत्तन द्वारा भुगतान रोक दिया गया है। पक्ष द्वारा मध्यस्थता प्रावधान का सहारा लिया गया है।	मेसर्स जैसु शिपिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का दावा - ₹795 करोड़, प्रतिदावा ₹322 करोड़	मध्यस्थ न्यायाधिकरण	जोसेफ और कुरियन	पक्षकार द्वारा कई बैठकों के लिए मध्यस्थ की फीस का भुगतान न करने के कारण, पक्षकार द्वारा प्रस्तुत दावे की कार्यवाही मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा समाप्त कर दी गई और केवल पक्षकार के प्रतिदावों पर ही सुनवाई होगी। इस बीच, अध्यक्ष मध्यस्थ का 05.10.2010 को निधन हो गया और न्यायाधिकरण का अभी तक पुनर्गठन नहीं हुआ है।
डी	मेसर्स सीमेंस लिमिटेड, चेन्नई	ओपी एआरबी 51/20 (पिछला क्रमांक एआरबी. ओपी 697/13)	110 केवी सबस्टेशन और उससे संबंधित कार्यों की स्थापना एवं चालू करने के संबंध में क्षतिपूर्ति की वसूली के लिए पक्षकार द्वारा मध्यस्थता का सहारा लिया गया। मध्यस्थता का निर्णय पत्तन के विरुद्ध था, इसलिए पत्तन ने एर्नाकुलम स्थित माननीय जिला न्यायालय में इस निर्णय के विरुद्ध अपील की।	₹1.76 करोड़	प्रधान उप न्यायालय, ईकेएम।	जोसेफ और कुरियन	कोचिन पत्तन प्राधिकरण द्वारा मेसर्स सीमेंस के विरुद्ध वाणिज्यिक न्यायालय और एर्नाकुलम की माननीय उप न्यायालय में दायर ओपी आर्बिट्रेशन 51/20 को 18.10.2023 को खारिज कर दिया गया था। कोचिन पत्तन प्राधिकरण ने वाणिज्यिक अपीलीय न्यायालय और एर्नाकुलम के माननीय जिला न्यायालय में सीएमए (आर्बिट्रेशन) दायर करके इसे चुनौती दी। सीएमए (आर्बिट्रेशन) 6/2024 की सुनवाई 6.4.2026 को एर्नाकुलम के माननीय जिला न्यायालय में सूचीबद्ध की गई थी और सुनवाई के लिए 8.6.2026 तक के लिए स्थगित कर दी गई थी।
ई	मेसर्स टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड	ओपी एआरबी 86/20 (पुराना नं.ओ.पी. (एआरबी) 39/14)	पक्षकार ने 45 टन क्षमता वाले दो बीपी टगों के निर्माण और डेलिवेरी से संबंधित हर्जाने की वसूली के लिए मध्यस्थता का सहारा लिया। निर्णय पत्तन के पक्ष में हुआ। पक्षकार ने एर्नाकुलम स्थित माननीय जिला न्यायालय में अपील दायर की।	₹8.09 करोड़	प्रधान उप न्यायालय, ईकेएम।	जोसेफ और कुरियन	मेसर्स टेबमा शियपार्ड लिमिटेड द्वारा दायर ओपी एआरबी 86/20 अभी भी माननीय वाणिज्यिक न्यायालय, एर्नाकुलम के समक्ष लंबित है। एओपी 86/2020 को माननीय जिला न्यायालय, ईकेएम को स्थानांतरित कर दिया गया है और उसका नया क्रमांक जारी किया गया है। नया केस नंबर अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

क्रम संख्या	पार्टी का नाम	केस संदर्भ संख्या (ओ.पी./डब्ल्यूपी. नंबर आदि)	मामले का संक्षिप्त विवरण	शामिल राशि	न्यायालय का स्तर	वकील का नाम	पिछली सुनवाई और मामले की स्थिति
एफ	मेसर्स ईस्ट इंडिया इंजीनियर्स	मध्यस्थता अपील 9/22	ईस्ट इंडिया इंजीनियर्स द्वारा 'विल्लिंगडन आईलैण्ड में हाल्ट क्षेत्र के भूमिगत टैंकों से विभिन्न स्थानों पर 200 मिमी डक्टाइल आयरन पंपिंग लाइन बिछाने और सड़क सुधार' परियोजना के संबंध में प्रतिधारण राशि जारी करने, सड़क सुधार कार्य करने के लिए संशोधित दरों आदि के संबंध में मध्यस्थता का आह्वान किया गया था और निर्णय ठेकेदार के पक्ष में है।	₹74.59 लाख	केरल उच्च न्यायालय	बी एस कृष्णन एसोसिएट्स	मध्यस्थ ने 26.03.2018 को निर्णय पारित किया। कोचिन पत्तन प्राधिकरण ने इस निर्णय को चुनौती देते हुए एओपी 70/20 दायर की, जिसे एर्नाकुलम स्थित माननीय वाणिज्यिक न्यायालय ने 23.12.2021 को खारिज कर दिया। कोचिन पत्तन प्राधिकरण ने इसी निर्णय को चुनौती देते हुए केरल उच्च न्यायालय में मध्यस्थता अपील 9/22 दायर की। 25.7.2025 को न्यायालय ने कोचिन पत्तन प्राधिकरण द्वारा दायर मध्यस्थता अपील संख्या 9/2022 को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। ईस्ट इंजीनियर्स द्वारा दायर एसएलपी संख्या 26790/2025 भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। मामले की अंतिम सुनवाई 5.05.2025 को हुई थी और अगली सुनवाई 13.07.2026 को होगी।
जी	मेसर्स मैरीमाथा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	मध्यस्थता करना	केरल उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, मेसर्स मैरीमाथा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कोचीन पत्तन पर भारत सरकार के लिए जेटी और संबद्ध सुविधाओं के निर्माण के कार्य से संबंधित मामले में माननीय मुख्य न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) श्री पियस सी. कुरियाकोस को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया गया है।	ब्याज सहित ₹16.92 करोड़।	एकमात्र मध्यस्थ न्यायमूर्ति पियस सी. कुरियाकोस	न्यायमूर्ति पियस सी. कुरियाकोस	मध्यस्थ ने 16.08.2023 को निर्णय पारित किया। कोचिन पत्तन प्राधिकरण ने उक्त फैसले को चुनौती देते हुए माननीय वाणिज्यिक न्यायालय, एर्नाकुलम के समक्ष एओपी 2/24 दायर की। एओपी दिनांक 24.03.2026 को दर्ज की गई थी और सुनवाई के लिए 04.04.2026 तक स्थगित कर दी गई थी। एओपी 2/2024 को जिला न्यायालय, ईकेएम में स्थानांतरित कर दिया गया और उसका क्रमांक परिवर्तित किया गया। नया केस नंबर अभी प्राप्त होना बाकी है।
एच	मेसर्स डॉविंस रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड	मध्यस्थता करना	मेसर्स डॉविंस रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड और कोचिन पत्तन प्राधिकरण के बीच टोल बूथों (एर्नाकुलम/मट्टनचेरी/रो-रो) गेटों से टोल और पार्किंग शुल्क की वसूली के अनुबंध के संबंध में विवादों का मध्यस्थता द्वारा निपटारा।	उपलब्ध नहीं कराया	एकमात्र मध्यस्थ सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश पी. शंकरनुन्नी	सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश पी. शंकरनुन्नी	12.2.2026 को मध्यस्थता निर्णय पारित किया गया। इस निर्णय को चुनौती देते हुए अपील दायर की जा रही है।

अनुबंध - VI

जेटी लाइसेंस शुल्क के मामले

क्रम संख्या	केस नंबर (ओपी/डब्ल्यूपी नंबर आदि)	न्यायालय का नाम	याचिकाकर्ता	प्रतिवादी	एमओएस एक पार्टी	विषय - वस्तु	वर्तमान स्थिति	टिप्पणी
1	डब्ल्यूपी 8269/15	केरल उच्च न्यायालय	पी.टी. जॉनी एलेक्स डेनी	1) कोचिन पत्तन प्राधिकरण 2) डीसी	नहीं	जेटी लाइसेंस शुल्क नवीकरण शुल्क	मामले की सुनवाई 31.3.2026 को सूचीबद्ध की गई और 11.6.2026 तक के लिए स्थगित कर दी गई।	प्रतिप्रवेशित।
2	डब्ल्यूपी 9266/15	केरल उच्च न्यायालय	एम.ए. सलाम	1) भारत सरकार - कृषि मंत्रालय (आर1) 2) कोचिन पत्तन प्राधिकरण 3) डीसी	कृषि मंत्रालय - आर1	जेटी लाइसेंस शुल्क नवीकरण शुल्क	मामले की सुनवाई 31.3.2026 को सूचीबद्ध की गई और 11.6.2026 तक के लिए स्थगित कर दी गई।	प्रतिप्रवेशित।
3	डब्ल्यूपी 35312/15	केरल उच्च न्यायालय	अश्वथी कुरियन	1. एमओएस-आर1 द्वारा यूओआई प्रतिनिधि 2. कोचिन पत्तन प्राधिकरण 3. उप संरक्षक 4. टैम्प	एमओएस-आर1	याचिकाकर्ता ने जेटी लाइसेंस शुल्क में 2731 रुपये से बढ़ाकर 1,16,000 रुपये (स्थायी कर सहित) करने के विरुद्ध याचिका संख्या 28715/2015 दायर की। न्यायालय के निर्देशानुसार, अध्यक्ष ने याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए शुल्क वृद्धि को सही ठहराया। इस निर्णय से असंतुष्ट होकर याचिकाकर्ता ने यह याचिका दायर की है।	मामले की सुनवाई 31.3.2026 को सूचीबद्ध की गई और 11.6.2026 तक के लिए स्थगित कर दी गई।	प्रतिप्रवेशित।

क्रम संख्या	केस नंबर (ओपी/डब्ल्यूपी नंबर आदि)	न्यायालय का नाम	याचिकाकर्ता	प्रतिवादी	एमओएस एक पार्टी	विषय - वस्तु	वर्तमान स्थिति	टिप्पणी
4	डब्ल्यूपी 2940/16	केरल उच्च न्यायालय	1. के.जे. पॉल 2. एस.एम. मंसूर 3. टी.एम. सुबैर 4. उप-वकील अब्दुल बशीर 5. मोहिदीन 6. मोहम्मद फैजला के.एम. 7. राजेश गोपाल 8. प्रसन्नन 9. के.ए. मोहम्मद अबू 10. नदीम जाफीर सैत 11. के.टी. मैथ्यू 12. राबिया 13. विलियम्स 14. रफीक 15. वाई. अब्दुल्ला 16. वी.एफ. धर्मनिष्ठ 17. हाजी एस्सा हाजी अब्दुल सत्तार सैत ट्रस्ट 18. हवा बाई ट्रस्ट 19. सुलेक्खा ट्रस्ट 20. हाजी अब्दुल्ला हाजी एडम सैत ट्रस्ट 21. कोचांगडी चेम्बिउतापल्ली 22. आर.एम. अब्दुन्नी 23. महिनकुट्टी 24. अमीना बाई ट्रस्ट 25. अनवर हाशिम 26. एशिया बाई ट्रस्ट 27. ए.ए. अब्दुल लतीफ़ 28. प्रबल्ला धनेश 29. रमणी पी. जोसेफ	1. एमओएस-आर1द्वारा यूओआई प्रतिनिधि 2. कोचिन पत्तन प्राधिकरण 3. अध्यक्ष 4. उप संरक्षक	एमओएस-आर1	लाइसेंस शुल्क में वृद्धि	मामले की सुनवाई 31.3.2026 को सूचीबद्ध की गई और 11.6.2026 तक के लिए स्थगित कर दी गई।	सी ए ने दाखिल किया

क्रम संख्या	केस नंबर (ओपी/डब्ल्यूपी नंबर आदि)	न्यायालय का नाम	याचिकाकर्ता	प्रतिवादी	एमओएस एक पार्टी	विषय - वस्तु	वर्तमान स्थिति	टिप्पणी
5	डब्ल्यूपी 31804/18	केरल उच्च न्यायालय	मेसर्स होटल सीगल	1) एमओएस-आर1 द्वारा यूओआई प्रतिनिधि 2) सचिव द्वारा कोचिन पत्तन प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व 3) अध्यक्ष 4) डीसी	एमओएस-आर1	जेटी लाइसेंस शुल्क में वृद्धि के खिलाफ।	मामले की सुनवाई 31.3.2026 को सूचीबद्ध की गई और 11.6.2026 तक के लिए स्थगित कर दी गई।	दूसरा अतिरिक्त सीए अग्रेषित किया गया।
6	डब्ल्यूपी 25312/19	केरल उच्च न्यायालय	मेसर्स क्रिस्टल ऑर्किड हैंडीक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड	1) एमओएस-आर1 द्वारा यूओआई प्रतिनिधि 2) सचिव द्वारा कोचिन पत्तन प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व 3) अध्यक्ष 4) डीसी	एमओएस-आर1	जेटी लाइसेंस शुल्क में वृद्धि से असंतुष्ट	मामले की सुनवाई 31.3.2026 को सूचीबद्ध की गई और 11.6.2026 तक के लिए स्थगित कर दी गई।	प्रतिप्रवेशित।
7	डब्ल्यूपी 11852/17	केरल उच्च न्यायालय	सी ब्लू शिपिंग लिमिटेड	1. कोचिन पत्तन प्राधिकरण 2. कृषि मंत्रालय द्वारा भारत सरकार का प्रतिनिधित्व 3. उप संरक्षक	कृषि मंत्रालय - आर2	लाइसेंस शुल्क में वृद्धि	मामले की सुनवाई 31.3.2026 को सूचीबद्ध की गई और 11.6.2026 तक के लिए स्थगित कर दी गई।	अतिरिक्त सीए अग्रेषित
8	डब्ल्यूपी 38529/23	क्रोएशियाई रेड क्रॉस	रेनी जॉन	1. कोचिन पत्तन प्राधिकरण 2. अध्यक्ष 3. सचिव 4. उप संरक्षक 5. टैम्प	नहीं	जेटी लाइसेंस शुल्क में वृद्धि	यह मामला आखिरी बार 29.1.2024 को सूचीबद्ध किया गया था। उसके बाद से सूचीबद्ध नहीं है।	प्रतिप्रवेशित।
9	डब्ल्यूपी 39787/22	क्रोएशियाई रेड क्रॉस	1. अखिल केरल मछली पकड़ने वाली नाव संचालक संघ 2. एलिस राजन मम्पिली 3. सी.एल.राजा गोपाल 4. सी. के. एंटनी 5. जोसफ शाजी 6. एम.सी.सुधीर	1. सीएम द्वारा कोचिन पत्तन प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व 2. सीएम, कोचिन पत्तन प्राधिकरण 3. सचिव, कोचिन पत्तन प्राधिकरण 4. टैम्प 5. निदेशक, टीएएमपी	नहीं	कोचिन पत्तन प्राधिकरण द्वारा एकतरफा रूप से निर्धारित दरों के पैमाने को चुनौती देना (जेटी लाइसेंस शुल्क मामला)	यह मामला 29.1.2024 को सूचीबद्ध किया गया था। उसके बाद इसे सूचीबद्ध नहीं किया गया।	सीए ने दाखिल किया



भारत में नीदरलैंड की राजदूत सुश्री मारिसा गेरार्ड्स और दक्षिण भारत में महावाणिज्यदूत श्री इवोट डी विट (डीसीएमडीसी) के साथ बैठक।



कोचिन पत्तन प्राधिकरण, एनआइसीडीसी और डीपी वर्ल्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह



सुश्री जॉर्डन लास्कर, उप वाणिज्य दूताधिकारी, अमेरिकी नागरिक सेवा इकाइ, अमेरिकी वाणिज्य दूतावास, चेन्नइ



मत्स्यपालन विभाग के माननीय राज्य मंत्री एडवोकेट जॉर्ज कुरियन का दौरा

कोचिन पत्तन प्राधिकरण
Cochin Port Authority



कोरिया गणराज्य के दूतावास का कोचिन पत्तन प्राधिकरण में दौरा



समीक्षा बैठक के दौरान माननीय प्रधानमंत्री के सलाहकार श्री तरुण कपूर द्वारा कोचीन पत्तन का स्पॉट मूल्यांकन ।



समुद्रिका में महिला दिवस समारोह

विल्लिंग्डन आइलैण्ड, कोचिन - 682009
www.cochinport.gov.in